नागरिक अधिकारों की पक्षधरता

बिहार के लिए एक नियमावली

(2021)

A) परिचय 6

1. इस नियमावली के बारे में 6
2. पहला क़दम - अपने इलाक़े के सरकारी कार्यालयों की पहचान करना 9

B) भोजन और जल 11

1. भोजन और जल - पेयजल 11
2. भोजन और जल - राशन कार्ड 13
3. भोजन और जल - आंगनवाड़ियाँ 14
4. भोजन और जल - मध्याह्न भोजन योजना 15

C) आय 16

1. आय - मनरेगा (MGNREGA) 16
2. आय - पेंशन 18
3. आय - बेटी होने पर वित्तीय प्रोत्साहन 20
4. आय - जीवन बीमा 22
5. आय - रोज़गारी प्रशिक्षण 24
6. आय - ड्राइविंग लाइसेंस 26
7. आय - स्वयं सहायता समूहों 27
8. आय - सूक्ष्म उपक्रमों का वित्तीयन (फ़ाइनेंसिंग) 29

D) स्वास्थ्य 32

1. स्वास्थ्य - सरकारी अस्पताल 32
2. स्वास्थ्य - गर्भावस्था और प्रसव 34
3. स्वास्थ्य - टीकाकरण 36
4. स्वास्थ्य - TB 38
5. स्वास्थ्य - दिव्यांगजनों के लिए सेवाएँ 39
6. स्वास्थ्य - मानसिक स्वास्थ्य 42
7. स्वास्थ्य - मादक पदार्थ पुनर्वास 45

8. स्वास्थ्य - HIV 46
E) शिक्षा 48
1. शिक्षा - सरकारी स्कूल 48
2. शिक्षा - छात्रवृत्तियाँ, पुस्तकें और यूनिफ़ॉर्म 50
3. शिक्षा - मुक्त विद्यालयी शिक्षा (ओपन स्कूलिंग) 52
F) ऊर्जा 54
1. ऊर्जा - बिजली 54
2. ऊर्जा - गैस 56
G) ग्राम सुविधाएँ 58
1. ग्राम सुविधाएँ - शौचालय 58
2. ग्राम सुविधाएँ - खड़ंजे वाली गलियाँ और नालियाँ 60
3. ग्राम सुविधाएँ - आवास 61
4. ग्राम सुविधाएँ - भूमिहीनों के लिए भूमि 63
5. ग्राम सुविधाएँ - सड़कें 64
H) खेती 66
1. खेती - सिंचाई 66
2. खेती - फ़सल बीमा 68
3. खेती - सब्सिडी 70
I) मानवाधिकार उल्लंघन 71
1. मानवाधिकार उल्लंघन - घरेलू हिंसा 71
2. मानवाधिकार उल्लंघन - बाल श्रम 73
3. मानवाधिकार उल्लंघन - बाल विवाह 75
4. मानवाधिकार उल्लंघन - बच्चों का अवैध व्यापार 77
5. मानवाधिकार उल्लंघन - यौन अवैध-व्यापार 79
6. मानवाधिकार उल्लंघन - बंधुआ/बलात् श्रम 82
J) पहचान के दस्तावेज़ 85
1. पहचान के दस्तावेज़ - विशिष्ट पहचान पत्र 85

2. पहचान के दस्तावेज़ - मतदाता पहचान पत्र 87
3. पहचान के दस्तावेज़ - जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र 89
4. पहचान के दस्तावेज़ - अजा/अजजा/अपिव प्रमाणपत्र 91
5. पहचान के दस्तावेज़ - श्रम कार्ड 92
6. पहचान के दस्तावेज़ - बैंक खाता 93
7. पहचान के दस्तावेज़ - PAN कार्ड 95

K) परिशिष्ट 96

1. समुदाय को सशक्त बनाने की 10 चरणों वाली प्रक्रिया 96
2. संबंधित योजनाओं और क़ानूनों के साथ सेवाओं की सूची 98
3. प्रभावशाली आवेदन लिखना (उदाहरण सहित) 99
4. प्रभावशाली ढंग से आवेदन दायर करने के सुझाव 101
6. RTI के प्रभावी उपयोग के बारे में नोट्स (उदाहरण सहित) 103
7. प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर 105

L) आवेदन फ़ॉर्म 106

1. फ़ॉर्म - पेंशन (विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांगता) (नियमावली में यहाँ) 106
2. फ़ॉर्म - राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (नियमावली में यहाँ) 109
3. फ़ॉर्म - ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर्स परमिट (नियमावली में यहाँ) 111
4. फ़ॉर्म - सूक्ष्म उपक्रम ऋण (नियमावली में यहाँ) 113
5. फ़ॉर्म - दिव्यांगजनों के लिए ट्रेन यात्रा में छूट (नियमावली में यहाँ) 114
6. फ़ॉर्म - मतदाता पहचान पत्र (नियमावली में यहाँ) 115
7. फ़ॉर्म - आधार कार्ड फ़ॉर्म (नियमावली में यहाँ) 117
8. फ़ॉर्म - PAN कार्ड फ़ॉर्म (नियमावली में यहाँ) 119

ज़मीनी स्तर पर पक्षधरता की सच्ची कहानियाँ

राजू को मिली अशक्तता पेंशन

35 वर्षीय राजू रेलवे ट्रैक के किनारे एक झोंपड़ी में रहते हैं। वे पाँच बच्चों के पिता हैं और रीसायक्लिंग के काम में जी-तोड़ मेहनत करके बड़ी मुश्किलों से अपने परिवार को चलाते हैं। वे एक बड़ी शारीरिक अशक्तता से ग्रस्त हैं - उनका बायाँ पैर मुड़ी हुई हालत में लगभग पूरी तरह लकवे का शिकार है - पर इसके बावजूद वे कई किलोमीटर सायकल चलाकर काम पर जाते हैं। राजू ने एक समुदाय कर्मी से अपने लिए अशक्तता पेंशन (इस नियमावली में यहाँ देखें) का आवेदन करने को कहा। उस समुदाय कर्मी ने इससे पहले अशक्तता पेंशन के लिए कभी आवेदन नहीं किया था, इसलिए उसे सिस्टम को जानने में थोड़ा समय लगा - राजू के दस्तावेज़ों के फोटो लेना, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अपलोड करना, और ज़िला अशक्तता कल्याण कार्यालय में काग़ज़ी प्रतियाँ जमा करना। कई महीनों के इंतिज़ार के बाद, राजू को नवंबर 2020 में अपनी पहली किस्त मिली। ₹500 (USD $7) प्रति माह कोई बड़ी रक़म नहीं है पर इससे परिवार को अपने ख़र्चे चलाने में थोड़ी मदद हो जाती है। राजू की सफलता के बाद, दूसरे बहुत से लोग भी अलग-अलग तरह की पेंशन (अशक्तता, विधवा और वृद्धावस्था) के लिए आवेदन करने में मदद माँगने के लिए आगे आए।

मीता को मिला आधार कार्ड

35 वर्षीय मीता पाँच बच्चों की माँ हैं; उनके पति सऊदी अरब में एक बंधुआ मज़दूर हैं और उनकी सबसे बड़ी बेटी के पेट में जानलेवा टीबी है; कुल मिलाकर वे घर चलाने के लिए बड़ी मुश्किलों से जूझ रही हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी हालत बद से बदतर हो गई; उनके राशन कार्ड में से कई यूनिटें काट दी गईं क्योंकि उनके कुछ बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने थे और बाक़ी बच्चों के आधार कार्ड पर एक अलग पता था। जब वे एक स्थानीय सायबर कैफ़े गईं तो कैफ़े ने उनसे ₹500 प्रति आधार कार्ड वसूलने चाहे, जो उनकी हैसियत से बाहर की बात थी। एक समुदाय कर्मी ने आधार नामांकन फ़ॉर्म भरा (इस नियमावली में यहाँ देखें), उस पर स्थानीय नगरपालिका सभासद से हस्ताक्षर करवाए, और आधार कार्यालय में मुलाक़ात के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया। यह प्रक्रिया बिना किसी बड़ी मुश्किल के और मामूली ख़र्चे पर पूरी हो गई, और मीता अपने राशन कार्ड में वे यूनिटें फिर से जुड़वा पाईं जिससे उन्हें अपने परिवार की ज़रूरत के राशन का पूरा कोटा मिलने लगा।

रूबी को मिला गैस कनेक्शन

24 वर्षीय रूबी एक तलाक़शुदा माँ हैं जो रेलवे ट्रैक के किनारे एक झोंपड़ी में अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ रहती हैं। वे झोंपड़ी के अंदर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थीं; इस तरीक़े से परेशानी होती थी, समय ज़्यादा लगता था और उनकी बेटी और बूढ़े पिता को साँस की दिक़्क़तें होती थीं। वे जल्द-से-जल्द गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करना चाहती थीं (इस नियमावली में यहाँ देखें) पर उनके पास PAN कार्ड या बैंक खाता (जो सरकारी गैस कनेक्शन की ज़रूरी शर्तें हैं) या पर्याप्त पैसा नहीं था। एक सामुदायिक संगठन ने PAN कार्ड (इस नियमावली में यहाँ देखें) और बैंक खाता (इस नियमावली में यहाँ देखें), दोनों के लिए आवेदन करने में मदद की, उनके दस्तावेज़ों की फोटोकॉपियाँ स्थानीय गैस वितरक के यहाँ जमा कीं, और अग्रिम लागत चुकाने में उनकी मदद के लिए एक छोटा सा उपहार भी दिया। वे अब ज़्यादा स्वच्छ, ज़्यादा सस्ते और ज़्यादा सुविधाजनक ईंधन से खाना बनाकर समय, पैसों, अपने फेफड़ों और इस ग्रह, सभी को बचा रही हैं।

A) परिचय

1. इस नियमावली के बारे में

बिहार में ऐसी ढेरों सरकारी सेवाएँ दी जाती हैं जो गाँवों और शहरी मलिन बस्तियों के ग़रीब निवासियों तक पहुँचनी चाहिए। पर अफ़सोस कि कई ग़रीब निवासी इन कारणों से ये सेवाएँ हासिल नहीं कर पाते हैं:

- योजना के बारे में पता न होना;
- पहचान दस्तावेज़ों का न होना;
- ख़ुद पर भरोसा न होना; या
- अधिकारियों द्वारा हीला-हवाली की जाना।

अक्सर, जब NGO ये पाते हैं कि ये सरकारी सेवाएँ काम नहीं कर रही हैं, तो वे ख़ुद स्कूल, क्लीनिक और रोज़गार प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि खोलकर ये सेवाएँ प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से सेवाएँ देने का फ़ायदा यह है कि लोगों और NGO के बीच प्यार का बंधन बनता है और नतीज़े काफ़ी तेज़ी से मिलने लगते हैं। पर NGO ये सेवाएँ हमेशा नहीं दे सकते। कभी-न-कभी उन्हें निवासियों को लंबे समय के लिए सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद देने की ज़रूरत पड़ती ही है।

इस नियमावली में दी गई जानकारी, भारत के ग़रीब निवासियों को सशक्त बनाने की बड़ी रणनीति का एक हिस्सा मात्र है। सशक्तीकरण केवल ग़रीबों को उपलब्ध सेवाओं की **जानकारी** देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आवेदन लिखने और पेश करने का **कौशल** सिखाना भी शामिल होता है। हालाँकि, पूरे समुदाय की भलाई के लिए निःस्वार्थ **भावना** से कार्य करने की *चाहत* सशक्तीकरण का शायद सबसे अहम पहलू है। परिशिष्ट 1 में इस जानकारी, कौशल और भावना के साथ निवासियों के **सशक्तीकरण** की एक व्यापक, दस चरणों वाली रणनीति दी गई है। पर ध्यान रहे - यह मुश्किल है और इसमें कई वर्ष लग सकते हैं!

विषय-सूची में लिखी हर सेवा के लिए, हम बताते हैं:

1. वह संबंधित केंद्रीय और बिहार **सरकार का विभाग** जो वह सेवा प्रदान करता है (वेबसाइट सहित)।
2. उस विभाग की नीति के अनुसार निवासियों की/का **पात्रता/अधिकार**। हम वह "सर्वोत्तम संदर्भ" वेबसाइट भी बताते हैं जहाँ वे पात्रताएँ लिखी हैं। कई पात्रताएँ (राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों) यहाँ उपलब्ध हैं। कई पात्रताएँ "नागरिक अधिकारपत्र" में भी लिखी होती हैं जिन्हें अब कई सरकारी विभाग यहाँ अपनी-अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करते हैं। ग़रीबी रेखा के ऊपर और उससे नीचे रहने वाले निवासियों के लिए उपलब्ध सेवाओं का सारांश और योजना/क़ानून का नाम परिशिष्ट 2 में है।
3. उस पात्रता के लिए आवेदन करने की **आवेदन कार्यविधि**। कई आवेदन कार्यविधियाँ और फ़ॉर्म यहाँ और यहाँ उपलब्ध हैं। फ़ॉर्मों की कुछ काग़ज़ी प्रतियाँ यहाँ अनुभाग L में दी गई हैं। हमने परिशिष्ट 3 में प्रभावशाली आवेदन लिखने के सुझाव बताए हैं और एक नमूना आवेदन पत्र भी दिया है। परिशिष्ट 4 में भी आवेदन पत्र पेश करते समय सरकारी अधिकारियों से व्यवहार करने के कुछ उपयोगी सुझाव हैं। लोकसेवाओं का अधिकार अधिनियम बिहार सरकार के अधिकारियों के लिए यह आवश्यक करता है कि वे 20 से अधिक सेवाएँ (जिनमें जाति, स्थायी निवास और आय प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, नए राशन कार्ड, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन) 21 से 60 दिनों के भीतर प्रदान करें (क़ानून यहाँ देखें। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन पर जुर्माना लग सकता है।
4. **पक्षधरता प्रक्रिया:** हो सकता है कि *शुरू में* आवेदन सफल न हो क्योंकि हो सकता है कि अधिकारी:
   - 'चुनाव ड्यूटी' के कारण छुट्टी पर हो;
   - यह कहे कि आप ग़लत कार्यालय आए हैं;
   - यह कहे कि उसे आपके आवेदन पर कुछ भी करने का अधिकार नहीं है और जिस अधिकारी को अधिकार है वह कार्यालय में नहीं है;

- यह कहे कि इस वर्ष 'बजट' नहीं है;
- यह कहे कि उसके पास स्टाफ़ की कमी है; या

अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो दबाव बनाने के कुछ तरीक़े (ज़्यादा से कम मुश्किल के क्रम में):

- उसी अधिकारी से एक बार और शिकायत करना;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र के ज़रिए शिकायत दर्ज करना;
- यहाँ केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करना ('Click here to sign up' (साइन अप करने के लिए यहाँ क्लिक करें) पर जाएँ)। आपको 60 दिनों के अंदर उत्तर मिल जाना चाहिए।
- जिस विभाग में आपने आवेदन किया था वहाँ एक **सूचना का अधिकार (राइट टू इन्फ़ॉर्मेशन, RTI)** अधिनियम आवेदन दर्ज कराना। RTI के प्रभावी उपयोग के बारे में परिशिष्ट 6 में उदाहरण के साथ बताया गया है;
- दिल्ली जस्टिस रिसोर्स सेंटर के वक़ीलों से संपर्क करना (फोन 011-4050170 या ईमेल delhi@justiceventures.org);
- धरना देना; या
- मीडिया से संपर्क करना।

5. एक **सफलता की कहानी** (जब उपलब्ध हो) जो दिखाती है कि ज़मीनी स्तर पर यह प्रक्रिया किस तरह सफल हुई है।

इस नियमावली की शुरुआत इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन ने की है और जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल तथा EFICOR ने इसे और निखारा है। अगर आप इसे इसकी काग़ज़ी प्रति के रूप में पढ़ रहे हैं तो जान लें कि अंग्रेज़ी भाषा में इसकी सॉफ़्ट प्रति EHA की वेबसाइट पर यहाँ, जस्टिस वेंचर्स की वेबसाइट पर यहाँ और भोजन का अधिकार अभियान (राइट टू फ़ूड कैंपेन) की वेबसाइट पर यहाँ उपलब्ध है। इन साइटों पर आपको दूसरे अधिकतर भारतीय राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मणिपुर, उत्तराखंड, असोम, महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा आदि की इस जैसी नागरिक अधिकार नियमावलियाँ भी मिल जाएँगी। यहाँ EHA की साइट पर आपको केंद्र सरकार की बुनियादी पात्रताओं, जो पूरे भारत में मान्य हैं, की एक आसान (16 पन्नों वाली) नियमावली भी मिलेगी और अशक्तता तथा महिलाओं के लिए एक विशेष नियमावली भी मिलेगी। हम हर दो वर्ष पर इन नियमावलियों को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। हम इनमें से कई नियमावलियों के हिंदी संस्करण बनाने की भी आशा कर रहे हैं।

हमने इन नियमावलियों पर क्रिएटिव कॉपीराइट जारी किए हैं, जिसका यह मतलब है कि अगर आप अपने कार्य में इन्हें उपयोगी पाएँ, तो आप जैसे चाहें वैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, उनसे दूसरी सामग्री बना सकते हैं, या उन्हें दूसरों से साझा कर सकते हैं, बशर्ते आप:

- EHA, JVI और EFICOR को श्रेय दें;
- नियमावलियों या उनसे बनी दूसरी सामग्री के उपयोग से वित्तीय लाभ न कमाएँ; और
- इस सामग्री से आपने जो भी सामग्री बनाई हैं उनका उपयोग दूसरों को करने दें।

कृपया ध्यान दें: यह नियमावली पात्रताओं की एक मार्गदर्शिका मात्र होने के लिए है। हालाँकि हमने जानकारी की शुद्धता पक्की करने के लिए ख़ासी सावधानी बरती है, पर चूँकि पात्रताएँ और शिकायत कार्यविधियाँ लगातार बदलती रहती हैं, अतः हम नियमावली में मौजूद जानकारी की शुद्धता की गारंटी नहीं दे सकते हैं और इसलिए, जानकारी अशुद्ध पाई जाने की सूरत में, आपके सामने आई किसी भी मुश्किल के लिए हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। अगर आपको इस नियमावली में कोई ग़लती/अशुद्धि मिले, या आप इसमें कुछ जोड़ने का सुझाव देना चाहते हों, तो कृपया हमें संदेश भेजें और हम बदलाव कर देंगे।

जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल www.justiceventures.org

EFICOR www.eficor.org

2. पहला क़दम - अपने इलाक़े के सरकारी कार्यालयों की पहचान करना

सबसे पहले, यह जानना उपयोगी रहेगा कि आपका गाँव/मोहल्ला केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की संरचना के विभिन्न स्तरों में कहाँ पड़ता है। जब आप अपने इलाक़े की जानकारी पता कर लें, तो उसे नीचे दी गई तालिका में भरें।

- बिहार को 40 **लोकसभा** सीटों में बाँटा गया है। हर सीट का एक चुना हुआ सांसद (मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, MP) होता है जो लगभग 26 लाख लोगों से बने मतदाता-मंडल के प्रति ज़िम्मेदार होता है। अपनी लोकसभा सीट और अपने सांसद का नाम जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। फिर यहाँ जाएँ, और 'बिहार' चुनकर उनका संपर्क विवरण जानें।
- बिहार के **राज्य शासन** को 243 विधानसभा क्षेत्रों (असेम्ब्ली कॉन्स्टिटुएंसी, AC) में बाँटा गया है। हर विधानसभा क्षेत्र का एक चुना हुआ विधायक (मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेम्ब्ली, MLA) होता है जो लगभग 4.3 लाख लोगों से बने मतदाता-मंडल के प्रति ज़िम्मेदार होता है। अपने विधायक और उनके संपर्क विवरण को जानने के लिए पहले यहाँ क्लिक करें, फिर 'विधानसभा क्षेत्र' पर क्लिक करके सूची को विधानसभा क्षेत्र के क्रम में लाएँ, और फिर अपने विधायक का नाम और उनका संपर्क विवरण ढूँढें। वर्तमान में बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उक्त दल के प्रमुख हैं।
- बिहार के **स्थानीय शासन** को ग्राम पंचायतों में बाँटा गया है। एक ग्राम पंचायत में लगभग दो गाँव और 2,500 लोगों के घर होते हैं। हर ग्राम पंचायत एक प्रधान चुनती है।
- प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बिहार को नौ **मंडलों** (संभागों) में बाँटा गया है और हर मंडल पर एक मंडलायुक्त (डिवीज़नल कमिश्नर, DC) का प्राधिकार होता है। संभागों के मानचित्र के लिए यहाँ क्लिक करें।
- हर मंडल को कई **ज़िलों** में बाँटा गया है और बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। सभी 38 ज़िलों के मानचित्र, मुख्यालय और जनसंख्या के लिए यहाँ क्लिक करके नीचे जाएँ। हर ज़िले का पर्यवेक्षण एक जिलाधिकारी/समाहर्ता (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, DM) के हाथ में होता है (बिहार के DM और उनके संपर्क विवरण की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें)।
- हर ज़िले को कई **तालुकाओं/तहसीलों** में बाँटा गया है। हर तालुक/तहसील पर एक अनुमंडल दंडाधिकारी (सब डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट, SDM) का प्राधिकार होता है। हर ज़िले को विकास प्रखंडों और नगर क्षेत्रों में बाँटा गया है। तालुकाओं/तहसीलों, प्रखंडों और नगर क्षेत्रों के नाम ढूँढने के लिए http://districts.nic.in/ पर जाएँ। बिहार पर क्लिक करें, फिर अपने ज़िले पर क्लिक करके अपने ज़िले की वेबसाइट पर जाएँ।
- अन्य अधिकारियों जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि की पहचान के लिए, इस नियमावली के संबंधित पन्ने पर वेबसाइट दी गई हैं। जब आप वह जानकारी ढूँढें तो उसे नीचे दी गई तालिका में लिखें।

संभाग/सेवा	पृष्ठ #	इलाक़े का नाम	अधिकारी का नाम/पता/फोन नं.
राजनीतिक संभाग			
राष्ट्रीय लोकसभा			सांसद (MP)
विधानसभा क्षेत्र	,		विधायक (MLA)
पंचायत			प्रधान
प्रशासनिक संभाग			
मंडल			ज़िला आयुक्त (डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, DC)
ज़िला	,		जिलाधिकारी (DM)
विकास प्रखंड	,,		प्रखंड विकास अधिकारी (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ़िसर, BDO)
इस नियमावली में दी गई विशिष्ट सेवाएँ			
मुख्य चिकित्सा अधिकारी			मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर, CMO)
नज़दीकी ज़िला अस्पताल			
नज़दीकी CHC (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र)/PHC (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र)			
स्थानीय गैस एजेंसी			
स्थानीय पुलिस स्टेशन	-		थाना प्रभारी (स्टेशन हाउस ऑफ़िसर, SHO)
पुलिस मुख्यालय	-		पुलिस अधीक्षक (सुपरइंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस, SP)

B) भोजन और जल

1. भोजन और जल - पेयजल

पेयजल इंसानी ज़िंदगी और सेहत के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। भारत सरकार नीचे बताई गई योजना के ज़रिए हर भारतीय तक साफ़ पेयजल पहुँचाने के लिए वचनबद्ध है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (जल शक्ति मंत्रालय) (यहाँ)
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड

बिहार सरकार

- बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) (यहाँ)
- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) (यहाँ)
- बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (यहाँ)
- बिहार जल संसाधन विभाग (यहाँ)
- FSSAI (बिहार) खाद्य सुरक्षा विभाग के बारे में जानकारी (यहाँ)
- हर घर नल का जल, बिहार सरकार (यहाँ)

स्थानीय प्राधिकरण

- शहरी इलाक़ों में नगर निगम पर जलापूर्ति की ज़िम्मेदारी होती है

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल पर ई-पुस्तिका 2014, यहाँ उपलब्ध)*

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत लक्ष्य यह है कि:

a) 55 लीटर पेयजल प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन प्रदान किया जाए (पीने को 3 ली, खाना पकाने को 5 ली, नहाने को 15 ली, बर्तन धोने को 10 ली, शौचालय को 10 ली, कपड़े धोने को 12 ली) यहाँ

b) उक्त स्रोत 1.6 किमी से अधिक दूरी या 100 मी से अधिक ऊँचाई पर न हो और हर 250 लोगों पर एक हैंड पंप हो

c) 2022 तक यह सुनिश्चित करना कि कम-से-कम 90% लोगों तक पाइप से पानी पहुँचे और कम-से-कम 80% घरों में पानी का कनेक्शन हो

d) अगर आप नालंदा, पटना, सरन, मुंगेर, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, मुज़फ़्फ़रपुर, बांका, नवादा और पूर्णिया में से किसी ज़िले में हैं तो आप RWSS-LIS परियोजना (कम आय वाले राज्यों हेतु ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना) के तहत यहाँ आवेदन कर सकते हैं।

3. आवेदन कार्यविधि

- अगर RWSS-LIS परियोजना के तहत आवेदन कर रहे हों तो BSWSM, विश्वेश्वरैया भवन कॉम्प्लेक्स, बेली रोड, पटना - 800015 में आवेदन करें।
  फोन: 0612 - 2545087, 2546005, 2545705, 2545503, 2545031
- अगर जलस्रोत की मात्रा या गुणवत्ता असंतोषजनक है, तो परीक्षण का या नए स्रोत का आवेदन BSWSM में यहाँ या PHED में यहाँ करें।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- जिस कार्यालय में आपने आवेदन किया था वहाँ एक बार फिर आवेदन करें;
- फोन BSWSM 0612 - 2545087, 2546005,2545705, 2545503, 2545031;
- मुख्य सचिव, बिहार लोक शिकायत सेल को इस पते पर ई-मेल भेजें: secy-pubgriv-bih@nic.in;

- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें;
- जहाँ आपने आवेदन किया था वहाँ RTI लगाएँ: BSWSM यहाँ या PHED यहाँ।

5. सफलता की कहानियाँ

परवा गाँव का हैंडपंप काम नहीं कर रहा था। गाँव की ग्रामीण एवं स्वास्थ्य समिति ने लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को आवेदन भेजा। तीन दिनों बाद हैंडपंप ठीक कर दिया गया।

रेणु देवी, पत्नी श्री राजकुमार माँझी, गाँव सरफ़राज़बीग़ा, टेकड़ी, गया को बंधुआ मज़दूरी से आज़ादी दिलाई गई, वे वार्ड पार्षद चुनी गईं और उन्होंने अपनी ओर से पहल करके अपने गाँव के लोगों और बंधुआ मज़दूरी से छूटे लोगों के लिए हैंडपंप ठीक करवाए।

2. भोजन और जल - राशन कार्ड

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (या 'राशन कार्ड' प्रणाली) हर परिवार को सब्सिडी पर (बाज़ार से कम क़ीमत पर) बुनियादी भोजन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। केंद्र सरकार ने अब खाद्य सुरक्षा के अधिकार को राष्ट्रयी खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में स्थापित कर दिया है जो 75% ग्रामीण परिवारों और 50% शहरी परिवारों को 5 किग्रा खाद्यान्न सब्सिडी पर प्रदान करने की गारंटी देता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) की धारा 3(1) यहाँ; भोजन का अधिकार अभियान यहाँ, यहाँ और यहाँ)*

a) **ग़रीब निवासी:** 'वरीय परिवारों' (जिनका नाम हर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई वरीयता सूची में आया है) के हर व्यक्ति को 5 किग्रा खाद्यान्न सब्सिडी पर दिया जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, धारा 3(1)।

b) **निराश्रित निवासी** (जैसे दिव्यांग या विधवा) जिनके पास सहायता का कोई साधन नहीं है उन्हें अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड जारी किया जा सकता है और वे 35 किग्रा खाद्यान्न के पात्र हैं। देखें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, धारा 3(1)।

c) राशनों की **दरें और मासिक मात्राएँ** (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अनुसूची 1 यहाँ)।

	मोटे अनाज	गेहूँ	चावल
NFSA के तहत			
'पात्र परिवार' (5 किग्रा/व्यक्ति)	₹1	₹2	₹3
अंत्योदय (35 किग्रा प्रति परिवार)	₹	₹2	₹3

3. आवेदन कार्यविधि

- पात्रता सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) पर आधारित होती है। बिहार के लिए पात्रता मानदंड यहाँ हैं।
- हर राज्य सरकार को पात्र परिवारों की सूची प्रकाशित करनी होगी और प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। NFSA धारा 10 और 11। यहाँ नरेगा (NREGA) सूची में खोजें। जिन परिवारों के नाम, सूची में वरीय परिवारों या अंत्योदय के तहत मौजूद हैं वे NFSA कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अगर आपको लगता है कि आप मानदंड के अनुसार पात्र हैं पर सूची में आपका नाम नहीं है, तो भी आप किसी भी लोक सेवा अधिकार काउंटर (यहाँ देखें) पर जाकर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. पक्षधरता (अगर आपका आवेदन सफल न हो)

- सीधे उस पंचायत या परिमंडल कार्यालय में शिकायत करें जहाँ आपने आवेदन किया था;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें ;
- केंद्र सरकार शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में RTI दायर करें।

3. भोजन और जल - आंगनवाड़ियाँ

भारत में करोड़ों बच्चे कुपोषित हैं। आंगनवाड़ी योजना 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को (उनका स्कूल जाना शुरू होने तक) पोषक भोजन, बुनियादी टीकाकरण और विटामिन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। स्कूल जाना शुरू कर देने पर वे बच्चे मध्याह्न भोजन योजना के पात्र हो जाते हैं (इस नियमावली में भोजन - मध्याह्न भोजन यहाँ देखें)। बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में स्थापित है जो आंगनवाड़ी भोजन की गारंटी देता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (यहाँ)

बिहार

- समाज कल्याण विभाग (यहाँ)
- समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 5(1)(a) यहाँ; भोजन का अधिकार अभियान विवरणिका यहाँ)*

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की धारा 5(a) के तहत, 6 माह से 6 वर्ष तक के हर बच्चे को रोज़ाना आंगनवाड़ी में पका हुआ भोजन पाने का अधिकार है। साथ ही:

- 6 वर्ष से कम आयु के हर 40 बच्चों के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) होना चाहिए। ICDS योजना की जानकारी यहाँ देखें।
- छः वर्ष से छोटे बच्चे, किशोरियाँ और गर्भवती महिलाएँ AWC जा सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, पृष्ठ 16, बिंदु 3।
- छः वर्ष से तीन वर्ष तक के बच्चों को 500 कैलोरी वाला पोषक अल्पाहार घर ले जाने को दिया जाएगा। NFSA अनुसूची II(1)।
- तीन से छः वर्ष के बच्चों को 500 कैलोरी वाला पका हुआ भोजन दिया जाएगा। NFSA अनुसूची II(2)।
- कुपोषित बच्चों को 800 कैलोरी वाला अल्पाहार घर ले जाने को दिया जाएगा। NFSA अनुसूची II(3)।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रहीं माताओं को 600 कैलोरी वाला अल्पाहार घर ले जाने को दिया जाएगा। NFSA अनुसूची II(6)।
- बच्चों को बुनियादी शिक्षा, टीके, दवाएँ (जैसे कीड़ों की गोलियाँ) और विटामिन (जैसे आयरन) दिए जाएँगे और उनके भार व लंबाई की निगरानी की जाएगी और ये माप उनके चार्ट में रिकॉर्ड किए जाएँगे। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, पृष्ठ 16, बिंदु 3।

3. आवेदन कार्यविधि

a) यहाँ पता करें कि क्या आपके नज़दीक कोई आंगनवाड़ी केंद्र है।

b) अगर आपके नज़दीक कोई आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है तो आप अपने गाँव के तीन से छः वर्ष के 40 बच्चों की सूची इस विवरण के साथ बना सकते हैं: नाम, पता, लिंग, जन्म दिनांक और माता-पिता की सहमति। 'आंगनवाड़ी केंद्र की माँग' (AWC ऑन डिमांड) का यह अनुरोध अपने ज़िले के ICDS कार्यालय में पेश करें और उसकी एक प्रति पटना स्थित प्रधान कार्यालय को भेजें (पता यहाँ है)।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- जिस ICDS कार्यालय में आपने आवेदन किया था वहाँ एक लिखित शिकायत दर्ज कराएँ;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार ICDS कार्यक्रम के PIO (जन सूचना अधिकारी) के पास RTI दायर करें (पटना का पता यहाँ है)।

4. भोजन और जल - मध्याह्न भोजन योजना

मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील स्कीम, MDMS) 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूली बच्चों को रोज़ाना एक समय का पोषक भोजन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। 10 करोड़ से भी अधिक बच्चों को भोजन दे रही यह योजना, दुनिया का सबसे बड़ा पोषण कार्यक्रम है!

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (यहाँ)

बिहार सरकार

- शिक्षा विभाग (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 5(1)(b) यहाँ; भोजन का अधिकार अभियान यहाँ)*

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) की धारा 5(1)b के अनुसार:

- कक्षा 8 तक का हर बच्चा या 6 से 14 वर्ष का हर बच्चा हर स्कूली दिन एक मुफ़्त मध्याह्न भोजन पाने का पात्र है।
- कक्षाओं 1 से 5 के लिए भोजन में कम-से-कम 450 कैलोरी और कक्षाओं 6 से 8 के लिए भोजन में कम-से-कम 750 कैलोरी होनी चाहिए। NFSA अनुसूची II (4,5)।
- यहाँ MDM के अनुसार, भोजन की मात्राएँ इस प्रकार हैं:

बिंदु	प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	उच्चतर प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)
कैलोरी	450	700
प्रोटीन (ग्राम में)	12	20
चावल/गेहूँ (ग्राम में)	100	150
दाल (ग्राम में)	20	30
सब्ज़ियाँ (ग्राम में)	50	75
तेल और वसा (ग्राम में)	5	7.5

3. आवेदन कार्यविधि

- सभी सरकारी स्कूलों की कक्षाओं 1 से 8 में मध्याह्न भोजन योजना पहले से ही होनी चाहिए।
- अगर योजना नहीं है, तो बच्चों के माता-पिता सीधे संबंधित स्कूल में आवेदन कर सकते हैं।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

रोज़ाना दो माता-पिता को भोजन का निरीक्षण करने का अधिकार है। अगर भोजन की मात्रा या गुणवत्ता में कोई समस्या हो तो:

- सीधे स्कूल में शिकायत करें;
- फोन: 0612-223 1005 पर संपर्क करें (यहाँ)।
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार मध्याह्न भोजन प्राधिकरण (दोपहर) के PIO (जन सूचना अधिकारी) के यहाँ RTI दायर करें (संपर्क यहाँ हैं)।

C) आय

1. आय - मनरेगा (MGNREGA)

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी रोज़गार योजनाओं में से एक है। भारतीय नागरिकों की एक बड़ी संख्या इस योजना से लाभ पाती है। यह योजना सभी ग्रामीण परिवारों, चाहे वे ग़रीबी रेखा से नीचे हों या नहीं, को वर्ष में कम-से-कम 100 दिन सरकारी लोक निर्माण कार्यक्रमों (सड़कें, सिंचाई आदि) में रोज़गार देती है। इसके पीछे की आशा यह है कि इस आय से, और योजना के तहत बेहतर हुए बुनियादी ढाँचे से, ग्रामीण परिवारों को पलायन करके शहर जाने की बजाए गाँव में ही रुकने में मदद मिलेगी।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (यहाँ)
- मनरेगा (MGNREGA) (यहाँ)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

बिहार सरकार (यहाँ)

- ग्रामीण विकास विभाग (यहाँ)
- बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम
- बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

2. पात्रता (सर्वोत्तम संदर्भ: *राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 यहाँ*)

a) ***महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/MGNREGA)***

- हर वर्ष हर ग्रामीण परिवार को (18 वर्ष या अधिक के किसी भी वयस्क को) 100 दिन रोज़गार। मनरेगा (MGNREGA) धारा 3(1)।
- आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम मिल जाना चाहिए। धारा 7(1) और अनुसूची II, धारा 6।
- कम-से-कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएँ हों। अनुसूची II, धारा 6।
- छः वर्ष से छोटे बच्चों को देखभाल प्रदान की जाए। अनुसूची II, धारा 28।
- यथा निर्धारित पर कम-से-कम ₹210 प्रतिदिन का न्यूनतम वेतन दिया जाए। धारा 6 और यहाँ देखें - मार्च 2020।
- अगर काम उपलब्ध न हो, तो 15 दिनों के भीतर बेरोज़गारी भत्ता मिलना चाहिए - 30 दिनों तक 33% और उसके बाद 50%। धारा 7(1) और (2)।
- काम उसी प्रखंड के भीतर होना चाहिए जहाँ आवेदक काम करता है और अगर घर से 5 किमी से ज़्यादा दूर हो तो यात्रा भत्ता दिया जाना चाहिए। अनुसूची II, धारा 12।
- काम की जगह पर साफ़ पेयजल, आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों की देखभाल और आराम के लिए छाया की व्यवस्था हो। अनुसूची II, धारा 27।
- मनरेगा (MGNREGA) कार्य के कारण मनरेगा (MGNREGA) कर्मी की मौत होने या उसके दिव्यांग हो जाने की दशा में उसका परिवार ₹25,000 का पात्र है। अनुसूची II, धारा 26।
- पिछले वित्त वर्ष में 15 दिन से अधिक समय तक काम कर चुके सभी मनरेगा (MGNREGA) कर्मी प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र हैं।

3. आवेदन कार्यविधि

मनरेगा (MGNREGA)

- यहाँ पता करें कि आपके पास पहले ही जॉब कार्ड है या नहीं;
- अगर नहीं तो अपने यहाँ की पंचायत में जॉब कार्ड के लिए आवेदन करें, जॉब कार्ड 5 वर्ष तक मान्य होता है) (अनुसूची II, धारा 3);
- पंचायत में काम के लिए आवेदन करें (अनुसूची II, धारा 9);
- 15 दिनों के भीतर काम पाएँ (अनुसूची II, धारा 6); और
- 14 दिनों के भीतर भुगतान पाएँ (धारा 3(3))।

4. पक्षधरता

- सीधे मनरेगा (MGNREGA) शिकायत निवारण तंत्र में यहाँ शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें ;
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- ग्रामीण विकास मंत्रालय में RTI दायर करें (संपर्क यहाँ या ऑनलाइन यहाँ)।

2. आय - पेंशन

पेंशन वे नक़द भुगतान हैं जो सरकार ग़रीबी रेखा से नीचे जी रहे लोगों को तब देती है जब वे, अपनी ख़ुद की किसी भी ग़लती के बिना, नियमित आय अर्जित करने योग्य नहीं रहते हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (यहाँ)
- अटल पेंशन योजना (यहाँ)

बिहार सरकार

- समाज कल्याण विभाग (यहाँ और यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: NSAP 2014 दिशानिर्देश यहाँ; भोजन का अधिकार यहाँ और यहाँ)*

a) **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** आयु 60-79, ₹200# प्रतिमाह; 80 वर्ष या अधिक, ₹500 प्रतिमाह। NSAP 2014 दिशानिर्देश, पृष्ठ 6, पैरा 2.3।

b) **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना*** आयु 40-79, ₹300# प्रतिमाह; 80 वर्ष या अधिक, ₹500 प्रतिमाह। NSAP 2014 दिशानिर्देश, पृष्ठ 6, पैरा 2.3।

c) **अशक्तता पेंशन*:** आयु 18-79, 80% से अधिक अशक्तता से ग्रस्त, ₹300# प्रतिमाह; 80 वर्ष या अधिक, ₹500 प्रतिमाह (पैरा 2.3)। इस नियमावली में यहाँ अशक्तता अनुभाग भी देखें।

****ध्यान दें:*** * से चिह्नित पेंशन योजनाओं का एक तय वार्षिक बजट होता है, इसलिए मानदंड संतुष्ट करना इस बात की गारंटी नहीं है कि चालू वित्त वर्ष में आपको लाभ मिलेंगे ही।

राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इतनी ही धनराशि का योगदान करें (पैरा 2.4.1) ताकि कुछ राज्यों में पेंशन अधिक हो सके।

3. आवेदन कार्यविधि

सभी पेंशनों के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक को कोई दूसरी पेंशन न मिल रही हो।

सभी योजनाओं के लिए इस कार्यविधि का पालन करें:

- पंचायत या स्थानीय प्रखंड कार्यालय में दस्तावेज़ जमा करें (दस्तावेज़ों की सूची नीचे है)।
- पंचायत/प्रखंड जाँच करेंगे, उसके बाद दस्तावेज़ समाज कल्याण विभाग में जमा करेंगे।
- (आशा है कि) समाज कल्याण विभाग आवेदन मंज़ूर कर देगा।
- पेंशन मंज़ूरी दिनांक से PO (डाकघर)/बैंक खाते में जमा हो जानी चाहिए और उसका भुगतान किया जाना चाहिए।

हर योजना के लिए दस्तावेज

a) वृद्धावस्था पेंशन

- फ़ॉर्म (यहाँ से डाउनलोड करें)
- आयु का प्रमाण (आम तौर पर जन्म प्रमाणपत्र)
- ग़रीबी रेखा से नीचे होने (BPL) का प्रमाण
- 5 वर्ष के निवास का प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या दो पड़ोसियों की गवाही)
- बैंक खाता संख्या (9 अंकों की MICR संख्या और 7 अंकों की IFSC संख्या)
- एक फोटो
- शपथपत्र जिसमें नाम, पता और कोई भी दूसरी पेंशन न मिल रही होने के तथ्य की बयानी हो।

b) विधवा पेंशन

- फ़ॉर्म (यहाँ से डाउनलोड करें)
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
- ग़रीबी रेखा से नीचे होने (BPL) का प्रमाण
- 5 वर्ष के निवास का प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या पड़ोसी, विधायक, या स्थानीय दुकानदार की अपने कार्ड की फोटोकॉपी पर गवाही)
- बैंक खाता संख्या (9 अंकों की MICR संख्या और 7 अंकों की IFSC संख्या)
- एक फोटो
- शपथपत्र जिसमें नाम, पता, परिवार के सभी सदस्यों, कोई भी दूसरी पेंशन न मिल रहे होने के तथ्य, पति की मृत्यु के बाद दोबारा विवाह नहीं करने के तथ्य, और यदि दोबारा विवाह करती हैं तो सरकार को सूचित करने के वचन की बयानी हो।

c) अशक्तता पेंशन

- फ़ॉर्म (यहाँ से डाउनलोड करें)
- 80% से अधिक अशक्तता दिखाने वाला अशक्तता प्रमाणपत्र
- 5 वर्ष के निवास का प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या दो पड़ोसियों की गवाही)
- बैंक खाता संख्या (9 अंकों की MICR संख्या और 7 अंकों की IFSC संख्या)
- एक फोटो
- शपथपत्र जिसमें नाम, पता और कोई भी दूसरी पेंशन न मिल रही होने के तथ्य की बयानी हो।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- पंचायत में दोबारा पूछताछ करें;
- ज़िला परिवीक्षा अधिकारी से अपील करें, उनके पास पेंशन संबंधी मामलों में थोड़ी शक्तियाँ होती हैं;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार समाज कल्याण विभाग के PIO (जन सूचना अधिकारी) के पास RTI दायर करें (RTI की जानकारी यहाँ है)।

5. सफलता की कहानी

यहाँ परिचय में राजू की अशक्तता पेंशन पाने में सफलता की कहानी देखें।

3. आय - बेटी होने पर वित्तीय प्रोत्साहन

भारत में लिंगानुपात ख़राब है और कन्या भ्रूणहत्या की दर अधिक है। भारतीय परिवार बेटियों को महत्व दें और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दें इस लक्ष्य के साथ सरकार ने विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं जिनके तहत सरकार बेटियों के पैदा होने पर, उन्हें टीके लगवाए जाने पर, और उच्चतर शिक्षा के विभिन्न स्तर पूरे करने पर उनके नाम में पैसे जमा करती है।

सं1. बंधित विभाग

केंद्र सरकार

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यहाँ और चाइल्डलाइन यहाँ)*

a) **बालिका समृद्धि योजना**: सभी बेटियों के लिए माता को ₹500 नक़द ट्रांसफ़र करती है और शिक्षा के विभिन्न चरणों में अतिरिक्त भुगतान देती है: कक्षा 1-3 ₹300 प्रतिवर्ष, कक्षा 4 ₹500, कक्षा 5 ₹600, कक्षा 6 व 7 ₹700 प्रत्येक, कक्षा 8 ₹800, कक्षा 9 व 10 ₹1,000 प्रत्येक (यहाँ देखें)।

b) **धनलक्ष्मी**: यह केवल कुछ प्रखंडों में लागू है, जिसमें बिहार का सोनो प्रखंड शामिल है (पुस्तिका का पृष्ठ 11 *यहाँ* देखें)। यह योजना 19 नवंबर, 2008 के बाद जन्मी सभी बेटियों को ₹5,000 का नक़द ट्रांसफ़र प्रदान करती है और निम्नलिखित के अनुसार अतिरिक्त भुगतान प्रदान करती है:
   - **टीकाकरण:** छः सप्ताह पर ₹200, 14 सप्ताह पर ₹200, 9 माह पर ₹200, 16 माह पर ₹200, 24 माह पर ₹200 और पूर्ण टीकाकरण पूरा कर लेने पर ₹250।
   - **शिक्षा:** प्राथमिक स्कूल में नामांकन पर - ₹1,000; कक्षा 1 (उपस्थिति सहित) ₹500; कक्षा 2 (उपस्थिति सहित) ₹500; कक्षा 3 (उपस्थिति सहित) ₹500; कक्षा 4 (उपस्थिति सहित) ₹500; कक्षा 5 (उपस्थिति सहित) ₹500; माध्यमिक स्कूल में नामांकन पर ₹1,500; कक्षा 6 में (उपस्थिति सहित) ₹750; कक्षा 7 ₹750; कक्षा 8 ₹750।

c) **मुख्य मंत्री कन्या विवाह अनुदान योजना (MMKVY)**: जो परिवार ग़रीबी रेखा से नीचे हैं और जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹60,000 से कम है उनको, बेटी के विवाह के लिए ₹5,000 दिए जाते हैं (यहाँ "RTPS सेवाएँ/समाज कल्याण विभाग" के तहत देखें)।

d) **मुख्य मंत्री कन्या सुरक्षा योजना**: ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवार की बेटी के नाम में यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (UTI) की ओर से UTI म्यूचुअल फ़ंड के चिल्ड्रन करियर बैलेंस्ड फ़ंड में ₹2,000 का बॉन्ड। यह योजना आंगनवाड़ी केंद्र लागू करते हैं (यहाँ) देखें।

e) **सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)**: बेटी के 10 वर्ष की होने से पहले उसके नाम में खाता खोला जा सकता है (यहाँ) देखें।
   - बेटी के नाम में डाकघर में या अधिकृत बैंकों की शाखाओं में केवल एक खाता खोला जा सकता है।
   - एक वित्त वर्ष में अधिकतम ₹1,50,000/- जमा किए जा सकते हैं।
   - समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और उसे खाते में जमा कर दिया जाता है।
   - खाताधारक के 18 वर्ष की हो जाने पर शिक्षा से जुड़े ख़र्चों के लिए पिछले वित्त वर्ष की ब्याज जमा होने के समय के शेष के अधिकतम 50% को एक बार निकालने की अनुमति है।
   - खाते को भारत में कहीं भी एक से दूसरे डाकघर/बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
   - खाता खोलने के दिनांक से 21 वर्ष पूरे होने या खाताधारक का विवाह होने में से जो भी पहले हो उस पर खाता परिपक्व हो जाता है।

5. आवेदन कार्यविधि

a) **बालिका समृद्धि योजना**: यहाँ दिए गए फ़ॉर्म का उपयोग करके बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास आवेदन करें।

b) **धनलक्ष्मी**: आपका प्रखंड योजना में कवर हुआ है या नहीं यह जानने के लिए यहाँ पुस्तिका का पृष्ठ 11 देखें। अगर हाँ तो,

- पंचायत में बेटी के जन्म का पंजीकरण करें
- माँ के द्वारा डाकघर में ज़ीरो बैलेंस खाता खुलवाएँ
- टीके लगवाकर आंगनवाड़ी कार्यकत्री से उन्हें रिकॉर्ड करवाएँ
- प्रधानाध्यापक से नामांकन रिकॉर्ड करवाएँ

c) **MMKVY**: यहाँ दिया गया आवेदन फ़ॉर्म भरकर प्रखंड विकास अधिकारी के पास जमा करें।

- ज़रूरी दस्तावेज़: 1) BPL प्रमाणपत्र, या 2) आय प्रमाणपत्र।

d) **MMKSY**: आवेदन फ़ॉर्म बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास जमा करें।

- ज़रूरी दस्तावेज़: 1) परिवार का BPL प्रमाणपत्र, 2) जन्म पंजीकरण।

e) **SSY**: जिस बेटी के नाम में खाता खुलवाना है उसका जन्म प्रमाणपत्र जमा करना ज़रूरी है। खाता कम-से-कम ₹250/- से खोला जा सकता है और उसके बाद ₹100/- के गुणक में कोई भी रक़म जमा की जा सकती है। एक वित्त वर्ष में कम-से-कम ₹250/- जमा करना ज़रूरी है।

6. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी (BDO), या जहाँ भी आपने आवेदन किया था वहाँ एक बार फिर पूछें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार समाज कल्याण विभाग के PIO (जन सूचना अधिकारी) के पास RTI दायर करें (RTI की जानकारी यहाँ है)।

4. आय - जीवन बीमा

किसी परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत हो जाने पर वह परिवार ग़रीबी के दलदल में फँस सकता है। जीवन बीमा, ऐसी मौतों के आर्थिक तनाव को घटाने के लिए होता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) (यहाँ)
- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (यहाँ)
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (यहाँ)
- प्रधान मंत्री जन धन योजना (यहाँ)

बिहार सरकार

- समाज कल्याण विभाग (यहाँ)।

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया यहाँ 2013)*

a) आम आदमी बीमा योजना (जानकारी यहाँ देखें)

- परिवार BPL (ग़रीबी रेखा से नीचे) या उससे ज़रा सा ऊपर होना चाहिए (यहाँ नं. 4 देखें)
- आवेदक को परिवार का मुखिया होना चाहिए या परिवार का एक कमाऊ सदस्य कुछ पेशों विशेष में से एक से संबंधित होना चाहिए या वह परिवार ग्रामीण भूमिहीन परिवार (रूरल लैंडलैस हाउसहोल्ड, RLH) होना चाहिए (यहाँ देखें)।
- आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए (यहाँ देखें)
- आवेदक की मौत हो जाने पर, परिवार को ₹30,000 मिलते हैं (यहाँ देखें)।
- दुर्घटना के कारण मौत होने पर या स्थायी संपूर्ण अशक्तता (2 आँखों या 2 हाथों/2 पैरों/1 हाथ + 1 पैर की हानि) होने पर परिवार को ₹75,000 मिलते हैं (यहाँ लाभ सं. ii देखें)।
- दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी अशक्तता (एक आँख या एक हाथ/पैर की हानि) होने पर परिवार को ₹37,500 मिलते हैं (यहाँ लाभ सं. ii देखें)।
- छात्रवृत्ति लाभ: लाभार्थी के ऐसे अधिकतम दो बच्चों को मुफ़्त अतिरिक्त लाभ जो 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, लाभ की राशि ₹100 प्रतिमाह प्रतिबच्चा, प्रतिवर्ष है (यहाँ लाभ सं. iii देखें)।
- प्रीमियम ₹200 प्रतिवर्ष है जिसका 50% सरकार देती है (यहाँ प्रीमियम देखें)।

b) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFSB) (यहाँ 2014)

- किसी BPL परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य (आयु 18-65) की मौत होने पर ₹20,000 की सहायता (₹10,000 केंद्र की ओर से और ₹10,000 राज्य की ओर से)।

3. आवेदन कार्यविधि

a) आम आदमी बीमा योजना

- यहाँ दिया गया फ़ॉर्म भरकर सीधे LIC में आवेदन करें।
- ज़रूरी दस्तावेज़ (जानकारी यहाँ देखें):
  - राशन कार्ड
  - जन्म पंजी से प्राप्त सारांश
  - स्कूल प्रमाणपत्र से प्राप्त सारांश
  - मतदाता सूची
  - प्रतिष्ठित नियोक्ता/सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र।
  - विशिष्ट पहचान पत्र (आधार कार्ड)

b) कमाऊ सदस्य की मौत (NFBS)

- फ़ॉर्म (यहाँ से डाउनलोड करें)
- कमाऊ सदस्य का मृत्यु प्रमाणपत्र
- पाँच वर्ष के निवास का प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, या पड़ोसी, विधायक, दुकानदार आदि की गवाही)
- बैंक खाता संख्या (9 अंकों की MICR संख्या और 7 अंकों की IFSC संख्या)
- फोटो
- शपथपत्र जिसमें नाम, पता, आयु, कोई दूसरी पेंशन न मिल रहे होने के तथ्य, और कमाऊ सदस्य की मौत के समय उत्तरजीवी वयस्क की आयु 18-64 वर्ष होने के तथ्य की बयानी हो।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- आम आदमी बीमा योजना के लिए LIC कार्यालय में शिकायत करें; NFBS के लिए पंचायत या स्थानीय प्रखंड कार्यालय में शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- आम आदमी बीमा योजना के लिए LIC में या NFBS के लिए बिहार समाज कल्याण विभाग में RTI दायर करें (जानकारी यहाँ है या ऑनलाइन यहाँ है।)

5. आय - रोज़गारी प्रशिक्षण

भारत सरकार स्कूल बीच में छोड़ने वाले लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें काम पर रखा जा सके। पूरे देश में जन शिक्षा संस्थान और PMKVY के प्रशिक्षण केंद्र हैं जो उचित गुणवत्ता वाले रोज़गारी कौशल और तकनीकी जानकारी बहुत ही कम क़ीमत पर और पहले से कोई शैक्षिक योग्यता होने की ज़रूरत के बिना देते हैं। इसे मलिन बस्तियों और दूर-दराज़ के ग्रामीण इलाक़ों के लोगों के लिए बनाया गया है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (यहाँ)
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: जन शिक्षण संस्थान यहाँ और PMKVY 3.0 यहाँ 2020-21)*

a) जन शिक्षण संस्थान (JSS)

- जन शिक्षण संस्थान पहले से कोई शैक्षिक योग्यता होने की ज़रूरत के बिना, बेहद कम क़ीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाले रोज़गारी कौशल और तकनीकी जानकारी देता है।
- इसे मलिन बस्तियों और दूर-दराज़ के ग्रामीण इलाक़ों के लोगों के लिए बनाया गया है।
- यहाँ मोमबत्ती बनाने और सिलाई से लेकर कंप्यूटर पाठ्यक्रमों तक कई प्रकार के रोज़गारी पाठ्यक्रम (लगभग 371) उपलब्ध हैं (यहाँ देखें)।
- बिहार में 13 JSS हैं जो अरवाल, औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, मुंगेर, मुज़फ़्फ़रपुर, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, सोनपुर और वैशाली में स्थित हैं (उनके पते जानने के लिए यहाँ "Find JSS" (JSS ढूँढें) पर जाएँ)।

b) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (यहाँ)

- सारी फ़ीस सरकार चुकाती है।
- कॉलेज या स्कूल बीच में छोड़ने वाले या बेरोज़गार लोगों के लिए (यहाँ 'Short Term Training' (अल्पकालिक प्रशिक्षण) के तहत देखें)।
- लघु पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण, जैसे व्यवहार कौशल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता (PMKVY दिशानिर्देश यहाँ देखें)।
- पहले जो कुछ सीखा है उसे मान्यता देने का प्रावधान (यहाँ 'Recognition of Prior Learning' (पूर्ववर्ती अधिगम को मान्यता) के तहत देखें)।
- सभी प्रशिक्षुओं को नौकरी दिलवाने की कोशिशें (यहाँ 'Placement and Post Training Support' (स्थापन और प्रशिक्षण पश्चात सहायता) के तहत देखें)।

c) प्रधान मंत्री कौशल ऋण योजना (यहाँ)

- कौशल विकास और रोज़गारी पाठ्यक्रम करना चाहने वाले युवाओं की सहायता के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लि। के तहत गारंटीशुदा ऋण सुविधा प्रदान करती है।
- आवेदकों को ₹5,000 से ₹1,50,000 तक के ऋण दिए जाते हैं। पाठ्यक्रम को जिस सेक्टर में रखा जा सकता है उस सेक्टर के आधार पर पाठ्यक्रम की मासिक फ़ीस/ट्यूशन फ़ीस और उसका NSQF स्तर, NSDC दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है। बैंक यही राशि ऋण के रूप में देता है।
- पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए जो भी अन्य उचित व्यय ज़रूरी हो उसे भी ऋण के लिए माने गए व्ययों में शामिल कर लिया जाता है। पर बैंकों के पास यह आज़ादी है कि वे योग्यता के आधार पर ऐसे व्ययों का चयन कर सकते हैं।
- बैंक/MFI (सूक्ष्म वित्त संस्थान) विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के बारे में गंभीर बनाए रखने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में एक छोटी सी राशि ले सकते हैं। पर ऋण अवधि के दौरान चुकाया गया डाउन पेमेंट और ब्याज की राशि साथ मिलकर ऋण की कुल राशि के 10% से अधिक नहीं होंगे।

- इस ऋण पर बैंक की आधार दर से 1.5% अधिक की ब्याज दर लगाई जाएगी। जो राशि देय दिनांक निकल जाने पर भी नहीं चुकाई गई है उस पर 2% तक की दंड ब्याज लगाई जाएगी।

3. आवेदन कार्यविधि

a) जन शिक्षण संस्थान

- छमाही पाठ्यक्रमों के लिए अप्रैल और अक्तूबर में प्रवेश होते हैं। फ़ीस ₹100 है।
- सीधे प्रवेश के लिए प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क करें (यहाँ "Find JSS" (JSS ढूँढें) पर जाएँ और अपने क्षेत्र पर क्लिक करें)।
- प्रवेश के लिए ज़रूरी दस्तावेज़: राशन कार्ड, 2 पहचान प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज़ के 4-5 फोटो।

b) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

- सीधे प्रशिक्षण केंद्र में आवेदन करें (नज़दीकी प्रशिक्षण केंद्र यहाँ ढूँढें)।

c) प्रधान मंत्री कौशल ऋण योजना

- किसी भी निर्दिष्ट संस्थान या प्रशिक्षण केंद्र के किसी रोज़गारी या कौशल-आधारित कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाला कोई भी विद्यार्थी इस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी आवेदन फ़ॉर्म (राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपलब्ध) को भरकर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की या RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा नियंत्रित किसी भी सूक्ष्म वित्त संस्थान (माइक्रो फ़ाइनेंस इंस्टीट्यूशन, MFI) की नज़दीकी शाखा में जमा करना होगा।
- फ़ॉर्म के साथ प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ-साथ पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड संख्या उसके समतुल्य कोई अन्य दस्तावेज़ जमा करना होगा।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- आपने जहाँ भी आवेदन किया था वहाँ दोबारा शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- संबंधित JSS (संपर्क विवरण यहाँ है) में या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (संपर्क यहाँ हैं) में या ऑनलाइन यहाँ RTI दायर करें।

6. आय - ड्राइविंग लाइसेंस

जो व्यक्ति अधिक शिक्षित नहीं है उसके लिए ड्राइविंग आय का एक अच्छा स्रोत हो सकती है।

1. संबंधित विभाग

बिहार सरकार

- बिहार राज्य परिवहन विभाग (यहाँ)

2. पात्रता (*सर्वोत्तम संदर्भ: बिहार राज्य परिवहन यहाँ*)

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार (यहाँ)

- प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस - केवल छः माह तक मान्य।
- स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस - प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने के कम-से-कम एक माह बाद।

आयु पात्रता

आयु कम-से-कम 18 वर्ष हो, इसके दो अपवाद हैं:

- दोपहिया वाहनों/50 cc तक के गियर-हीन वाहनों के लिए 16 वर्ष।
- वाणिज्यिक वाहनों के लिए 20 वर्ष।

3. आवेदन कार्यविधि

- आवेदन दिशानिर्देशों के लिए यहाँ या यहाँ देखें।
- आपको इनसे संबंधित एक टैस्ट भी पास करना होगा:
  - यातायात चिह्न, यातायात संकेत और धारा 118 के तहत बनाए गए सड़क विनियम;
  - जब किसी ड्राइवर के वाहन से हुई किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाए या उसे शारीरिक चोट पहुँचे या किसी तृतीय पक्ष की संपत्ति को नुक़सान हो तो उस समय ड्राइवर के क्या कर्तव्य हैं;
  - बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ; और
  - वे दस्तावेज़ जो उसे कोई भी मोटर वाहन चलाते समय साथ रखने चाहिए।
- ड्राइविंग सीखें!
- यहाँ जाएँ, "Apply for Driving License" (ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करें) पर क्लिक करें और निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:
  - ड्राइविंग टैस्ट में पास होने का परिणाम;
  - प्रशिक्षु लाइसेंस;
  - चिकित्सा प्रमाणपत्र;
  - तीन पासपोर्ट-साइज़ फोटो;
  - फ़ीस;
  - आयु का प्रमाण;
  - पते का प्रमाण;
  - अगर आयु 18 वर्ष से कम हो तो अभिभावकीय सहमति।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- आपने जहाँ भी आवेदन किया था वहाँ दोबारा शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- यहाँ परिवहन विभाग में RTI दायर करें।

7. आय - स्वयं सहायता समूहों

ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण लोगों के बचत समूह बनाने का लक्ष्य रखता है ताकि उन्हें छोटे कारोबार शुरू करने के लिए पैसे मिल सकें।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (यहाँ)

बिहार सरकार

- ग्रामीण विकास विभाग (यहाँ)
- बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी (BRLPS) (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी यहाँ 2010 और यहाँ और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना दिशानिर्देश यहाँ)*

a) **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NLRM)** (जिसे पहले स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना - SGSY कहा जाता था) (सारांश यहाँ देखें)।

- हर प्रखंड से परिवारों को (जो अक्सर ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवार होते हैं) 10-20 लोगों के स्वयं-सहायता समूह बनाने को बुलाया जाता है।
- कुछ समय तक बचत करने के बाद, वह समूह कोई कारोबार शुरू करने के लिए बैंकों या सरकार से ऋण पाने का पात्र हो जाता है।

b) **आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना** (यहाँ)

- यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत एक उप-योजना है जो, राज्यों द्वारा पहचाने गए पिछड़े ग्रामीण इलाक़ों में, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के स्वयं-सहायता समूहों (SHG) द्वारा संचालन को सुगम बनाकर, उक्त समूहों के सदस्यों को वैकल्पिक आजीविका स्रोत प्रदान करने के लिए है।
- यह योजना DAY-NRLM के ढाँचे के भीतर उपलब्ध सहायताओं का उपयोग करते हुए, दूर-दराज़ के गाँवों को मुख्य सेवाओं और सुविधाओं (जिनमें बाज़ारों, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुँच शामिल है) से जोड़ने के लिए, सुरक्षित, किफ़ायती और समुदाय की निगरानी में चलने वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएँ प्रदान करने के लिए भी है।
- इस कार्यक्रम के तहत, DAY-NRLM योजना के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत समुदाय-आधारित संगठनों (कम्युनिटी-बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन, CBO) को दी गई समुदाय निवेश निधि (कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड, CIF) का उपयोग सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के संचालन में SHG सदस्यों की सहायता के लिए प्रयोग किया जाएगा। राज्य दो में से एक विकल्प चुन सकते हैं:
  - CBO अपने CIF कोष में से वाहन का वित्तपोषण करे और उसे SHG सदस्य को किराये पर दे, और वह सदस्य वाहन संचालन के लिए मासिक किराये का भुगतान करे
  - CBO वाहन ख़रीदने के लिए SHG सदस्य को ब्याज-मुक्त ऋण दे, ऋण चुकाने की अवधि 6 वर्ष होगी।

3. आवेदन कार्यविधि

NLRM: प्रखंड विकास अधिकारियों के पास

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

- SECC आँकड़ों पर आधारित ग़रीबी की स्थिति के मानदंडों और सेवा को चलाने व संभाल पाने की योग्यता के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाता है। यह ज़रूरी है कि SHG सदस्य:
  - पढ़ा-लिखा हो;

- के पास मान्य कमर्शियल (वाणिज्यिक) ड्राइविंग लाइसेंस हो;
- या फिर, उसे किसी ऐसे परिजन का नाम बताना चाहिए जिसके पास मान्य कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है या किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखना चाहिए जिसके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है। SHG सदस्य वाहन संचालन से हुई कमाई में से ड्राइवर का वेतन देगा।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- आपने जहाँ भी आवेदन किया था वहाँ दोबारा शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- जहाँ आपने आवेदन किया था वहाँ RTI दायर करें: ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण या प्रखंड विकास कार्यालय

5. सफलता की कहानी

छतरपुर ज़िले के खैरो गाँव में एक स्वयं सहायता समूह बनाया गया। समूह को स्वर्ण जयंती रोज़गार योजना के तहत एक ग्रामीण बैंक से ₹1,00,000 का ऋण मिल गया जिससे उसने 48 बकरियाँ और 2 बकरे ख़रीदे। अब उनके पास 103 बकरे-बकरियाँ हैं जिन्हें वे ₹2,000 प्रत्येक की दर पर बेच सकते हैं। समूह की महिलाएँ बहुत ख़ुश हैं।

8. आय - सूक्ष्म उपक्रमों का वित्तीयन (फ़ाइनेंसिंग)

भारत सरकार असंगठित उपक्रम क्षेत्र को उनका कारोबार बढ़ाने के लिए ऋण पाने में मदद दे रही है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्तीयन अभिकरण (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफ़ाइनेंस एजेंसी, MUDRA (मुद्रा)) (यहाँ)
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय - खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, KVIC यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: मुद्रा (MUDRA) यहाँ 2019)*

a) मुद्रा (MUDRA)

- लघु व्यावसायिक उपक्रमों के लिए ऋण, लघु इकाइयों (शिशु) के लिए ₹50,000 तक का ऋण
- मध्यम इकाइयों (किशोर) के लिए ₹50,000 - 5 लाख तक का ऋण
- कोई ज़मानत या प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं
- चुकौती अवधि 5 वर्ष

b) स्टैंड-अप इंडिया

- विनिर्माण, ट्रेड या सेवा क्षेत्र में नया उपक्रम स्थापित कर रहे अजा/अजजा या महिला उद्यमियों के वित्तीयन (फ़ाइनेंसिंग) की योजना
- मिश्रित ऋण राशि 10 लाख से 1 करोड़

c) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

- ऐसे उद्यमी या व्यवसाय को ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है जो स्थापित है पर जिसे विस्तार के लिए सहायता चाहिए। कोई ज़मानत ज़रूरी नहीं।

d) **राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना** (नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, NAPS)

- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों (विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों) को आर्थिक सहायता (जानकारी यहाँ देखें)
- बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ बुनियादी प्रशिक्षण की लागत का साझाकरण, प्रति प्रशिक्षु 500 घंटों/3 माह के लिए अधिकतम ₹7,500
- सरकार प्रशिक्षु को दिए गए स्टाइपेंड के 25% की प्रतिपूर्ति देती है, प्रतिपूर्ति की ऊपरी सीमा ₹1,500 प्रति माह है

e) प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP यहाँ)

- नया उपक्रम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता, इसे राष्ट्रीय स्तर पर KVIC द्वारा और राज्य के स्तर पर राज्य के KVIC निदेशालयों, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (KVIB), ज़िला उद्योग केंद्रों (DIC) और बैंकों द्वारा लागू किया जाता है।
- परियोजना की अधिकतम लागत, विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 10 लाख है।
- ऋण का स्थगन, ब्याज दर और अवधि बैंक द्वारा तय किए जाते हैं

3. आवेदन कार्यविधि

a) **मुद्रा (MUDRA)**: इन दस्तावेज़ों के साथ किसी भी बैंक में आवेदन करें:

- पूरा भरा फ़ॉर्म (यहाँ)
- पहचान और निवास का प्रमाण
- दो फोटो

- ऋण से ख़रीदी जाने वाली मशीनों आदि के कोटेशन
- मशीनों आदि के आपूर्तिकर्ता का नाम
- व्यावसायिक उपक्रम की पहचान/निवास का प्रमाण
- आवेदक की श्रेणी (अजा/अजजा/अल्पसंख्यक आदि) का प्रमाण

b) **स्टैंड-अप इंडिया**
- जानकारी वेबसाइट पर यहाँ उपलब्ध हैं; मेन्यू में "Stand up India Scheme" (स्टैंड अप इंडिया योजना) ढूँढें और दिए गए लिंकों पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें (यहाँ देखें)
- पात्रता:
  - अजा/अजजा या महिला उद्यमी जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो
  - ऋण केवल ग्रीन फ़ील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं (विनिर्माण, ट्रेड या सेवा क्षेत्र में पहली बार किया जा रहा उपक्रम, ग्रीन फ़ील्ड परियोजना की परिभाषा है)
  - ग़ैर-व्यक्ति आवेदकों के लिए, उपक्रम के 51% शेयर अजा/अजजा या महिला उद्यमी के नाम में होने चाहिए
  - आवेदक ने किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लिए ऋण की चुकौती में कोई चूक न की हो।

c) **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना**
- नज़दीकी मुद्रा (MUDRA) बैंक जाएँ (सूची यहाँ देखें) और ऋण आवेदन पूरा करें
- इन समर्थक दस्तावेज़ों के साथ व्यवसाय प्रस्ताव पेश करें:
  - पहचान का प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/पासपोर्ट आदि (ख़ुद अटेस्ट करना ज़रूरी है)
  - निवास का प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/पासपोर्ट/बैंक खाता/लैंडलाइन टेलीफोन का बिल/बिजली का बिल आदि (ख़ुद अटेस्ट करना ज़रूरी है)
  - दो पासपोर्ट-साइज़ फोटो
  - आयकर विवरणी (इनकम टैक्स रिटर्न) (ख़ुद के)
  - पंजीकृत पते का प्रमाण
  - व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र
  - अजा/अजजा/अपिव के लिए जाति प्रमाणपत्र
- बैंक प्रबंधक सत्यापन के बाद ऋण मंज़ूर करता है।

d) **NAPS**
- प्रशिक्षु प्रशिक्षण के ऑनलाइन कार्यान्वयन के लिए एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया ऑनलाइन पोर्टल https://apprenticeshipindia.org/ प्रयोग होता है।
- प्रशिक्षुओं के पास प्रशिक्षु प्रशिक्षण का अनुबंध होना चाहिए और उन्हें इनमें से एक होना चाहिए (यहाँ देखें):
  - ITI पाठ्यक्रम पास करने वाला प्रशिक्षु
  - ITI से दोहरे-अधिगम (डुअल-लर्निंग) के अधीन प्रशिक्षु
  - वे प्रशिक्षु जिन्होंने कोई NSQF अनुरूप अल्पकालिक पाठ्यक्रम पूरा किया है, इसमें PMKVY/DDUGKY/MES शामिल हैं
  - किसी भी विषय वर्ग में स्नातक/अभ्यर्थी, स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे विद्यार्थी या 10+2 रोज़गारी प्रमाणपत्र धारक।
  - ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास किसी ट्रेड की ज़रूरी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है और जिन्होंने कोई औपचारिक ट्रेड प्रशिक्षण नहीं लिया है (नए प्रशिक्षु)।
- प्रशिक्षु की आयु कम-से-कम 14 वर्ष हो, उसके पास ट्रेड के लिए निर्धारित शैक्षिक और शारीरिक योग्यताएँ हों और वह प्रशिक्षु अधिनियम (अप्रेंटिस एक्ट), 1961 की अन्य आवश्यकताएँ संतुष्ट करता हो, वह पोर्टल पर पंजीकरण करे और उसके पास आधार संख्या हो।

e) **PMEGP**
- KVIC, राज्य KVIB, राज्य DIC और बैंकों के प्रतिनिधियों को मिलाकर बने कार्यबल, जिसके प्रमुख संबंधित जिलाधिकारी, उपायुक्त या समाहर्ता होते हैं, द्वारा ज़िला स्तर पर पहचाने और चुने गए लाभार्थी।

- बैंक या DIC के पास जाकर फ़ॉर्म भरें या यहाँ ऑनलाइन आवेदन पूरा करें
- पात्रता:
  - 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
  - शैक्षिक योग्यता: विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में ₹5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम-से-कम कक्षा 8 उत्तीर्ण हो।
  - PMEGP के तहत मंज़ूरी के लिए केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है।
  - ऐसे स्वयं-सहायता समूह (ग़रीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के समूह शामिल) जिन्होंने किसी दूसरी योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किए हैं

4. पक्षधरता

- जिस बैंक में आपने आवेदन किया था वहाँ के प्रबंधक से दोबारा शिकायत करें;
- help@mudra.org। in पर ई-मेल करें या यहाँ स्टैंड-अप इंडिया की साइट का उपयोग करके सहायता पाएँ
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- यहाँ ऑनलाइन अथवा नीचे दिए पते पर स्वयं आकर RTI दायर करें:
  - MSME विकास केंद्र
  - C-11 G ब्लॉक
  - बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स
  - बांद्रा पू. , मुंबई 400 051

D) स्वास्थ्य

1. स्वास्थ्य - सरकारी अस्पताल

सरकारी अस्पतालों को सभी को मुफ़्त परामर्श, उपचार और दवाएँ देनी चाहिए। पर अफ़सोस, भारत में सार्वजनिक अस्पतालों को ज़रूरत से बहुत कम वित्त मिलता है, जिस कारण अस्पतालों की, चिकित्सकों की और दवाओं की कमी है। इसलिए, अस्पतालों में बहुत भीड़ रहती है, और मध्यवर्गीय लोग निजी अस्पतालों को वरीयता देते हैं। हाल ही में सरकार ने प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना में ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निजी अस्पतालों के ज़रिए चिकित्सीय देखभाल पाने में मदद देने की कोशिश की है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (यहाँ)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार स्वास्थ्य विभाग (यहाँ)
- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: PMJAY यहाँ 2019 और NHM दस्तावेज़ 2013 यहाँ)*

a) **सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में सभी निवासियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला किफ़ायती उपचार:-**

- **ज़िला अस्पताल** (हर ज़िले में 1, जनसंख्या 20 लाख, कई चिकित्सक और कई जाँचें) (पृ. 7 यहाँ)
- **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र** (CHC) (हर तालुका/तहसील में 1, जनसंख्या 1 लाख, 4 चिकित्सक) (पृ. 7 यहाँ)
- **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र** (PHC) (हर प्रखंड में 1, जनसंख्या 30,000, 1 चिकित्सक) (पृ. 6 यहाँ)
- **उपकेंद्र** (हर 5,000 की जनसंख्या पर 1, हर उपकेंद्र में 1 ANM) (पृ. 6 यहाँ)

भारत के सभी PHC का मानचित्र देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

b) **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)**

- सभी ग़रीब परिवार पात्र होने चाहिए (पात्रता जाँचने के लिए यहाँ जाएँ और अपना मोबाइल नंबर डालें)।
- पात्र परिवारों को एक ई-कार्ड मिलता है।
- प्रति वर्ष प्रति परिवार अधिकतम ₹50,000 तक का उपचार।
- पंजीकृत अस्पतालों में उपचार (पंजीकृत अस्पताल देखने के लिए यहाँ) जाएँ।

3. आवेदन कार्यविधि

a) **नियमित निवासियों** के लिए: किसी भी सरकारी अस्पताल या CHC जाकर क़तार में इंतिज़ार करें (मानचित्र के लिए यहाँ जाएँ)।

b) **PMJAY** ई-कार्ड धारकों के लिए (पूरी प्रक्रिया इस दस्तावेज़ में यहाँ पृष्ठ 6 पर देखें):

- पात्रता जाँचने के लिए यहाँ जाएँ या 1800111565 पर फोन करें।
- परिवार में सदस्यों की संख्या या सदस्यों की आयु की कोई ऊपरी सीमा नहीं। नामित परिवारों के सभी सदस्यों को कवरेज मिलती है।
- द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती को कवर करती है।
- सभी सरकारी और पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ़्त उपचार उपलब्ध।
- ई-कार्ड से पूरे देश में कहीं भी लाभ ले सकते हैं। पात्र लाभार्थी पूरे भारत में सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

- 1,350 चिकित्सा पैकेज जो सर्जरी, चिकित्सा, दिवसीय देखभाल (डे केयर) उपचारों, दवाओं और जाँचों की लागत को कवर करते हैं।
- पहले से मौजूद सारे रोग कवरेज में शामिल हैं।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- संबंधित अस्पताल के **चिकित्सा अधीक्षक (मेडिकल सुपरइंटेंडेंट)** से लिखित शिकायत करें;
- अस्पताल जिस ज़िले में है उस ज़िले के **मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO)** से शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार स्वास्थ्य विभाग में RTI दायर करें।

2. स्वास्थ्य - गर्भावस्था और प्रसव

भारत में मातृ मृत्यु दर अभी-भी अधिक है। JSY, आशा (ASHA) और दूसरी योजनाएँ गर्भावस्था के दौरान नियमित जाँच करवाने और प्रसव किसी CHC या अस्पताल में करवाने के लिए महिलाओं को प्रेरित करने हेतु बनाई गई हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (यहाँ)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (यहाँ)
- महिला और बाल विकास मंत्रालय (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार स्वास्थ्य विभाग (यहाँ)

2. पात्रताएँ *(सर्वोत्तम संदर्भ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 यहाँ)*

a) आशा (ASHA, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट/प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकत्री)

- आशा (ASHA) स्थानीय महिलाएँ होती हैं जिन्हें गाँव के स्तर पर चुना जाता है और जो गर्भवती महिलाओं और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के बीच एक कड़ी का काम करती हैं।
- आशा के संक्षिप्त विवरण के लिए यहाँ देखें।

b) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (यहाँ)

- हर गर्भवती महिला आंगनवाड़ी भोजन की पात्र है। NFSA की धारा 4(a)।
- किस्तों में ₹6,000 का भुगतान (दिसंबर 2018 को घटाकर ₹5,000 कर दिया गया है)। NFSA धारा 4(b)।

c) प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पूर्व में IGMSY) (यहाँ देखें)

i. दूसरी तिमाही के अंत पर ₹1,500 का पहला ट्रांसफ़र किया जाता है अगर:
   - गर्भधारण के चार माह के भीतर गर्भावस्था का पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) में करा लिया हो
   - कम-से-कम एक प्रसव-पूर्व देखभाल सत्र में हिस्सा ले रही हो और IFA गोलियाँ व TT (टेटनस इंजेक्शन) ले रही हो
   - AWC में या स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में कम-से-कम एक परामर्श सत्र में हिस्सा ले रही हो।

ii. प्रसव के तीन माह बाद ₹1,500 का दूसरा ट्रांसफ़र किया जाएगा अगर:
   - बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराया हो
   - बच्चे को जन्म पर, छः सप्ताह पर और 10 सप्ताह पर OPV और BCG के टीके मिले हों
   - माँ ने प्रसव के तीन माह के भीतर कम-से-कम दो बढ़त निगरानी सत्रों में हिस्सा लिया हो।

iii. प्रसव के छः माह बाद ₹1,000 का तीसरा ट्रांसफ़र किया जाएगा अगर:
   - माँ द्वारा प्रमाणन के अनुसार, शिशु को छः महीनों तक केवल और केवल माँ के दूध पर पाला गया हो और उसे पूरक आहार दिया जा रहा हो
   - बच्चे को OPV और DPT टीके की तीसरी डोज़ मिली हो
   - माँ ने प्रसव के बाद तीसरे से छठे माह के बीच बढ़त की निगरानी, नवजात शिशु और बच्चों के पोषण तथा आहार के विषय पर संचालित कम-से-कम दो परामर्श सत्रों में हिस्सा लिया हो।

d) जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत अस्पताल में प्रसव के लिए भुगतान (यहाँ)

- यहाँ सूचीबद्ध 10 निम्न प्रदर्शन राज्यों (लो परफ़ॉर्मिंग स्टेट, LSP) ('JSY की महत्वपूर्ण विशेषताएँ' देखें), जिनमें बिहार शामिल है, की सभी महिलाओं के सभी प्रसवों के लिए भुगतान उपलब्ध हैं।
- भुगतानों की दरें नीचे दी गई हैं (यहाँ देखें ('नक़द सहायता का स्तर' देखें)।

राज्य	ग्रामीण		शहरी	
	माता	आशा	माता	आशा
LPS	1,400	600	1,000	200

e) **जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** (यहाँ 2011)

i. हर गर्भवती महिला के लिए JSSK के तहत निम्नलिखित पात्रताएँ उपलब्ध हैं:
- मुफ़्त और कैशलैस प्रसव तथा C-सेक्शन (सिज़ेरियन ऑपरेशन);
- दवाएँ, खपने वाली चीज़ें और टैस्ट, सब मुफ़्त;
- अस्पताल/CHC में ठहराव के दौरान मुफ़्त भोजन (सामान्य प्रसव के लिए 3 दिनों तक और C-सेक्शन के लिए 7 दिनों तक);
- ज़रूरत पड़ने पर मुफ़्त ख़ून; और
- सरकारी अस्पताल/CHC तक आने, वापस जाने और एक से दूसरे अस्पताल/CHC आने-जाने के लिए मुफ़्त परिवहन।

ii. बीमार नवजात शिशुओं के लिए जन्म के बाद 30 दिनों तक मुफ़्त पात्रताएँ (अब इसे विस्तार देकर 28 दिन से बड़े बीमार शिशुओं को भी शामिल कर लिया गया है):
- उपचार, दवाएँ, खपने वाली चीज़ें और टैस्ट, सब मुफ़्त
- मुफ़्त ख़ून
- सरकारी अस्पताल/CHC तक आने, वापस जाने और एक से दूसरे अस्पताल/CHC आने-जाने के लिए मुफ़्त परिवहन

3. आवेदन कार्यविधि

a) **जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** के तहत मुफ़्त प्रसव के लिए, आशा (ASHA) के साथ PHC, CHC या ज़िला अस्पताल प्रसव करवाने जाएँ।
- छुट्टी के समय ऊपर वाली सारणी के अनुसार JSY भुगतान प्राप्त करें।

b) **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना** के तहत भुगतानों के लिए, अपनी नज़दीकी आशा (ASHA) या आंगनवाड़ी से संपर्क करें। आवेदक को पहले AWC में या स्वीकृत स्वास्थ्य इकाई में पंजीकरण कराना होगा, मातृ व शिशु संरक्षण कार्ड (MCP) बनवाना होगा और उसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए:
- गर्भावस्था कार्ड
- MCP
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड (अपना और पति का)
- जन्म प्रमाणपत्र (आयु का प्रमाण)
- बिजली का बिल या लैंडलाइन फोन का बिल (निवास का प्रमाण)

4. पक्षधरता

- **उपकेंद्र/PHC/CHC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल ऑफ़िसर इन चार्ज, MOIC)** से लिखित शिकायत करें;
- अस्पताल जिस ज़िले में है उस ज़िले के **मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO)** से शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार स्वास्थ्य विभाग में RTI दायर करें।

3. स्वास्थ्य - टीकाकरण

भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर अधिक है। टीकाकरण का अभाव इसके पीछे का एक बड़ा कारण है, जिसके चलते हर वर्ष हज़ारों बच्चे ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं जिनकी रोकथाम संभव है। नीचे दी गई योजनाएँ टीकाकरण की कवरेज बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (यहाँ)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार स्वास्थ्य विभाग (यहाँ)

2. पात्रता (*सर्वोत्तम संदर्भ: सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यहाँ 2011*)

a) बिहार यहाँ उपलब्ध सरकारी अनुसूची के अनुसार सार्वभौमिक टीकाकरण करने का लक्ष्य रखता है।

आयु	टीकाकरण
जन्म से 48 घंटों के भीतर	OPV (पोलियो की पहली डोज़), हेपेटाइटिस B (पहली डोज़)
जन्म पर (अगर पहले न लगी हो तो 1 वर्ष के भीतर)	BCG (TB)
1. 5 माह (6 सप्ताह)	DPT की पहली डोज़, OPV (पोलियो की दूसरी डोज़), हेपेटाइटिस B (दूसरी डोज़)
2.5 माह (10 सप्ताह)	DPT की दूसरी डोज़, OPV (पोलियो की तीसरी डोज़), हेपेटाइटिस B (तीसरी डोज़)
3.5 माह (14 सप्ताह)	DPT की तीसरी डोज़, OPV (पोलियो की चौथी डोज़), हेपेटाइटिस B (चौथी डोज़)
9-12 माह	खसरा (पहली डोज़)
16-24 माह	DPT पहली बूस्टर डोज़, OPV (पोलियो की बूस्टर डोज़), खसरा (दूसरी डोज़)
5 वर्ष	DPT (दूसरी बूस्टर डोज़)
10 वर्ष	TT (टेटनस टॉक्सॉइड) की पहली डोज़
16 वर्ष	TT (टेटनस टॉक्सॉइड) की दूसरी डोज़

ध्यान दें : कुछ राज्यों में (मुख्य रूप से दक्षिण भारत में), जापानी इंसिफेलाइटिस (दिमाग़ी बुख़ार) और Hib (पेंटावेलेंट के रूप में) के टीके भी लगाए जाते हैं।

b) टीकाकरण स्थल:

- ग्राम स्वास्थ्य दिवसों पर आशा (ASHA) और ANM द्वारा;
- उपकेंद्र;
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC); या
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)।

3. आवेदन कार्यविधि

बच्चे को ग्राम स्वास्थ्य दिवस में, उपकेंद्र पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पर या CHC पर ले जाएँ।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- **उपकेंद्र/PHC/CHC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल ऑफ़िसर इन चार्ज, MOIC)** से लिखित शिकायत करें;
- अस्पताल जिस ज़िले में है उस ज़िले के **मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO)** से शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार स्वास्थ्य विभाग में RTI दायर करें।

4. स्वास्थ्य - TB

TB का उपचार संभव है, पर फिर भी भारत में हर वर्ष 3 लाख से भी अधिक लोग इस रोग से मर जाते हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय क्षयरोग संभाग (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल यहाँ 2017)*

- सरकारी डॉट्स (DOTS) केंद्रों पर मुफ़्त जाँच और उपचार।
- संक्षिप्त विवरण के लिए यहाँ जाएँ और नीचे 'Detect' (पता लगाएँ) पर जाएँ, और फिर 'Free drugs and diagnostic test' (मुफ़्त दवाएँ और जाँच) देखें।

3. आवेदन कार्यविधि

अगर आपको ये लक्षण हैं (यहाँ प्रश्न 3 देखें) तो टैस्ट करवाने के लिए अपने नज़दीकी डॉट्स (DOTS) केंद्र जाएँ:

- 3 सप्ताह या अधिक समय से खाँसी;
- बुखार, ख़ास कर रात में;
- भूख घटना; या
- वज़न घटना

WHO के संपूर्ण देखभाल मानक यहाँ हैं।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- अपने ज़िले के ज़िला TB अधिकारी से शिकायत करें;
- अपने ज़िले के राज्य TB अधिकारी से शिकायत करें (सभी राज्य TB अधिकारियों (STO) की निर्देशिका यहाँ देखें);
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें ;
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार स्वास्थ्य विभाग में RTI दायर करें।

5. सफलता की कहानी

सविता, 28, को कई महीनों से सिरदर्द और उबकाई की समस्या थी। मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन शुरू होने से ठीक पहले उसे TB मेनिन्जाइटिस होने की पुष्टि हुई। उसके पति एक मोची थे और वे नहीं जानते थे कि सरकारी डॉट्स केंद्रों में TB का मुफ़्त उपचार उपलब्ध है, इसलिए उन्होंने निजी चिकित्सकों पर दसियों हज़ार रुपये ख़र्च डाले; सविता को TB की दवाओं की ज़रूरत थी पर उनमें से कुछ चिकित्सकों ने दर्द घटाने की और खाँसी की दवाएँ लिखीं। लॉकडाउन के कारण थोड़ी मुश्किल के बावजूद, हमने नज़दीकी डॉट्स केंद्र में नाम लिखवाने में सविता की मदद की और उन्हें उपचार मिलने लगा। सही दवा मिलने के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और उनका वज़न घटकर 21 किग्रा रह गया। वे एक सरकारी TB अस्पताल में तीन माह तक भर्ती रहीं जहाँ उन्हें मुफ़्त उपचार और भोजन मिला। धीरे-धीरे वे ठीक होने लगीं, अब वे फिर से चलने-फिरने लगी हैं, उनका वज़न 38 किग्रा हो गया है, और अब उन्हें सिरदर्द या उबकाई की समस्या नहीं है।

5. स्वास्थ्य - दिव्यांगजनों के लिए सेवाएँ

दिव्यांगजनों (पीपल विद डिसेबिलिटीज़, PWD) को भारत में अभी-भी दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। ये योजनाएँ दिव्यांगजनों को उन पर पड़ने वाले बोझ से राहत दिलाने के लिए बनाई गई हैं। EHA ने अशक्तताग्रस्त लोगों हेतु उपलब्ध योजनाओं तक पहुँचने के विषय पर एक नियमावली जारी की है। EHA की वेबसाइट www.eha-health.org *पर जाकर "Downloads/Advocacy Manuals/All India/A Manual for People Living with Disabilities" (डाउनलोड/पक्षधरता नियमावलियाँ/संपूर्ण भारत/अशक्तताओं के साथ जी रहे लोगों के लिए एक नियमावली) के तहत देखें।*

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) (यहाँ)
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (यहाँ) - दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (यहाँ)
- दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार स्वास्थ्य विभाग (यहाँ)
- बिहार समाज कल्याण विभाग (यहाँ)

2. पात्रताएँ (*सर्वोत्तम संदर्भ: दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016)*

a) **दिव्यांगता प्रमाणपत्र** (दिशानिर्देशों के लिए यहाँ देखें, पृष्ठ 11, 3.1.3)
   - सरकारी चिकित्सकों के आकलन के अनुसार दिव्यांगता 80% से अधिक होनी चाहिए। दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, धारा 56(4)।
   - पेंशन और यात्रा छूट समेत अधिकतर अन्य लाभों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र ज़रूरी है।

b) **दिव्यांगता पेंशन (इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना, IGNDPS)**
   IGNDPS के विवरण के लिए यहाँ NSAP देखें (पृष्ठ 6 पर 2.3 देखें)।
   - आयु 18-79 वर्ष
   - गंभीर या कई दिव्यांगताओं से पीड़ित हो (80% से अधिक की दिव्यांगता का प्रमाणपत्र चाहिए)।
   - केवल BPL (ग़रीबी रेखा से नीचे के) परिवार।
   - पेंशन की राशि ₹300 प्रतिमाह है (80 वर्ष से अधिक आयु के लिए ₹500 प्रतिमाह)।

c) **बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना: (यहाँ)**
   - उन बुज़ुर्गों को कवर करने के लिए जो निराश्रित हैं और जिन्हें IGNDPS के तहत कवरेज प्राप्त नहीं है।
   - केवल 40% दिव्यांगता पर्याप्त है।
   - पात्र व्यक्ति को ₹300 दिए जाते हैं।
   - आवेदक को शारीरिक रूप से दिव्यांग होना चाहिए और उसके पास दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।
   - योजना के लाभ पाने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है और वार्षिक आय परिभाषित नहीं है।
   - आवेदक बिहार का निवासी हो या कम-से-कम पिछले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो।

d) **ट्रेन यात्रा में छूट**
- ट्रेन: (यहाँ नियमों का पृष्ठ 2 देखें 2006)
  - अस्थि दिव्यांग, दृष्टि बाधित, और मानसिक रूप से दिव्यांग: दिव्यांगजन और देखभालकर्ता के लिए सभी दर्जों में 75%, पर 2AC और 1AC में 50% और राजधानी/शताब्दी में 25%
  - श्रवण बाधित और वाक बाधित: दिव्यांगजन और देखभालकर्ता के लिए 50%

e) **सहायक उपकरण और उपस्कर (ADIP)**
   - ADIP (केंद्र सरकार) यहाँ
   - मुख्य मंत्री सामर्थ्य योजना (राज्य सरकार) यहाँ. ट्राइसायकिल, सुनने की मशीनों और कैलिपरों के लिए।

- आयु 14-60 वर्ष हो और बिहार का निवासी हो।
- केवल 40% दिव्यांगता पर्याप्त है।
- वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये।

f) **शैक्षिक छात्रवृत्ति**

- दिवसीय छात्र-छात्राएँ ₹95-₹330 प्रति माह, और छात्रावास निवासी छात्र-छात्राएँ ₹360-₹740 प्रति माह (धारा 13.5.1 यहाँ)।

3. आवेदन कार्यविधि

a) **दिव्यांगता प्रमाणपत्र** (कार्यविधि यहाँ देखें)

- सरकारी अस्पताल में उपलब्ध फ़ॉर्म भरें।
- 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो;
- पते का प्रमाण (राशन कार्ड या पहचान पत्र)।
- अगर सरकारी चिकित्सकों ने 40% या अधिक दिव्यांगता सत्यापित की है तो उसी दिन जारी हुआ दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यहाँ NSAP दस्तावेज़ का पृष्ठ 11)।

b) दिव्यांगता पेंशन

- फ़ॉर्म (यहाँ से डाउनलोड करें या इस नियमावली में यहाँ काग़ज़ी प्रति देखें)
- 80% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र
- 5 वर्ष के निवास का प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या दो पड़ोसियों की गवाही)
- बैंक खाता संख्या (9 अंकों की MICR संख्या और 7 अंकों की IFSC संख्या)
- आयु के प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र, अकादमिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आदि) की प्रति
- फोटो
- शपथपत्र जिसमें नाम, पता और कोई भी दूसरी पेंशन न मिल रही होने के तथ्य की बयानी हो
- पूरे भरे फ़ॉर्म जिन्हें सभासद/पार्षद ने सत्यापित किया हो। सत्यापित फ़ॉर्म तहसील में जमा किया जाता है। (आगे की प्रोसेसिंग के लिए)।

c) **बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना**

- विधिवत भरे आवेदन फ़ॉर्म (यहाँ) की दो प्रतियाँ जमा करें।
- ग्राम प्रधान (मुखिया) या पंचायत सचिव द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाती है।
- ग्राम सभा के ज़रिए लाभार्थियों की अनुशंसा की जा सकती है।
- पेंशन का वितरण पेंशनभोगियों के डाकघर बचत बैंक खाते के ज़रिए होता है।

d) **ट्रेन यात्रा में छूट (प्रमाणपत्र ज़रूरी)**

- फ़ॉर्म के लिए यहाँ देखें या काग़ज़ी प्रति इस नियमावली में यहाँ देखें
- एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ और साथ में दिव्यांगता प्रमाणपत्र
- फ़ॉर्म संबंधित सरकारी अस्पताल में जमा करें
- चिकित्सक दिव्यांगता का सत्यापन करता है
- ट्रेन यात्रा छूट फ़ॉर्म जारी किया जाता है
- टिकट ख़रीदते समय ट्रेन यात्रा छूट फ़ॉर्म के साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें

e) **सहायक उपकरण और उपस्कर (ADIP)**

- ADIP (केंद्र सरकार) कार्यविधियाँ यहाँ हैं।
- मुख्य मंत्री सामर्थ्य योजना (बिहार) के लिए
  - सामाजिक सुरक्षा सेल, ज़िला परिषद के सहायक निदेशक से आवेदन फ़ॉर्म लें।
  - दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ आवेदन को सहायक निदेशक के कार्यालय में जमा करें।

f) **शैक्षिक छात्रवृत्ति**

- आवेदन फ़ॉर्म संबंधित ज़िले के सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगता विभाग के सहायक निदेशक के पास या सरकारी विशेष स्कूलों के प्रधानाध्यापक के पास उपलब्ध है।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- बिहार दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त से शिकायत करें; संपर्क विवरण: डॉ शिवाजी कुमार, आयुक्त, दिव्यांगता, बिहार सरकार, सामाजिक सुरक्षा विभाग, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, पटना - 800 015। टेली. (0612) 2215041
- अन्य योजनाएँ: **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** में (यहाँ) शिकायत करें
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार स्वास्थ्य विभाग में RTI दायर करें।

6. स्वास्थ्य - मानसिक स्वास्थ्य

बहुत से भारतीय ख़ासी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं। अधिकांश समस्याओं की न तो पहचान हो पाती है, और न उन्हें उपचार मिलता है, ऐसे रोगी अक्सर अलग-थलग कर दिए जाते हैं, उनसे बुरा व्यवहार होता है और वे बेहद मुश्किल ज़िंदगी जीते हैं। हालाँकि, हर भारतीय, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य कठिनाइयों से ग्रस्त लोग शामिल हैं, के पास निम्नलिखित अधिकार हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार स्वास्थ्य विभाग (यहाँ)
- समाज कल्याण विभाग (यहाँ)

2. पात्रताएँ (*सर्वोत्तम संदर्भ: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 यहाँ*)

a) स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार

- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोगों के पास सरकार द्वारा संचालित (या सरकार द्वारा पोषित) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में किफ़ायती और अच्छी गुणवत्ता वाला उपचार पाने का अधिकार है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, धारा 18।

b) कोई दुर्व्यवहार नहीं - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, धारा 101(c)

- जिस भी पड़ोसी या मित्र को ऐसा लगता हो कि अमुक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और परिवार/संरक्षक उसकी उचित देखभाल नहीं कर रहा है तो वह दंडाधिकारी (मैजिस्ट्रेट) को इसकी सूचना दे सकता है।
- अगर दंडाधिकारी यह पाते हैं कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से दुर्व्यवहार किया गया है या उसकी उपेक्षा की गई है, तो वह संबंधी या ज़िम्मेदार व्यक्ति को बुलाएँगे और उनके लिए यह आवश्यक कर सकते हैं कि वे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की उचित देखभाल करें।
- अगर परिवार आदेश के अनुपालन की जानबूझकर उपेक्षा करता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है।

c) दिव्यांगता प्रमाणपत्र: कुछ मामलों में, किसी मानसिक विकार या मनो-सामाजिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति दिव्यांगता प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकता है और इस नियमावली में "दिव्यांगजनों हेतु सेवाएँ" (यहाँ) में लिखी पात्रताओं और दिव्यांगता पेंशन का लाभ ले सकता है। भारतीय दिव्यांगता मूल्यांकन एवं निर्धारण पैमाने (इंडियन डिसेबिलिटी इवेल्युएशन एंड असेसमेंट स्केल, IDEAS) में प्राप्त स्कोर के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है; इस पैमाने में शामिल हैं:

- ख़ुद की देखभाल: इसमें स्वच्छता, साज-सँवार, स्वास्थ्य (नहाना, शौचालय, कपड़े आदि पहनना, खाना-पीना, ख़ुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना) शामिल हैं।
- दूसरे लोगों के साथ गतिविधियाँ (सामाजिक संबंध): इसमें संदर्भ की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से उचित ढंग से दूसरों से बातचीत और/या व्यवहार शुरू करना और कायम रखना शामिल होता है।
- संचार और समझ: इसमें बोले गए/लिखित/अशाब्दिक संदेश बनाकर और समझकर दूसरों से संचार और संवाद करना शामिल है।
- कार्य: किसी भी पहलू पर रोज़गार/घरेलू कार्य/शिक्षा के माप तीन क्षेत्र हैं।
    - कार्य/नौकरी में प्रदर्शन: अपने रोज़गार में कार्यों को पूरी तरह, दक्षता के साथ और उचित समय में करने की योग्यता। इसमें रोज़गार ढूँढना शामिल है।
    - घरेलू कार्यों में प्रदर्शन: गृहस्थी का रखरखाव जिसमें खाना बनाना, घर में दूसरे लोगों की देखभाल, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना आदि शामिल है। घरेलू कार्यों की ज़िम्मेदारी लेना और उन्हें पूरी तरह, दक्षता के साथ और उचित समय में करना।
    - स्कूल/कॉलेज में प्रदर्शन।

d) मानसिक रूप से बीमार रोगियों का दाख़िला और छुट्टी

- 18 वर्ष से ऊपर के जिस भी व्यक्ति को किसी मनोविकारी अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत हो उसे ज़िला अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (MOIC) के पास आवेदन जमा करके भर्ती किया जा सकता है। MOIC को 24 घंटों के भीतर ज़रूरी जाँच-पड़ताल करनी होंगी और ज़रूरी होने पर रोगी को दाख़िला देना होगा। धारा 86।
- अवयस्कों (18 वर्ष से कम आयु के लोगों) के मामले में, आवेदन किसी संरक्षक द्वारा दिया जाना चाहिए। धारा 87।
- अगर कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति दाख़िल किए जाने की अपनी इच्छा जताने में असमर्थ है, तो उसकी ओर से उसका कोई दोस्त या संबंधी यह अनुरोध कर सकता है।
- विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को 90 दिनों से अधिक तक भर्ती नहीं रखा जा सकता है। धारा 90(8)।
- किसी भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से अनादरपूर्ण या क्रूर व्यवहार नहीं किया जा सकता है। धारा 20।
- (वयस्क के मामले में) आवेदक या (अवयस्क के मामले में) संरक्षक की ओर से छुट्टी का जो भी अनुरोध आए उसे तुरंत प्रोसेस किया जाना चाहिए और रोगी को 24 घंटों के भीतर छुट्टी दे दी जानी चाहिए। धारा 86(7), 87(8)।

e) विशेष अधिकार

- मानसिक रूप से बीमार हर व्यक्ति के पास न्यायालय में क़ानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार है। धारा 27(1)।

3. आवेदन कार्यविधि

दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए

- ज़रूरी दस्तावेज़: निवास का प्रमाण और दो हाल ही के पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ।
- ज़िला अस्पताल के CMO के पास आवेदन जमा करें।
- अगर CMO इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक एक दिव्यांगजन है, तो वे दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी कर देते हैं।
- प्रमाणपत्र, अगर संभव हो तो आवेदन मिलने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर, पर किसी भी मामले में अधिकतम एक माह के भीतर, जारी किया जाएगा।
- अगर आवेदक को दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए अपात्र पाया जाता है, तो CMO उसके आवेदन की नामंज़ूरी के कारण बताएँगे और कारण लिखित में प्रदान करेंगे।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार की समीक्षा के लिए:
  - आवेदक निर्णय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है।
  - समीक्षा के आवेदन के साथ प्रमाणपत्र की प्रति या जिस अस्वीकृति पत्र के विरुद्ध अपील की जा रही है उस पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी।
  - समीक्षा आवेदन मिलने पर, चिकित्सा प्राधिकरण अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, प्राधिकरण की दृष्टि में उपयुक्त आदेश पारित करेगा।
  - समीक्षा आवेदन पर, जहाँ तक संभव हो, उसके मिलने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर, पर अधिक-से-अधिक उस दिनांक से एक माह के भीतर निर्णय दे दिया जाएगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में (यहाँ) शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार स्वास्थ्य विभाग में RTI दायर करें।

7. स्वास्थ्य - मादक पदार्थ पुनर्वास

मायूसी में या कोई उम्मीद न रहने पर, कई ग़रीब लोग मादक (नशीले) पदार्थों या शराब का रुख कर लेते हैं। इन चीज़ों की आदत, न केवल इनके आदियों का बल्कि उनके परिजनों और पड़ोसियों का जीवन भी मुश्किल बना देती है। सरकार ने आदत छुड़ाने के कार्यक्रम वास्तव में विभिन्न ग़ैर-सरकारी संस्थाओं और निजी संगठनों को सौंप दिए हैं जो नशीली चीज़ों या शराब के आदी लोगों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करते हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (यहाँ)
- सरकार द्वारा स्वीकृत ग़ैर-सरकारी संस्थाओं की सूची (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार स्वास्थ्य विभाग (यहाँ)
- समाज कल्याण विभाग (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: सामाजिक न्याय मंत्रालय यहाँ 1998)*

- कुछ सरकारी अस्पतालों में आदत छुड़ाने का मुफ़्त उपचार।
- भारत में आदत छुड़ाने के 381 केंद्र हैं जो विभिन्न ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ सरकार के साथ मिलकर चलाती हैं। बिहार में मौजूद आदत छुड़ाने के 13 केंद्रों की सूची के लिए इस दस्तावेज़ में यहाँ पृष्ठ 9-10 देखें।
- मुफ़्त 24-घंटे मानसिक स्वास्थ्य हेल्प लाइन 1800 266 2345।

3. आवेदन कार्यविधि

- सफलता के लिए सबसे अधिक प्रतिष्ठा वाले सरकारी अस्पताल या NGO (ग़ैर-सरकारी संस्था) में उसके OPD (बिना भर्ती रोगी देखने) वाले दिनों पर जाएँ।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- इकाई जिस अस्पताल में है वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) से शिकायत करें।
- इकाई जिस ज़िले में है वहाँ के CMO के यहाँ RTI दायर करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार स्वास्थ्य विभाग में RTI दायर करें।

8. स्वास्थ्य - HIV

HIV रोगी, भारत के समुदायों में सबसे अधिक हाशिये पर पहुँचा दिए गए समूहों में से एक हैं। सरकार ने HIV पॉज़िटिव रोगियों की देखभाल और उनके संरक्षण के लिए कई प्रणालियाँ स्थापित की हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (BSACS यहाँ)

2. पात्रता: *(सर्वोत्तम संदर्भ: राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण यहाँ)*

a) **HIV टैस्टिंग**: एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्रों (इंटिग्रेटेड काउंसलिंग एंड टैस्टिंग सेंटर, ICTC) में गोपनीय और मुफ़्त टैस्टिंग की जाती है - यहाँ देखें।

b) **उपचार:** HIV से ग्रस्त पाया गया व्यक्ति ART केंद्रों में मुफ़्त उपचार पा सकता है। ART केंद्रों की सूची यहाँ है (पृष्ठ पर सबसे नीचे जाकर 'List of ART centres' (ART केंद्रों की सूची) पर क्लिक करें)। बिहार में ऐसे 16 केंद्र हैं।

c) **देखभाल और सहायता:** HIV एड्स के साथ जी रहे लोगों को यहाँ सूचीबद्ध विभिन्न NGO में दी जाती है।

d) **अधिकारों का संरक्षण:** सूचित सहमति का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार और शून्य भेदभाव का अधिकार (यहाँ)।

- वयस्कों और बच्चों के पास बिना किसी भेदभाव के सरकारी संस्थानों में चिकित्सीय देखभाल और शिक्षा पाने का अधिकार है।
- कोई भी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र का नियोक्ता किसी भी HIV-पॉज़िटिव कर्मचारी को केवल उसकी HIV-पॉज़िटिव स्थिति के कारण नियुक्ति देने से मना नहीं कर सकता है या उसकी सेवाएँ समाप्त नहीं कर सकता है, और किसी भी कर्मचारी के साथ उसकी HIV-पॉज़िटिव स्थिति के कारण भेदभाव, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

3. आवेदन कार्यविधि

इनमें से कहीं भी जाकर टैस्टिंग, उपचार या देखभाल और सहायता सेवाएँ पाई जा सकती हैं:-

- ICTC केंद्र: सभी केंद्रों की सूची यहाँ है; या
- ART केंद्र: स्थान जानने के लिए यहाँ क्लिक करें (पृष्ठ पर सबसे नीचे जाकर 'List of ART centres' (ART केंद्रों की सूची) पर क्लिक करें)।

ART केंद्र में पंजीकरण से पहले आवश्यक दस्तावेज़:

- किसी ICTC से प्राप्त पॉज़िटिव HIV टैस्ट परिणाम; और
- एक फोटो पहचान पत्र।

4. पक्षधरता के सुझाव

- AIDS हेल्पलाइन 1097 पर फोन करें;
- यहाँ बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी से शिकायत करें। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014। टेली. 91-612-2290278;
- लॉयर्स कलेक्टिव की HIV/एड्स इकाई से संपर्क करें। वेबसाइट: www.lawyerscollective.org,
  - टेली. : 011-24377101/2, ईमेल: aidslaw1@lawyerscollective.org;
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट (यहाँ) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें

- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार स्वास्थ्य विभाग में RTI दायर करें।

E) शिक्षा

1. शिक्षा - सरकारी स्कूल

शिक्षा अमीरी और ग़रीबी के बीच की खाई पटाने में मदद देती है। ग़रीब लोग आम तौर पर केवल सरकारी स्कूलों में ही जा पाते हैं जहाँ पहले से ही बहुत अधिक भीड़ है और संसाधनों की कमी है। मध्यवर्गीय लोग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के निजी स्कूलों में भेज सकते हैं, जहाँ कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कम होती है और अध्यापन प्रणाली बेहतर होती है। नीचे दिए गए उपाय ग़रीबों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने का लक्ष्य रखते हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय - विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (यहाँ)
- बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (यहाँ)
- समग्र शिक्षा (यहाँ)

बिहार सरकार

- शिक्षा विभाग (यहाँ)
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (यहाँ)
- बिहार विकास मिशन (यहाँ)

2. पात्रता (*सर्वोत्तम संदर्भ: शिक्षा का अधिकार अधिनियम यहाँ*)

a) **भारत के संविधान के तहत**: अनुच्छेद 21-A छः से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

b) **शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत**

- **सभी बच्चों** (दिव्यांग बच्चे शामिल) के पास 6-14 वर्ष की आयु में किसी भी स्थानीय स्कूल में निःशुल्क प्राथमिक (8वीं कक्षा तक) शिक्षा पाने का अधिकार है (धारा 3)।
- **सभी अभिभावकों/संरक्षकों** के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने बच्चे को किसी स्थानीय स्कूल में प्रवेश दिलाएँ (धारा 10)।
- **सभी स्कूलों (सरकारी और निजी) के लिए यह आवश्यक है कि:**
  - वे कक्षा 8 पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में दोबारा पढ़ने, स्कूल छोड़कर जाने या कोई बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए बाध्य न करें (धारा 16)।
  - विद्यार्थियों को शारीरिक दंड न दें या उनका मानसिक उत्पीड़न न करें (धारा 17)।
  - **बुनियादी ढाँचे की न्यूनतम** आवश्यकताएँ पूरी करें (सभी मौसमों के लिए उपयुक्त भवन, हर अध्यापक के लिए एक अलग कक्षा (कमरा), खेलने का मैदान, पुस्तकालय, लड़कों और लड़कियों के अलग-अलग शौचालय, पेयजल, खेलकूद के उपकरण) (धारा 19 और अनुसूची देखें)।
  - सभी अध्यापकों को स्कूल नियमित रूप से बुलवाएँ और पाठ्यचर्या को समय पर पूरा करवाएँ (धारा 24)।
  - अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1-5) में 1:40 और कक्षा 6-8 में 1:35 रखें (धारा 25 और अनुसूची, बिंदु 1)।
  - अध्यापकों के लिए प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना निषिद्ध करें (धारा 28)।
- **सभी निजी स्कूलों को कक्षा 1 में 25%** सीटें 'वंचित समूहों' (अजा, अजजा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के बच्चों के लिए **आरक्षित रखनी होंगी**। धारा 12(1)(b)। विशेष रूप से इसी विषय पर बनाई गई वेबसाइट यहाँ देखें।

3. प्रवेश के लिए आवेदन कार्यविधि

a) सरकारी स्कूलों में प्रवेश

- नया सत्र शुरू होने पर (आम तौर पर अप्रैल में) बच्चे को नज़दीकी स्कूल ले जाएँ।
- आम तौर पर आपको बस बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र की ज़रूरत होती है, या अगर आपके पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है तो आपको शपथपत्र लगाना होता है, पर RTE (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा, जिसमें जन्म प्रमाणपत्र/अंतरण (ट्रांसफ़र) प्रमाणपत्र/आयु का प्रमाण नहीं होना या स्कूली वर्ष के दौरान देरी से प्रवेश लेने आना शामिल है। धारा 14(2)।
- अगर कोई बच्चा सात वर्ष से बड़ा है, तो उसे आयु-उपयुक्त कक्षा में रखा जाना चाहिए और उसे बाक़ी बच्चों के बराबर लाने के लिए विशेष कक्षाएँ दी जानी चाहिए। (धारा 4)।

b) निजी स्कूलों में प्रवेश

- बच्चा किसी वंचित श्रेणी (अजा, अजजा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग < 1 लाख) का हो और 5 वर्षों से बिहार का निवासी हो।
- जिस स्कूल में प्रवेश चाहते हों सीधे वहीं, RTE की धारा 12(1)b का उल्लेख करते हुए आवेदन करें।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- शुरुआत में, स्कूल के **प्रधानाचार्य** से संपर्क करें;
- RTE अधिनियम, 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति से संपर्क करें (यहाँ)
- बिहार शिक्षा हेल्पलाइन 0612 2215143 से मदद लें;
- उस ज़िले में प्राथमिक स्कूलों के लिए ज़िम्मेदार बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार शिक्षा विभाग में RTI दायर करें (संपर्क यहाँ हैं)
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत NCPCR से शिकायत करें (यहाँ)
- ऑनलाइन (यहाँ) शिकायत करें।

2. शिक्षा - छात्रवृत्तियाँ, पुस्तकें और यूनिफ़ॉर्म

ग़रीब बच्चों को स्कूल में नाम लिखवाने और स्कूल जाने को प्रेरित करने के लिए, बिहार सरकार ने कई छात्रवृत्तियाँ और लाभ शुरू किए हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (यहाँ) - विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (यहाँ)
- बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (यहाँ)
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (यहाँ)
- समग्र शिक्षा (यहाँ)

बिहार सरकार

- शिक्षा विभाग (यहाँ)
- बिहार हेतु RTE नियम (यहाँ)
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (यहाँ)
- बिहार विकास मिशन (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: RTE अधिनियम, 2009 यहाँ और RTE नियम यहाँ हिंदी में)*

- कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए **मध्याह्न भोजन** योजना (इस नियमावली में यहाँ मध्याह्न भोजन योजना देखें)।
- प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक स्तर पर सभी लड़कियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी बच्चों के लिए **मुफ़्त यूनिफ़ॉर्म और पाठ्य पुस्तकें**, RTE नियमों के अनुभाग 4-6 यहाँ देखें।
- अजा, अपिव और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए **मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति** योजनाएँ (यहाँ और यहाँ)।
- **बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन:** कक्षा 8 पास करके कक्षा 9 में नाम लिखवाने पर सावधि जमा के रूप में ₹3,000। अजा/अजजा बालिकाओं और KGBV स्कूलों में पढ़ रहीं बालिकाओं के लिए उपलब्ध। बालिकाएँ 18 वर्ष की होने और कक्षा 10 पास कर लेने पर इस राशि को ब्याज सहित निकाल सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।
- **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय** (KGBV): बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर भोजन व आवास सुविधाओं से युक्त आवासीय स्कूल। 75% बालिकाएँ अजा, अजजा, अपिव या अल्पसंख्यक समुदायों से हों और केवल उसके बाद, 25% लड़कियाँ ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों से हों। (और जानकारी यहाँ और दिशानिर्देश पृ. 4 यहाँ देखें)।

3. आवेदन कार्यविधि

- अजा/अजजा हेतु मुफ़्त यूनिफ़ॉर्म के लिए, स्कूल के प्रधानाचार्य के पास आवेदन जमा किया जाता है।
- अजा, अपिव और दिव्यांग विद्यार्थी **मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति** योजनाओं में यहाँ आवेदन करें।
- **बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन**: अजा/अजजा/अपिव प्रमाणपत्र और जन्म प्रमाणपत्र के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पास आवेदन करें।
- **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय** आवासीय स्कूल: सीधे स्कूल में आवेदन करें।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- शुरुआत में, स्कूल के **प्रधानाचार्य** से संपर्क करें;
- बिहार शिक्षा हेल्पलाइन 0612 2215143 से मदद लें;
- उस ज़िले में प्राथमिक स्कूलों के लिए ज़िम्मेदार बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें

- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार शिक्षा विभाग में RTI दायर करें (संपर्क यहाँ हैं)।

5. सफलता की कहानी

छतरपुर ज़िले में केवल लड़कियों को मुफ़्त स्कूल यूनिफ़ॉर्म मिल रहे थे। NGO कर्मियों ने ज़िला शिक्षा अधिकारी के पास यह आवेदन किया कि लड़कों को भी यही लाभ दिया जाए, और जुलाई 2011 से लड़कों को भी मुफ़्त यूनिफ़ॉर्म मिलने लगा।

3. शिक्षा - मुक्त विद्यालयी शिक्षा (ओपन स्कूलिंग)

बहुत से लोग पढ़ना चाहते हैं पर वे औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। कुछ लोगों को हालात के चलते तो कुछ को परिवार की ज़िम्मेदारियों के कारण कम आयु में स्कूल छोड़ना पड़ता है, पर वे युवा वयस्क के रूप में अपनी पढ़ाई वापस शुरू करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए, इंडियन ओपन स्कूल्स उन्हें घर से पढ़ने की सुविधा देने में एक बेहद अहम भूमिका निभाता है। इस समय इसमें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लगभग 15 लाख विद्यार्थी हैं, यानि यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालयी शिक्षा तंत्र है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग, NIOS) (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड (यहाँ)
- NIOS पटना (यहाँ)

2. पात्रताएँ *(सर्वोत्तम संदर्भ: NIOS यहाँ 2016)*

- मुक्त बेसिक शिक्षा (ओपन बेसिक एजुकेशन, OBE) औपचारिक विद्यालय तंत्र की कक्षाओं 3, 5 और 8 के समकक्ष है (विवरण यहाँ है)।
- माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 10 के समकक्ष है (विवरण यहाँ है)
- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 12 के समकक्ष है (विवरण यहाँ है)

3. प्रवेश के लिए आवेदन कार्यविधि

OBE (कक्षा 3, 5 या 8) के लिए:

- इस वेबसाइट पर जाकर अपना नज़दीकी केंद्र ढूँढें।
- केंद्र जाकर आवेदन जमा करें।

माध्यमिक (10वीं) और उच्चतर माध्यमिक (12वीं) के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं:

- इस वेबसाइट पर जाकर ख़ुद ऑनलाइन आवेदन पूरा करें, या
- स्थानीय प्रत्यायित संस्थान (एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन, AI) में जाएँ, जो ऑनलाइन आवेदन करने में मदद देगा। AI की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें; या
- क्षेत्रीय केंद्र पर जाएँ जो आपको ऑनलाइन आवेदन करने में मदद देगा। क्षेत्रीय केंद्रों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें और सारे क्षेत्रीय केंद्र देखने के लिए नीचे जाएँ।

फ़ीस (यहाँ) इस प्रकार है:

कक्षा	महिलाएँ	पुरुष	अजा/अजजा/दिव्यांग
OBE	मुफ़्त	मुफ़्त	मुफ़्त
माध्यमिक (10वीं)	1,450	1,800	1,200
उच्चतर माध्यमिक (12वीं)	1,650	2,000	1,300

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- कक्षा 3, 5 और 8 के आवेदन के लिए, उस केंद्र से संपर्क करें जहाँ आपने आवेदन किया था;
- कक्षा 10 और 12 के लिए, अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति यहाँ देखें;
- क्षेत्रीय केंद्र में शिकायत करें। क्षेत्रीय केंद्रों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें;

- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार शिक्षा विभाग में RTI दायर करें (संपर्क यहाँ हैं)।

5. सफलता की कहानी

रुख़साना दिल्ली में रहने वाली एक गृहिणी हैं; वे कभी-भी किसी औपचारिक स्कूल नहीं गई थीं। उन्होंने NIOS से 10वीं की और उसके बाद NIOS के ही ज़रिए उच्चतर माध्यमिक (12वीं) भी पूरी की। अब वे कॉलेज जाने की सोच रही हैं!

F) ऊर्जा

1. ऊर्जा - बिजली

सरकार का दावा है कि भारत का हर गाँव (हर घर नहीं) विद्युत ग्रिड से जोड़ा जा चुका है। नीचे दी गईं योजनाएँ परिवारों को बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखती हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- विद्युत मंत्रालय (यहाँ) - सौभाग्य योजना (यहाँ)
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यहाँ)
- उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, UDAY) (यहाँ)

बिहार सरकार

- ऊर्जा विभाग (यहाँ)
- बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी (पूर्व में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड) (यहाँ)
- बिहार विद्युत नियामक आयोग (यहाँ)
- उदय (UDAY) बिहार (यहाँ)

2. पात्रता (*सर्वोत्तम संदर्भ: सौभाग्य यहाँ 2018*)

- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विद्युत-विहीन घर और शहरी क्षेत्रों में ग़रीब, विद्युत-विहीन घर बिजली के लिए पात्र हैं (यहाँ सौभाग्य वेबसाइट पर प्रश्न 1 और 14 देखें)।
- 10 बिलों के लिए मात्र ₹50 प्रति बिल का भुगतान करें (कुल ₹500) (यहाँ सौभाग्य वेबसाइट पर प्रश्न 3 देखें)।
- LED और बिजली सॉकेट मुफ़्त पाएँ (यहाँ सौभाग्य वेबसाइट पर प्रश्न 9 देखें)।
- कोई भी पहचान (आधार होना ज़रूरी नहीं) पर बक़ाया नहीं होना चाहिए (यहाँ सौभाग्य वेबसाइट पर प्रश्न 6 देखें)।

3. कनेक्शन के लिए आवेदन कार्यविधि

यहाँ सौभाग्य वेबसाइट पर प्रश्न 4 देखें।

- आपके इलाक़े की डिस्कॉम (विद्युत वितरण कंपनी) गाँवों में / गाँवों के समूहों में शिविर लगाती है।
- ऐसे शिविरों के बारे में पहले से व्यापक स्तर पर सूचनाएँ प्रकाशित/प्रसारित की जाएँगी।
- शिविर में डिस्कॉम अधिकारियों से संपर्क करें और आपका कनेक्शन का आवेदन वहीं-की-वहीं पंजीकृत कर लिया जाएगा।
- ज़रूरी सत्यापन, जो अक्सर वहीं-का-वहीं हो जाता है, के बाद डिस्कॉम बिजली कनेक्शन जारी कर देगी।
- अगर आप शिविर के बारे में सूचना हासिल नहीं कर पा रहे हों, तो आप ज़रूरी मार्गदर्शन के लिए नज़दीकी डिस्कॉम कार्यालय भी जा सकते हैं।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- बिहार विद्युत नियामक आयोग के विद्युत लोकपाल से शिकायत करें:

  श्री बीरेंद्र मोहन श्रीवास्तव
  बिहार विद्युत नियामक आयोग
  भूतल, विद्युत भवन-2
  बिहार राज्य विद्युत बोर्ड परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना - 800021
  फोन: 091-612-2504470

- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी में (यहाँ) शिकायत दर्ज कराएँ।

5. सफलता की कहानी

कडकडोनी झारखंड का एक बेहद दूर-दराज़ का गाँव है जो मुख्य सड़क से काफ़ी दूर स्थित है। समुदाय-आधारित संगठन (CBO) वर्षों से गाँव में बिजली लाने की कोशिश में लगा था पर विद्युत बोर्ड की ओर से उससे अनुग्रह की माँगें की जा रही थीं। थोड़े प्रशिक्षण के बाद, CBO को राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युत योजना (सौभाग्य से पहले की एक योजना) के तहत अपने अधिकारों की जानकारी हुई और उसने अनुग्रह की माँगों के आगे घुटने न टेकते हुए साथ कार्य करके सरकार पर बिजली हेतु दबाव बनाने का निर्णय लिया। संगठन ने अपने पंचायत प्रमुख के पास आवेदन किया और सामान गाँव तक पहुँचाने हेतु सड़क साफ़ करने के लिए बहुत सारा श्रम भी किया। आख़िरकार उन्हें बिजली के कनेक्शन मिल गए।

2. ऊर्जा - गैस

कुकिंग गैस मिट्टी के तेल, लकड़ी या गाय के गोबर की तुलना में सस्ती होती है और जलने में अधिक स्वच्छ होती है, इसलिए यह सभी परिवारों के लिए बहुत उपयोगी है। अक्सर वितरक नए कनेक्शन जारी करने में हीला-हवाली करते हैं, पर अधिकतर परिवारों को कनेक्शन पाने का अधिकार है।

1. संबंधित विभाग

कुकिंग गैस का अब अर्द्ध-निजीकरण कर दिया गया है। अधिकतर कनेक्शन इनके ज़रिए मिलते हैं:

- इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि. (इंडेन) (यहाँ)
- HP गैस (यहाँ)
- भारत गैस (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन 2010 यहाँ और प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2016 यहाँ)*

इंडेन

- भोजन बनाने के अलग स्थान वाला हर परिवार एक गैस कनेक्शन का पात्र है (यहाँ प्रश्न 1)।
  - हर 12-माह की अवधि में 12 गैस रीफ़िल (यहाँ देखें), लगभग ₹500 की सब्सिडी वाली क़ीमत पर (यहाँ)।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना

- 2011 की जनगणना में (SECC के अनुसार) कम-से-कम एक कमी से ग्रस्त ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिला सदस्यों को नया कनेक्शन। सिलिंडर सिक्यॉरिटी डिपॉज़िट और रेगुलटर की क़ीमत कवर करने के लिए ₹1,600 की सब्सिडी (यहाँ)

3. आवेदन कार्यविधि

a) नए इंडेन कनेक्शन के लिए (यहाँ प्रश्न 1 देखें)

i) फ़ॉर्म भरकर नज़दीकी वितरक के यहाँ जमा करें।
ii) पहचान और निवास का प्रमाण (पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल, आदि) जमा करें।
iii) पता जाँचने के लिए पंजीकृत डाक से पत्र आएगा। उसे वितरक के पास ले जाएँ।
iv) लागत (यहाँ प्रश्न 2 देखें):-

- रिफ़ंड-योग्य सिक्यॉरिटी फ़ीस ₹1,450
- सब्सिडी पर गैस रीफ़िल (1 अप्रैल, 2019 को लगभग ₹500 - यहाँ जाएँ और नीचे जाकर मूल्य तालिका देखें)
- रेगुलेटर के लिए ₹150 का रिफ़ंड-योग्य डिपॉज़िट
- होज़ (पाइप) ₹170, व्यवस्थापन ₹89, स्थापना ₹118, जीकार्ड ₹59
- **कुल ₹2,036 (चूल्हे के बिना) - रसीद लेना न भूलें**

ध्यान दें: आप अपना ख़ुद का चूल्हा और पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते वे ISI मार्क वाले हों और ख़रीद की रसीद इंडेन स्टाफ़ द्वारा ₹177 (2 बर्नर के लिए) लेकर जाँच ली जाए; यहाँ जाएँ और प्रश्न 3 देखें)

b) सब्सिडी पाने के लिए

- यहाँ आवेदन करें जिससे सब्सिडी का सीधा भुगतान बैंक खाते में हो जाएगा।
- मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जाता है कि वे यहाँ अपनी सब्सिडी का 'त्याग' करें ताकि ग़रीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ता गैस कनेक्शन पा सकें।
- बिना सब्सिडी वाली क़ीमत ₹680-740 यहाँ।

c) प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना

- किसी स्थानीय गैस वितरक के यहाँ आवेदन करें; वह आपकी पात्रता जाँचेगा, या यहाँ दिया गया फ़ॉर्म इस्तेमाल करें।

- आवेदक को यह बताना चाहिए कि उसे किस प्रकार का गैस कनेक्शन चाहिए, 15.5 किग्रा या 5 किग्रा। कनेक्शन निर्धारित समय से 15 दिनों के भीतर दिया जाता है
- सब्सिडी बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती हैं
- निम्नलिखित होने चाहिए:
  - बैंक खाता होने का प्रमाण (बैंक पासबुक)
  - राशन कार्ड
  - ग़रीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण (स्वयं का)
  - पहचान का प्रमाण
  - नगर निगम या ग्राम पंचायत की ओर से BPL सूची की अटेस्ट की हुई कॉपी

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- टोल फ़्री नंबर 1800 2333555 पर फोन करें; या
- इंडेन के लिए यहाँ या HP के लिए यहाँ ऑनलाइन शिकायत करें।
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- इंडेन के पास यहाँ, HP के पास यहाँ या भारत गैस के पास यहाँ RTI दायर करें।

5. सफलता की कहानी

गुड्डन दो वर्षों से 'पक्का' (क़ानूनी) गैस कनेक्शन पाने की कोशिशें कर रही थीं। गैस कार्यालय का स्टाफ़ उसे कनेक्शन 'न दे पाने' का हमेशा कोई-न-कोई बहाना बना देता था। गुड्डन एक पक्षधरता कार्यशाला में गईं जहाँ उन्होंने गैस कनेक्शन पाने के अपने अधिकार के बारे में जाना और आवेदन ठंडे बस्ते में डाले जाने की स्थिति में पक्षधरता के तरीक़ों के बारे में जाना - विशेष रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम के इस्तेमाल के बारे में। इस जानकारी से लैस होकर गुड्डन वापस गैस कार्यालय गईं। इस बार भी अधिकारी ने बहाने बनाए, पर इस बार गुड्डन ने उसे धमकी दी कि अगर उन्हें उनका कनेक्शन जल्द नहीं मिला तो वे राज्य की राजधानी में उसके ऊपर के अधिकारी से उसकी शिकायत कर देंगी। अधिकारी को झटका लगा। कार्रवाई की वह छोटी सी धमकी काम कर गई और गुड्डन को उनका गैस कनेक्शन बस कुछ ही हफ़्तों में मिल गया!

G) ग्राम सुविधाएँ

1. ग्राम सुविधाएँ - शौचालय

बस्तियों में स्वच्छता सुविधाएँ बेहद अहम होती हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि 2019 तक हर परिवार के पास ख़ुद का शौचालय हो (यहाँ देखें)। हालाँकि, अगर शौचालय खंड में बहते पानी और साफ़-सफ़ाई की उचित व्यवस्था न हो तो ऐसा शौचालय, शौचलय न होने से भी बुरा होता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (स्वच्छ भारत ग्रामीण) (यहाँ)
- शहरी विकास मंत्रालय: (स्वच्छ भारत शहरी) (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) (यहाँ)

स्थानीय

- **पंचायत** की ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2018 यहाँ और शहरी यहाँ 2014)*

- ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवार, अजा/अजजा परिवार, छोटे और सीमांत किसान, वासभूमि वाले भूमिहीन श्रमिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, और महिला मुखिया वाले परिवार ₹12,000 की नक़द प्रोत्साहन राशि की मदद से शौचालय बना सकते हैं (₹7,200 केंद्र सरकार से और ₹4,200 राज्य सरकार से) (यहाँ पृष्ठ 23 बिंदु 6.4.7 देखें)।
- लाभार्थियों को प्रेरित किया जाता है कि वे ख़ुद के श्रम का योगदान करें (पृष्ठ 23 बिंदु 6.4.8)
- शहरी परिवार भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹4,000 की सब्सिडी के पात्र हैं (यहाँ पृष्ठ 8)।
- जिन शहरी इलाक़ों में खुले में मलत्याग होता है और लोगों के पास अपना ख़ुद का शौचालय बनाने लायक जगह नहीं है वहाँ सामुदायिक शौचालय बनाए जाएँगे (यहाँ पृष्ठ 9 बिंदु 5)।

3. आवेदन कार्यविधि **(बिहार के लिए यहाँ पृष्ठ 70 देखें)**

- प्रोत्साहन राशियों हेतु पात्रता जाँचें।
- दिशानिर्देशों के अनुसार शौचालय बनाएँ।
- शौचालय की जाँच करवाएँ।
- अपने बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि पाएँ।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- सीधे पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति से शिकायत करें;
- यहाँ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के ऑनलाइन शिकायत तंत्र का उपयोग करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- BSWSM में RTI दायर करें (यहाँ)।

5. सफलता की कहानी

मार्च 2018 में JVI ने, ACT (एसोसिएशन फ़ॉर क्रिश्चियन थॉटफ़ुलनेस) नामक NGO को साथ मिलकर, समुदाय में शौचालय की कमी की समस्या का समाधान किया। इन NGO ने साथ कार्य करते हुए समुदाय की महिलाओं को मिलाकर एक CBO (समुदाय-आधारित संगठन) बनाया। स्थानीय निकाय, पार्षद और विधायक से लगातार बारंबार

संपर्क करने और उनसे हामी भरवाने की कोशिशों के बाद, शौचालय बनाने और पानी का कनेक्शन लगवाने का काम शुरू हुआ (6x12 वर्ग फ़ीट का शौचालय और साथ में 6 फ़ीट गहरा जल भंडारण)।

2. ग्राम सुविधाएँ - खड़ंजे वाली गलियाँ और नालियाँ

बारिश के मौसम में गाँव की गंदी, कीचड़ भरी सड़कों पर यहाँ-वहाँ जाना मुश्किल होता है, ऐसे में खड़ंजे और नालियाँ बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। खड़ंजों और नालियों की ज़िम्मेदारी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति पर होती है इसलिए इस समिति की ईमानदारी से यह तय होता है कि गाँव को खड़ंजे और नालियाँ मिलेंगी या नहीं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (यहाँ)
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (स्वच्छ भारत ग्रामीण) (यहाँ)

बिहार सरकार:

- BSWSM (बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन) (यहाँ)
- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (यहाँ)

स्थानीय

- **पंचायत** की ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (VHSNC) (यहाँ)
- शहरी इलाक़ों में नगर निगम पर गलियों में खड़ंजे बिछाने, नालियाँ बनाने और सफ़ाई कर्मियों की व्यवस्था करने की ज़िम्मेदारी होती है।

2. पात्रता (*ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समितियाँ यहाँ 2013*)।

- ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों को हर वर्ष ₹10,000 (यहाँ पृष्ठ 17, बिंदु 3.2) की अबंधित निधि मिलती है जिसका उपयोग खड़ंजेदार गलियाँ और नालियाँ बनाने में किया जा सकता है।
- समितियों में 50% महिलाएँ, 30% NGO, हर खेड़े/टोले के प्रतिनिधि (अजा/अजजा खेड़े/टोले शामिल) और महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) होने चाहिए (यहाँ पृष्ठ 8)।

3. आवेदन कार्यविधि

- सीधे पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (VHSNC) के पास।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- पंचायत से शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- यहाँ लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में RTI दायर करें (मेन्यू पट्टी पर 'Contact Us' (हमसे संपर्क करें) का उपयोग करें)।

3. ग्राम सुविधाएँ - आवास

प्रधान मंत्री आवास योजना (पुराना नाम इंदिरा आवास योजना) का लक्ष्य ज़रूरतमंद परिवारों को बुनियादी आवास प्रदान करना है। ग़रीबों के लिए बनी सभी योजनाओं की तरह, यह योजना भी अपनी सफलता के लिए 'पात्र' परिवारों की SECC सूची पर निर्भर है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (यहाँ)
- शहरी आवास एवं ग़रीबी उन्मूलन मंत्रालय (यहाँ)

बिहार सरकार

- ग्रामीण विकास विभाग (यहाँ)

2. पात्रता (*सर्वोत्तम संदर्भ: प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) यहाँ 2016)*

a) प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- 2011 SECC में 'आवास वंचित' श्रेणी में शामिल परिवारों के लिए योजना (यहाँ पुस्तक का पृ. viii, बिंदु 5)
- पक्का घर बनाने के लिए ₹1,20,000 (पहाड़ी इलाक़ों में ₹1,30,000) (यहाँ पुस्तक का पृ. 27, बिंदु 5.1.1)।
- भोजन बनाने के अलग क्षेत्र समेत घर का कुल क्षेत्रफल कम-से-कम 25मी^{2} हो (यहाँ पुस्तिका का पृ. 28, बिंदु 5.1.4)।
- मनरेगा (MGNREGA) के 90 कर्मी दिनों हेतु पात्रता (यहाँ पुस्तिका का पृ. 7, बिंदु 2.2.f और पृ. 27)।
- इस योजना के तहत निर्मित घर स्वच्छ भारत मिशन या नरेगा (NREGA) के तहत शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 पाने के पात्र भी हैं (यहाँ पुस्तिका का पृ. 7, बिंदु 2.2.e और पृ. 28)।
- मौजूदा संरचना के उन्नयन के लिए ₹70,000-₹1,20,000 (यहाँ पुस्तिका का पृ. 7, बिंदु 2.2.c)।

b) प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)

- यथा-स्थान मलिन बस्ती पुनर्वास (इन सिटु स्लम रीहैबिलिटेशन, ISSR) के तहत किसी मलिन बस्ती आवास को पक्का बनाने के लिए ₹1,00,000 (यहाँ पुस्तक का पृ. 2, बिंदु 4)।
- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के परिवार ₹1.5 लाख की सहायता (लाभार्थी नीत निर्माण) के साथ मौजूदा ग़ैर-मलिन कच्चे घरों का उन्नयन कर सकते हैं (यहाँ पुस्तक का पृ. 10, बिंदु 7)

c) ग्रामीण आवास हेतु ऋण-सह-आर्थिक सहायता योजना (क्रेडिट-कम-सब्सिडी स्कीम फ़ॉर रूरल हाउसिंग, CSRH) (यहाँ)

- ग़रीबी रेखा से ठीक ऊपर के वे ग्रामीण ग़रीब पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय अधिकतम ₹32,000/- है।
- योग्य होने के लिए यह आवश्यक है कि स्वच्छ शौचालय और धूम्रहीन चूल्हे घर का अभिन्न अंग हों।
- ₹40,000 तक का ऋण ले सकते हैं।

3. आवेदन कार्यविधि

a) प्रधान मंत्री आवास योजना

- जिस भी व्यक्ति का 0, 1 या 2 कमरों वाला और कच्ची दीवारों व कच्ची छत वाला घर है वह पात्र है।
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आधाररेखा आँकड़ों की मदद से, सहभागी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए उन लोगों की एक पंचवर्षीय वरीयता सूची बनाई जाती है जिन्हें आवास दिए जाने हैं (यहाँ पुस्तक के पृ. 17-24)।

- ग्रामसभा बैठक करके वार्षिक चयन सूची स्वीकृत करती है (बैठक में ज़िला समाहर्त्ता उपस्थित रहते हैं और बैठक की वीडियोग्राफी की जाती है)।
- जो भी नए लाभार्थी शामिल किए जाने हों या जिन भी लाभार्थियों को बाहर किया जाना हो उन्हें, कारणों के साथ शामिल/बाहर के रूप में चिह्नित किया जाता है।
- अंतिम सूची 31 दिसंबर से पहले ज़िला परिषद को भेज दी जाती है।
- अगर आप सूची में हैं, या आपका मानना है कि आपको सूची में होना चाहिए, तो पंचायत, BDO या ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण के पास आवेदन करें।

b) प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी

- सरकारी अभिकरण सूची बनाते हैं (यहाँ पुस्तक का पृ. 12, बिंदु 8)।

c) ग्रामीण आवास हेतु ऋण-सह-आर्थिक सहायता योजना (यहाँ)

- राज्य आवास बोर्ड, योजना का समर्थन करने वाले किसी बैंक, ज़िला ग्रामीण विकास अधिकारी या ज़िला परिषद के पास आवेदन करें।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- सीधे ग्राम पंचायत, ज़िला ग्रामीण विकास अधिकारी या ज़िला परिषद के पास शिकायत करें।
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- प्रधान मंत्री आवास योजना में RTI दायर करें (संपर्क यहाँ हैं)।

4. ग्राम सुविधाएँ - भूमिहीनों के लिए भूमि

प्रधान मंत्री आवास योजना (पुराना नाम इंदिरा आवास योजना) का लक्ष्य ज़रूरतमंद परिवारों को बुनियादी आवास प्रदान करना है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (यहाँ)
- शहरी आवास एवं ग़रीबी उन्मूलन मंत्रालय (यहाँ)

बिहार सरकार

- ग्रामीण विकास विभाग (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) यहाँ 2018)।*

- भूमिहीन व्यक्ति आवास योजना घर ख़रीदने के लिए ₹60,000 के पात्र हो सकते हैं (यहाँ लेख देखें)।

3. आवेदन कार्यविधि

- प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति पात्र है।
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आधाररेखा आँकड़ों की मदद से, सहभागी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए उन लोगों की एक पंचवर्षीय वरीयता सूची बनाई जाती है जिन्हें आवास दिए जाने हैं (यहाँ पुस्तक के पृ. 17-24)।
- पंचायत, BDO या ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण के पास आवेदन करें।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- सीधे ग्राम पंचायत, ज़िला ग्रामीण विकास अधिकारी या ज़िला परिषद के पास शिकायत करें।
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- प्रधान मंत्री आवास योजना में RTI दायर करें (संपर्क यहाँ हैं)।

5. ग्राम सुविधाएँ - सड़कें

भारत के बहुत से गाँवों में पक्की सड़कें नहीं हैं, जिस कारण विशेष रूप से बारिश के मौसम में समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। भारत सरकार 100 में दिए गए एक स्कोर के आधार पर सड़क निर्माण को वरीयता क्रम देती है (नीचे तालिका देखें)।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (यहाँ)

बिहार सरकार

- सड़क निर्माण विभाग (यहाँ) और ग्रामीण विकास विभाग (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ 2013)*

सरकार नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर सड़कों की एक वरीयता सूची बनाती है (यहाँ पृष्ठ 48-50 देखें)।

	पैरामीटर	श्रेणी/भारिता	उपश्रेणी/भारिता
A.	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	50	
	हर 150 की जनसंख्या के लिए 1 अंक, अधिकतम 50 अंक		50
B.	शैक्षिक सुविधाएँ (सर्वोच्च श्रेणी का स्कोर)	10	
	प्राइमरी स्कूल		2
	मिडिल स्कूल		3
	हाई स्कूल		5
	यूनिवर्सिटी-पूर्व पाठ्यक्रम (PUC)/ 10+2 संस्थान		7
	ITI		8
	डिग्री कॉलेज		10
C.	चिकित्सा सुविधाएँ (सर्वोच्च श्रेणी का स्कोर)	7	
	उपकेंद्र / ANM केंद्र		2
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)		4
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)		7
D.	पशुचिकित्सा सुविधाएँ	3	
E.	परिवहन और संचार बुनियादी ढाँचा	15	
	रेलवे स्टेशन		4
	बस स्टैंड		3
	अधिसूचित पर्यटक केंद्र		2
	डाकघर, PCO/ बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		2
	एक डीज़ल / पेट्रोल अधिकृत आउटलेट 1		1
	अतिरिक्त अधिकृत डीज़ल आउटलेट 1		1
	विद्युत सब-स्टेशन 11 KVA 2		1
	विद्युत सब-स्टेशन 11 KVA से अधिक 1		1
F.	बाज़ार सुविधाएँ (संचयी स्कोर)	12	
	मंडी (टर्नओवर के आधार पर)		7
	गोदाम/ कोल्ड स्टोरेज		3
	कृषि निविष्टियाँ और दैनिक उपभोग की वस्तुएँ बेचने वाली खुदरा दुकानें		2
G.	प्रशासनिक केंद्र (सर्वोच्च श्रेणी का स्कोर)	3	
	पंचायत मुख्यालय		1
	उप-तहसील		2
	तहसील/ प्रखंड मुख्यालय		3
		100	**100**

वरीयता **1 यदि >80; 2 यदि 70-80; 3 यदि 60-70 और 4 यदि 60 से कम**

3. आवेदन कार्यविधि

अगर आपका गाँव 1, 2 या 3 वरीयता पर है तो बिहार ग्रामीण निर्माण विभाग में आवेदन करें (पता यहाँ पृष्ठ 23 पर)।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- सीधे ग्राम पंचायत, ज़िला ग्रामीण विकास अधिकारी या ज़िला परिषद के पास शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- ग्रामीण विकास मंत्रालय में RTI दायर करें (पता यहाँ पृष्ठ पर है)।

H) खेती

1. खेती - सिंचाई

भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी खेती से अपनी आजीविका कमाती है, जिसके लिए पानी एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जलवायु परिवर्तन के साथ, वर्षा अधिकाधिक अनियमित होती जा रही है, जिससे खेती और कठिन हो गई है। नीचे दी गईं योजनाएँ किसानों को अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम बनाने का लक्ष्य रखती हैं ताकि वे मौसम की अनिश्चितताओं का कुछ हद तक मुक़ाबला कर सकें।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय (यहाँ)
  - केंद्रीय जल आयोग (यहाँ)
- कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (यहाँ)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2009 (यहाँ)
- राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (यहाँ)

बिहार सरकार

- जल संसाधन विभाग (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन 2010 यहाँ)*

जल संसाधन विभाग की ओर से नहर, जलाशय और लघु-बाँध योजनाओं के लिए, यहाँ 'Irrigation Projects' (सिंचाई परियोजनाएँ) में जाकर 'Ongoing Schemes' (जारी योजनाएँ) देखें।

a) **राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन** (यहाँ पृष्ठ 13)
   - अधिकतम 5 हेक्टेयर तक के लिए बूँद (ड्रिप) / छिड़काव (स्प्रिंक्लर) सिंचाई प्रणाली की लागत हेतु सब्सिडी सहायता। छोटे और सीमांत किसानों के लिए सब्सिडी 60% है (50% केंद्र सरकार द्वारा और 10% राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी) और बाक़ी 40% लागत किसान वहन करेगा।
   - अनारक्षित श्रेणी के किसानों के लिए सब्सिडी सहायता, प्रणाली की लागत का 50% होगी और लागत को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थी के बीच 40:10:50 के अनुपात में बाँटा जाएगा।
   - लाभार्थियों के चयन में DRDA (ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण) और पंचायतें शामिल रहेंगी।

b) **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** (यहाँ क्लिक करें, पृष्ठ 38)
   - गेहूँ, चावल या दालों हेतु पंप सेटों के लिए प्रोत्साहन राशि: लागत के 50% या प्रति मशीन ₹10,000 में से जो भी कम हो उतने की सहायता।
   - स्प्रिंक्लर सेटों का वितरण (केवल गेहूँ या चावल के लिए): लागत के 50% या प्रति हैक्टेयर ₹7,500 में से जो भी कम हो उतने की प्रोत्साहन राशि
   - छोटे व सीमांत किसानों और महिलाओं को वरीयता (यहाँ पृष्ठ 7)।

c) **जल जीवन हरियाली** (यहाँ देखें)
   - बिहार में किसानों को तालाब व पोखर के निर्माण और एक एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए ₹75,500 की सब्सिडी दी जाती है।
   - किसानों को दो श्रेणियों में बाँटा गया है - वैयक्तिक (ऐसे किसान जो एक एकड़ भूमि की सिंचाई करना चाहते हैं) और सामूहिक (ऐसे किसान जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि है और वे समूहों में आवेदन करेंगे)।
   - जो किसान साथ मिलकर 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि के लिए इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें पूरी लागत के बराबर सब्सिडी मिलेगी।

3. आवेदन कार्यविधि

a) राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए यहाँ आवेदन करें:
   - ग्राम पंचायत कार्यालय या
   - ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण।

b) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की योजनाओं के लिए यहाँ आवेदन करें:
   - ग्राम पंचायत या
   - ज़िला समाहर्ता कार्यालय।

c) जल जीवन हरियाली के लिए
   - इस लिंक पर जाएँ।
   - किसान समूह या स्वयं किसान पर निशान लगाएँ, इसके बाद अपनी किसान पंजीकरण संख्या पर क्लिक करें जिससे आवेदन फ़ॉर्म खुल जाएगा। पंजीकरण फ़ॉर्म में माँगी गई सारी जानकारी भरें जैसे किसान का नाम, पिता का नाम, पंचायत का नाम, आदि।
   - जानकारी भरने के बाद 'Get OTP' (OTP पाएँ) पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे आवेदन फ़ॉर्म में भरकर जमा कर दें।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- सीधे ग्राम पंचायत, ज़िला ग्रामीण विकास अधिकारी या ज़िला परिषद के पास शिकायत करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- जल संसाधन विभाग में (यहाँ) RTI दायर करें।

2. खेती - फ़सल बीमा

जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं, चक्रवात, बाढ़ और सूखे की घटनाओं की बारंबारता बढ़ रही है, जिससे खेती में जोखिम और बढ़ गया है। नीचे दी गईं बीमा योजनाएँ किसानों को इनमें से कुछ जोखिमों से सुरक्षा देने का लक्ष्य रखती हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग (यहाँ)
- एग्रिकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया (यहाँ)

बिहार सरकार

- कृषि विभाग (यहाँ)

2. पात्रता (*सर्वोत्तम संदर्भ: प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना यहाँ*)

प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (विवरण यहाँ देखें)

- प्राकृतिक आपदा, पीडकों और रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फ़सल के ख़राब हो जाने की दशा में किसानों को बीमा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
- वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि संकार्य (सीज़नल एग्रिकल्चरल ऑपरेशंस, SAO) ऋण लेने वाले 'ऋणी' किसानों के लिए अनिवार्य। अऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक।
- सभी खाद्य फ़सलों - अनाज, मोटे अनाज और दालें, तिलहन - हेतु सुरक्षा। कुछ उद्यानकृषि फ़सलों जैसे गन्ना, कपास और आलू के लिए भी सुरक्षा (यहाँ पृष्ठ 4 देखें)।
- बीमा प्रीमियम की दरें (यहाँ पृष्ठ 13 देखें):
  - खरीफ़ (मॉनसून/जुलाई-अक्तूबर): सभी खाद्यान्नों और तिलहनों के लिए 2%
  - रबी (सर्दी/अक्तूबर-मार्च): गेहूँ के लिए 1.5%, अन्य रबी फ़सलों के लिए 2%
  - उद्यानकृषि फ़सलें: 5%
  - उपर्युक्त दरें अधिकतम हैं। अगर बीमांकिक दर उपर्युक्त दर से कम है, तो ही वह ली जाएगी। बाक़ी सरकार सब्सिडी के रूप में कवर करेगी।

3. आवेदन कार्यविधि

- पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज़ों के लिए यहाँ देखें।
- हर फ़सली मौसम के शुरू में, राज्य सरकार वे फ़सलें अधिसूचित करती है और वे इलाक़े परिभाषित करती है जिन्हें उस मौसम के दौरान योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- जो किसान इस योजना से जुड़ना चाहता है वह यहाँ ऑनलाइन फ़ॉर्म भरे और उसे प्रीमियम के साथ वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक के PACS की ग्रामीण शाखा में जमा करे।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- PMFBY को 011-23381092 पर फोन करें (यहाँ देखें और 'Helpline' (हेल्पलाइन) पर क्लिक करें);
- यहाँ PMFBY वेबसाइट पर 'Technical Grievance' (तकनीकी शिकायत) पर क्लिक करें;
- PMFBY को help.agri-insurance@gov.in पर ईमेल भेजें;
- एग्रिकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया के बिहार के शिकायत निवारण कर्मी से यहाँ संपर्क करें:

- श्री बी। पी। जेना, प्रबंधक/RM, यूनुस कॉर्पोरेट, प्रथम तल, सुकीर्ति अपार्टमेंट के पास, एस पी वर्मा रोड, पटना - 800001, ई-मेल: bpjena@aicofindia.com ;

- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में RTI दायर करें (यहाँ)।

3. खेती - सब्सिडी

एक अरब से भी अधिक जनसंख्या वाले भारत को यह सख़्त ज़रूरत है कि उसके किसान भोजन की आपूर्ति लगातार बनाए रखें। पर भूमंडलीकरण के साथ खेती के बुनियादी बीजों और उपकरणों की कीमतें बढ़ गई हैं। नीचे दी गईं योजनाएँ इन बुनियादी चीज़ों पर सब्सिडी देने का लक्ष्य रखती हैं ताकि खेती को थोड़ा लाभप्रद बनाकर उसे बढ़ावा दिया जा सके।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (यहाँ)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2009 (यहाँ)

बिहार सरकार:

- कृषि विभाग (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दिशानिर्देश 2009 यहाँ पृष्ठ 37,38)*

सब्सिडी की दरें (यहाँ पृष्ठ 37 और 38 देखें):

a) **बीज**
   - गेहूँ और चावल की अधिक उपज वाली क़िस्मों के लिए ₹500 प्रति 100 किग्रा
   - दालों के लिए ₹1,200 प्रति 100 किग्रा
   - **बीजों की मिनीकिट:** 10 किग्रा गेहूँ (50 हेक्टेयर के लिए), चावल की अधिक उपज वाली क़िस्मों के 5 किग्रा (50 हेक्टेयर के लिए) और चावल की 6 किग्रा संकर क़िस्मों (50 हेक्टेयर के लिए) की पूरी लागत

b) **उपकरण**
   - कोनो वीडर के लिए ₹3,000
   - नैपसैक स्प्रेयर के लिए ₹3,000
   - सीड ड्रिल के लिए ₹15,000
   - रोटावेटर के लिए ₹30,000

c) अन्य सब्सिडी यहाँ पृष्ठ 37 और 38 पर हैं।

3. आवेदन कार्यविधि

NFSM दिशानिर्देश यहाँ देखें (पृष्ठ 3, बिंदु 4, 'District Level' (ज़िला स्तर)):

1. ज़िला खाद्य सुरक्षा मिशन में आवेदन करें, या
2. ज़िला समाहर्त्ता के पास आवेदन करें, या
3. ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास आवेदन करें।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- किसान कॉल सेंटर को टोल फ़्री नंबर 1800-180-1551 पर फोन करें;
- NFSM सेल विवेक अग्रवाल (भा.प्र.से.), संयुक्त सचिव (फ़सल), NFSM, कृषि सहयोग विभाग, से संपर्क करें, फोन नं। : 011 2338 1176 (कार्यालय), यहाँ;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (;
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में RTI दायर करें (यहाँ)।

I) मानवाधिकार उल्लंघन

1. मानवाधिकार उल्लंघन - घरेलू हिंसा

हालाँकि हालात सुधर रहे हैं, पर अभी-भी भारत में महिलाएँ दुर्व्यवहार के प्रति असुरक्षित हैं। अपने ख़ुद के घरों तक में कई महिलाओं को अपने पति और ससुरालीजनों की ओर से नियमित रूप से दुर्व्यवहार (शारीरिक और मानसिक) झेलना पड़ता है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 दर्शाता है कि यह व्यवहार अस्वीकार्य है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- राष्ट्रीय महिला आयोग (यहाँ)
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार राज्य महिला आयोग (यहाँ क्लिक करें और नीचे बिहार पर जाएँ)
- बिहार पुलिस (यहाँ)
- बिहार विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (यहाँ)
- महिला विकास निगम (यहाँ)

2. पात्रता *(संबंधित क़ानूनों के लिए सर्वोत्तम स्रोत: घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 यहाँ)*

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 घरेलू हिंसा को निषिद्ध करता है, जिसमें शामिल हैं:

- कोई भी दुर्व्यवहार, चाहे वह शारीरिक, यौन, भावनात्मक या आर्थिक (दहेज शामिल) में से किसी भी प्रकार का हो। धारा 3(a)
- उपर्युक्त दुर्व्यवहार की धमकी। धारा 3(c)
- महिला के पास किसी भी NGO या विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के ज़रिए मुफ़्त क़ानूनी सलाह पाने का अधिकार है। धारा 5(d)।

भारतीय दंड संहिता

- धारा 498A: महिला से क्रूरता करने वाले पति या पति के संबंधी पर रोक।

उपलब्ध उपाय/राहत

- घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत, पीड़ित महिला निम्नलिखित राहत हेतु आवेदन कर सकती है: सुरक्षित आश्रयस्थल में निवास (धारा 6); संरक्षण आदेश (धारा 18); निवास आदेश (धारा 19), मौद्रिक राहत (धारा 20), अपने बच्चों के लिए अभिरक्षा आदेश (धारा 21), और वित्तीय क्षतिपूर्ति (धारा 22)।
- *EHA ने अब महिलाओं के लिए योजनाओं तक पहुँचने के विषय पर एक पूरी नियमावली बना दी है। EHA वेबसाइट www.eha-health.org पर Downloads / Advocacy manuals / All India / Women's Advocacy Manual (डाउनलोड / पक्षधरता नियमावलियाँ / संपूर्ण भारत / महिला पक्षधरता नियमावली) देखें।*

3. आवेदन करना / राहत तक पहुँचना

- घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, जिस भी व्यक्ति के पास यह मानने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य हुआ है, हो रहा है, या के होने की संभावना है, वह उसके बारे में संबंधित संरक्षण अधिकारी को सूचित कर सकता है।
- यह महत्वपूर्ण है कि आवेदन पेश करते समय दुर्व्यवहार-पीड़ित महिला के साथ एक और महिला (कोई संबंधी, समुदाय में से या NGO की ओर से कोई महिला) उपस्थित हो। आवेदक यह कर सकती है:
  a) **ग्राम पंचायत** से बात करे (महिला सदस्यों से करे तो बेहतर) जो हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर समस्या हल कर दें; या

b) **ज़िला परिवीक्षा अधिकारी (DPO)** को सूचित करे जिसके पास घरेलू हिंसा के मामलों में कुछ शक्तियाँ होती हैं; या
c) स्थानीय **संरक्षण अधिकारी** को सतर्क करे (DVA धारा 8); या
d) अपने राज्य के किसी और ग़ैर-सरकारी **महिला सहायता संगठन** से संपर्क करे (संपर्क यहाँ हैं); या
e) **बिहार महिला आयोग** से बात करे (पता नीचे है)। महिला बयान देती है। आयोग आरोपित को बुलाता है। अगर वह उपस्थित नहीं होता है, तो आयोग शिकायत को **अदालत** के पास भेज देता है।

- इसके बाद, पीड़ित महिला, संरक्षण अधिकारी या महिला आयोग निम्नलिखित कर सकते हैं:
  a) स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराएँ (जिसके बाद पुलिस को चिकित्सीय जाँच/ प्रमाणपत्र की व्यवस्था करनी होगी और फिर वह दुर्व्यवहार की जाँच-पड़ताल करेगी); या
  b) अदालत की ओर से सुरक्षित आश्रयस्थल, संरक्षण आदेश, बच्चों के लिए अभिरक्षा आदेश, या क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन करें।
  c) महिला हेल्पलाइन से संपर्क करें (यहाँ)
  d) अल्प-ठहराव आवास के अधीक्षक से मदद माँगें (यहाँ देखें)

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- अपने राज्य के किसी और NGO सहायता संगठन से संपर्क करें (संपर्क यहाँ हैं);
- अपने ज़िले के पुलिस SP या SSP से शिकायत करें (विवरण यहाँ है);
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- बिहार राज्य महिला आयोग में शिकायत करें: सुश्री दिलमणि मिश्रा (अध्यक्ष, 1 दक्षिण, बेली रोड, पटना, बिहार, फोन: 0612-2507 800, मोब.: 9430 226 303; 9386 259823; ई-मेल: biharswc@gmail.com

2. मानवाधिकार उल्लंघन - बाल श्रम

बहुत से लोग बच्चों को, विशेष रूप से लड़कियों को ख़रीदा-बेचा जाने वाला सामान मानते हैं। बाल श्रम को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो बच्चों को उनके बचपन से, सामर्थ्य से और गरिमा से वंचित कर देता है और जो उनके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है। ऐसा श्रम बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है और यह ग़ैरक़ानूनी है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (यहाँ)
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (यहाँ)
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार श्रम संसाधन विभाग (यहाँ)
- बिहार मानवाधिकार आयोग (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 यहाँ)*

भारत का संविधान, 1949 (यहाँ)

- **अनुच्छेद 24:** कारखानों, खानों और अन्य स्थानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखना निषिद्ध करता है।
- **अनुच्छेद 39e:** किसी को भी उसकी आर्थिक आवश्यकता के द्वारा ऐसा कार्य करने पर विवश नहीं किया जा सकता है जो उसकी आयु के लिए अनुपयुक्त हो।

भारतीय दंड संहिता, 1860 (यहाँ)

- धारा 374: किसी व्यक्ति को श्रम पर विवश करने के विरुद्ध निषेध

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 यहाँ) और संशोधन अधिनियम, 2016 यहाँ

- 14 वर्ष (पूर्ण) से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी 'ख़तरनाक पेशे' में काम पर नहीं रखा जा सकता है। (धारा 3)।
- किशोरों (15-18 वर्ष) को 'ख़तरनाक पेशे' में काम पर रखना निषिद्ध है (धारा 3A)।
- ख़तरनाक पेशों में रेलवे, प्लास्टिक कारखानों, मोटरवाहन गैराजों, पटाखा निर्माण, हथकरघा उद्योग, खानों, ढाबों, रेस्त्राओं, होटलों, चाय की दुकानों, बीड़ी निर्माण, कालीन निर्माण, चमड़ा कमाई (टैनिंग), साबुन निर्माण, ईंट भट्ठों और छत टाइल इकाइयों, भवन निर्माण आदि में काम करना और घरेलू नौकरों के रूप में काम करना शामिल है।
- अनुमन्य उद्योग में भी, कोई भी बच्चा एक घंटे के अवकाश से पहले तीन घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकता है (धारा 7(2)); दिन में छः घंटों से अधिक कार्य नहीं कर सकता है (धारा 7(1)), शाम 7 से सुबह 8 बजे के बीच कार्य नहीं कर सकता है (धारा 7(4)), और उसे हर सप्ताह एक पूरे दिन का अवकाश मिलना चाहिए (धारा 8)।
- ग़ैर-ख़तरनाक पारिवारिक व्यवसायों में स्कूल के बाद बच्चों/किशोरों को काम करने की छूट है। *(जैसा 2016 के संशोधन के तहत यहाँ है - धारा 3(2)(a))।*

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यहाँ)

- धारा 75: बंधुआ मज़दूरी के प्रयोजन से (18 वर्ष से छोटे) बच्चे से क्रूरता के लिए दंड
- धारा 79: "जो भी व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर लगाएगा या काम के उद्देश्य से उसे बंधुआ बनाकर रखेगा या उक्त काम से हुई बच्चे की कमाई को अपने ख़ुद के उद्देश्यों से प्रयोग करेगा उसे पाँच वर्ष तक के सश्रम कारावास का दंड दिया जाएगा और उस पर रुपये एक लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।"

- बिहार किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2017 यहाँ।

फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948

- सभी कारखानों में चौदह वर्ष से छोटे बच्चों को काम पर रखना निषिद्ध करता है।
- किशोरों (14-18 वर्ष) को कारखानों में काम पर रखने के लिए अधिकृत चिकित्सक की ओर से प्रमाणपत्र चाहिए।
- अगर किसी किशोर को क़ानूनी रूप से काम पर रखा गया है तो भी, वह रात की पाली में काम नहीं कर सकता और दिन में अधिकतम 4.5 घंटे काम कर सकता है।

उपलब्ध उपाय/दंड

- बाल श्रम का उपयोग करने वाले व्यक्ति को भा.द.सं. या बाल श्रम अधिनियम के तहत 2 वर्षों तक का दंड दिया जा सकता है। धारा 14(2)।
- काम के लिए किशोरों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को दो वर्षों तक के दंड और जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। धारा 14 (1A)।
- बाल श्रम के पीड़ित को दोषी व्यक्ति की ओर से देय ₹20,000 की क्षतिपूर्ति की मिल सकती है (वाद यहाँ देखें)।

तात्कालिक राहत ₹3,000/दावा, CMRF ₹25,000/दावा, वार्षिकी (एन्युटी) आधारित FD के रूप में
अगर बंधुआ बाल श्रमिक हो तो - IA ₹20,000/दावा; 1-3 लाख का दावा भारत सरकार को

3. आवेदन करना / राहत तक पहुँचना

- कार्यकर्ता स्थानीय **पुलिस स्टेशन** में प्राथमिकी दर्ज कराएँ जिसके बाद पुलिस दुर्व्यवहार की जाँच-पड़ताल करेगी; या
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में बच्चों को काम पर रखने के बारे में संकट कॉल लेने वाली **टोल-फ़्री हेल्पलाइन 'चाइल्डलाइन' (1098)** (वेबसाइट यहाँ) को फोन करें। NGO दिन के चौबीसों घंटे इस नंबर को चालू रखते हैं और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। 1098 बिहार के 24 शहरों (सूची के लिए यहाँ जाकर 'Childline Locations' (चाइल्डलाइन के स्थान) पर क्लिक करें) में सक्रिय है जिनमें शामिल हैं: अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, बांका, दरभंगा, गया, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, जमुई, मुज़फ़्फ़रपुर, मधुबनी, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, सहरसा, सरन, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चंपारण।
- श्रम संसाधन विभाग के "धावा दल" को सूचित करना।
- वॉट्सएप्प (नंबर-9471229133) के माध्यम से सूचना के ज़रिए तुरंत कार्रवाई
- शिकायत भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के **"पेंसिल पोर्टल"** पर ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकती है। (वेबसाइट यहाँ है)

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- चाइल्डलाइन 1098 को दोबारा फोन करें;
- बिहार मानवाधिकार आयोग से शिकायत करें (यहाँ);
- शिकायत की प्रति राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को भेजें (यहाँ); या
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में फ़ैक्स नंबर 011-23382911/23382734 पर या ई-मेल covdnhrc@nic.in पर शिकायत दर्ज कराएँ। ऐसी शिकायतों के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाती है;
- अपने ज़िले के पुलिस SP या SSP के पास RTI दायर करें (विवरण यहाँ है);
- श्रम संसाधन विभाग के साथ पक्षधरता;
- राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण/ज़िला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के साथ पक्षधरता

3. मानवाधिकार उल्लंघन - बाल विवाह

यूनिसेफ़ (UNICEF) के अनुसार, 47% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते कर दिया जाता है, और 18% लड़कियों का विवाह 15 वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते कर दिया जाता है। अल्पायु लड़कियों को विवाह करने पर विवश किया जाता है, जिससे उन पर घरेलू कामकाज करने का और असुरक्षित आयु में गर्भधारण करने का दबाव पड़ता है। 15 से 18 वर्ष की लड़कियों में गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मौत होने की संभावना, आयु के तीसरे दशक में मौजूद महिलाओं की तुलना में दोगुनी होती है। वास्तविकता में, विवाह बालिका वधू के बचपन की क्रूर हत्या कर देता है। क़ानून 18 वर्ष से छोटी लड़कियों और 21 वर्ष से छोटे लड़कों के विवाह को निषिद्ध करता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (यहाँ)
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (यहाँ)
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार मानवाधिकार आयोग (यहाँ)
- बिहार पुलिस (यहाँ)
- महिला विकास निगम (यहाँ)

2. पात्रता (*सर्वोत्तम संदर्भ: बिहार नियम यहाँ, चाइल्डलाइन पुस्तिका यहाँ*)

बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत:

- धारा 2(a) के तहत 18 वर्ष से कम आयु की कोई भी महिला और 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी पुरुष एक "बच्चा" है।
- धारा 2(b) के तहत, "बाल विवाह" ऐसा विवाह है जिसमें दोनों में से कोई भी पक्ष विवाह के समय बच्चा था।

उपलब्ध उपाय/दंड

- **बाल विवाह को शून्य करना:** अगर विवाह हो गया है, तो वह लड़की या लड़का जो विवाह के समय बच्ची थी/बच्चा था, अगर चाहे तो, 18 वर्ष का हो जाने पर ज़िला अदालत में आवेदन करके विवाह को शून्य करवा सकती/ता है (धारा 3(1))।
- **जो भी दहेज** दिया गया हो उसे लौटाना होगा (धारा 3(4))।
- बाल विवाह को "बढ़ावा" या "अनुमति" देने वालों, जो आम तौर पर माता-पिता होते हैं पर उनमें दूल्हा (अगर 21 वर्ष से बड़ा हो), पुरोहित/पंडित, संबंधी या मित्र भी शामिल हो सकते हैं, के लिए **दंड** (धारा 11)।

3. आवेदन करना / राहत तक पहुँचना

बाल विवाह की सूचना देना:

अगर आप देखें या आपको संदेह हो कि 18 वर्ष से छोटी किसी लड़की का विवाह किया जा रहा है तो:-

- संभावित बाल विवाह के बारे में संकट कॉल लेने वाली **टोल-फ़्री हेल्पलाइन 'चाइल्डलाइन' (1098)** (वेबसाइट यहाँ) को फोन करें। NGO दिन के चौबीसों घंटे इस नंबर को चालू रखते हैं और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। 1098 बिहार के 24 शहरों (सूची के लिए यहाँ जाकर 'Childline Locations' (चाइल्डलाइन के स्थान) पर क्लिक करें) में सक्रिय है जिनमें शामिल हैं: अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, बांका, दरभंगा, गया, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, जमुई, मुज़फ़्फ़रपुर, मधुबनी, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, सहरसा, सरन, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चंपारण।
- पुलिस को उसकी सूचना दें जिसे दैनिन्दिनी (रोज़नामचे) में प्रविष्टि करनी होगी और शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करनी होगी।
- मुफ़्त क़ानूनी मदद के लिए SLSA (राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण) में आवेदन करें।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- चाइल्डलाइन 1098 को दोबारा फोन करें;
- बिहार मानवाधिकार आयोग से शिकायत करें (वेबसाइट यहाँ है);
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में फ़ैक्स नंबर 011-23382911/23382734 पर या ई-मेल covdnhrc@nic.in पर शिकायत दर्ज कराएँ। ऐसी शिकायतों के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाती है;
- अपने ज़िले के पुलिस SP या SSP के पास RTI दायर करें (विवरण यहाँ है)।

4. मानवाधिकार उल्लंघन - बच्चों का अवैध व्यापार

कई परिवार, परिवार के आर्थिक सहयोग के लिए काम करने के उद्देश्य से अपने बच्चों को अनजाने में बेच देते हैं। अक्सर, इन बच्चों को अपने परिवारों से संपर्क नहीं करने दिया जाता है और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। कुछ बच्चे बंधुआ मज़दूर बन जाते हैं और कुछ अन्य बच्चे व्यावसायिक यौन शोषण के दलदल में फँस जाते हैं। हर वर्ष हज़ारों बच्चों का अवैध व्यापार होता है। अवैध मानव व्यापार के किसी भी संदेह की सूचना पुलिस या चाइल्डलाइन को दी जानी चाहिए।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (यहाँ)
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) (यहाँ)
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) (यहाँ)

बिहार

- बिहार श्रम संसाधन विभाग (यहाँ)
- बिहार मानवाधिकार आयोग (यहाँ)
- बिहार पुलिस (यहाँ)
- अवैध मानव व्यापार-रोधी इकाई

2. पात्रता (*सर्वोत्तम संदर्भ: अनैतिक मानव-व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 यहाँ*)

भारत का संविधान (यहाँ)

- अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।
- अनुच्छेद 23 अवैध मानव व्यापार को निषिद्ध करता है।
- अनुच्छेद 39(e) यह निर्देश देता है कि "महिलाओं और सुकुमार वय के बच्चों के स्वास्थ्य और सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता द्वारा ऐसे उद्यमों में प्रवेश हेतु विवश नहीं किया जाएगा जो उनकी आयु या सामर्थ्य के लिए अनुपयुक्त हैं।"
- अनुच्छेद 39(f) यह निर्देश देता है कि बच्चों को स्वस्थ ढंग से और स्वतंत्रता व गरिमा की स्थितियों में विकसित होने के अवसर व सुविधाएँ दी जानी चाहिए और यह कि बचपन और युवावस्था को शोषण के विरुद्ध और नैतिक व भौतिक परित्याग के विरुद्ध संरक्षण मिलना चाहिए।

भारतीय दंड संहिता (यहाँ)

भारतीय दंड संहिता (धारा 370) "अवैध मानव व्यापार" को निम्नवत परिभाषित करती है:

1. किसी व्यक्ति को भर्ती करना, उसका परिवहन करना, उसे आश्रय देना, उसका स्थानांतरण करना या उन्हें प्राप्त करना;
2. धमकियों, बल, ज़बरदस्ती, अपहरण, धोखे, कपट, शक्ति के दुरुपयोग द्वारा या व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को या से लाभ देने या पाने के द्वारा;
3. "शोषण" के प्रयोजन से, जिसमें शामिल हैं वेश्यावृत्ति, यौन शोषण, बलात् श्रम या सेवाएँ, गुलामी या गुलामी अथवा दासत्व जैसा कुछ।

- धारा 366A: अवयस्क लड़कियों की दलाली/आपूर्ति/प्राप्ति पर निषेध
- धारा 367: अपहरण/बहला-फुसलाकर ले जाने पर निषेध।

अनैतिक मानव-व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (यहाँ)

- धारा 5: सहमति से या सहमति के बिना, वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति की दलाली/आपूर्ति/प्राप्ति पर, उसे लुभाने पर या उसे ले जाने पर निषेध।

दंड

- भा.द.सं. धारा 370 (4): अवयस्क के अवैध व्यापार पर न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास का दंड है।
- ITPA (अनैतिक मानव-व्यापार (निवारण) अधिनियम) की धारा 5: किसी बच्चे का अवैध व्यापार करने वाले को न्यूनतम 7 वर्ष (और अधिकतम आजीवन) कारावास का दंड दिया जा सकता है।

3. आवेदन करना / राहत तक पहुँचना

अगर कोई बच्चा लापता है तो:

a) **स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी** दर्ज कराएँ। बच्चे का हालिया फोटो और संपर्क के लिए अपना मोबाइल फोन नंबर प्रदान करें। उसके बाद पुलिस जाँच करने को बाध्य है; या

b) बच्चों के संभावित अवैध व्यापार के बारे में संकट कॉल लेने वाली **टोल-फ़्री हेल्पलाइन 'चाइल्डलाइन' (1098)** (यहाँ) को फोन करें। NGO दिन के चौबीसों घंटे इस नंबर को चालू रखते हैं और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। 1098 बिहार के 24 शहरों (सूची के लिए यहाँ जाकर 'Childline Locations' (चाइल्डलाइन के स्थान) पर क्लिक करें) में सक्रिय है जिनमें शामिल हैं: अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, बांका, दरभंगा, गया, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, जमुई, मुज़फ़्फ़रपुर, मधुबनी, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, सहरसा, सरन, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चंपारण; या

c) लापता बच्चे की सूचना ग्राम बाल संरक्षण समिति (VCPC) को दें; या

d) लापता बच्चे को (फोटो समेत) www.trackthemissingchild.gov.in नामक वेबसाइट पर पंजीकृत करें। इस वेबसाइट में पूरे भारत के लापता और मिल चुके बच्चों की जानकारी होती है; या

e) लापता बच्चे को (फोटो समेत) http://khoyapaya.gov.in/mpp/home नामक वेबसाइट पर पंजीकृत करें। यह एक सरकारी वेबसाइट है जहाँ कोई भी नागरिक किसी भी लापता या मिल चुके बच्चे की जानकारी अपलोड कर सकता है (बच्चे का अवैध व्यापार होने का संदेह हो तो भी); या

f) ऑपरेशन मुस्कान से संपर्क करें, जिसे विशेष रूप से लापता बच्चे खोजने के लिए बनाया गया है यहाँ; या गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन (जिसने यह कार्यक्रम शुरू किया था) से संपर्क करें (विवरण यहाँ है)।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- चाइल्डलाइन 1098 को दोबारा फोन करें;
- बिहार मानवाधिकार आयोग से शिकायत करें (यहाँ);
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करे
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में फ़ैक्स नंबर 011-23382911/23382734 पर या ई-मेल covdnhrc@nic.in पर शिकायत दर्ज कराएँ। ऐसी शिकायतों के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाती है;
- अपने ज़िले के पुलिस SP या SSP के पास RTI दायर करें (विवरण यहाँ है)।

5. मानवाधिकार उल्लंघन - यौन अवैध-व्यापार

बहुत सी युवतियों और लड़कियों का नौकरी या विवाह का लालच देकर अवैध व्यापार/अपहरण किया जाता है। ये लड़कियाँ कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या गुजरात जैसे स्थानों पर ज़बरन वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती हैं। परिवार से जुदा कर दिया जाना, अवैध व्यापार के ज़रिए ज़बरन वेश्यावृत्ति में धकेला जाना, और रोज़ाना कई-कई बार बलात्कार किया जाना ही इन युवतियों की ज़िंदगी होती है। हर वर्ष, व्यावसायिक यौन शोषण के लिए हज़ारों लड़कियों का अवैध व्यापार होता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- महिला और बाल विकास मंत्रालय (यहाँ)
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) (यहाँ)
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (यहाँ)
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (यहाँ)
- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार मानवाधिकार आयोग (यहाँ)
- बिहार पुलिस (यहाँ)

2. पात्रताएँ *(सर्वोत्तम संदर्भ: अनैतिक मानव-व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 यहाँ)*

भारत के संविधान के तहत (यहाँ)

- अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है
- अनुच्छेद 23 अवैध मानव व्यापार को निषिद्ध करता है।
- अनुच्छेद 39(e) यह निर्देश देता है कि "महिलाओं और सुकुमार वय के बच्चों के स्वास्थ्य और सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता द्वारा ऐसे उद्यमों में प्रवेश हेतु विवश नहीं किया जाएगा जो उनकी आयु या सामर्थ्य के लिए अनुपयुक्त हैं।"
- अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक को, और स्पष्टतः स्वयं राज्य को, यह दायित्व सौंपता है कि वे महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं को त्यागें और मानवतावाद को विकसित करें।

भारतीय दंड संहिता (यहाँ)

- धारा 366A: अवयस्क लड़की की दलाली/आपूर्ति/प्राप्ति
- धारा 366B: विदेश से लड़की लाना
- धारा 370: व्यक्ति का अवैध व्यापार
- धारा 370A: अवैध व्यापार से लाए गए व्यक्ति का शोषण
- धारा 372: वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से अवयस्क को बेचना
- धारा 373: वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से अवयस्क को ख़रीदना

अनैतिक मानव-व्यापार (निवारण) अधिनियम (ITPA) (यहाँ)

- धारा 3: वेश्यालय चलाना ग़ैरक़ानूनी है। *(वेश्यावृत्ति का एकमात्र क़ानूनी रूप, किसी वयस्क द्वारा उसके स्वयं के घर से है)*
- धारा 4: वेश्यावृत्ति से प्राप्त कमाई पर जीना ग़ैरक़ानूनी है।
- धारा 5: सहमति से या सहमति के बिना, वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति की दलाली/आपूर्ति/प्राप्ति करना, उसे लुभाना या उसे ले जाना।
- धारा 6: अवयस्क को वेश्यालय में क़ैद करना
- धारा 9: अभिरक्षक या प्रभारी व्यक्ति को प्रलोभन आदि

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो/POCSO) अधिनियम, 2012 (यहाँ)

- धारा 4-12: बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों को ग़ैरक़ानूनी घोषित करती है।

- धारा 20: मीडिया, होटलों, फोटो स्टूडियो और अस्पतालों के लिए बच्चों से यौन दुर्व्यवहार की सूचना पुलिस को देना अनिवार्य करती है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यहाँ)

- धारा 3(1)(xii): अजा/अजजा महिला की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में मौजूद कोई व्यक्ति, अगर अपनी उस स्थिति का उपयोग महिला के यौन शोषण के लिए करता है, जहाँ वह अन्यथा सहमत न हुई होती, तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा।

दंड

- अवैध-व्यापार के दोषियों को भा। द। सं। और/या अन्य अधिनियमों के तहत आजीवन कारावास तक का दंड मिल सकता है।

उपलब्ध उपाय/राहत

- अवैध-व्यापार से पीड़ित अवयस्क लड़की को बाल कल्याण समिति की देखरेख में रखा जा सकता है, जो बच्चे को सरकार या किसी पंजीकृत एजेंसी द्वारा संचालित किसी सुरक्षित गृह में रख सकती है (ITPA की धारा 17(4)); और
- अवैध-व्यापार से पीड़ित महिला को उसके स्वस्थान वापस भेजने और वहाँ उसे मुख्य धारा में वापस शामिल करने के लिए सहायता दी जा सकती है।
- क्षतिपूर्ति
    - बिहार पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 (यहाँ) और संशोधन योजनाएँ, 2018 (यहाँ) और 2019 (यहाँ)
    - बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 (जिसे बलात् वेश्यावृत्ति के पीड़ितों तक विस्तार दे दिया गया है)
    - NALSA (अवैध मानव-व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित) योजना, 2015 (यहाँ)
    - साक्षी संरक्षण योजना
    - वन स्टॉप सेंटर (OSC) (यहाँ): वन स्टॉप सेंटर (OSC) निजी और सार्वजनिक स्थानों में, परिवार व समुदाय के भीतर और कार्यस्थल पर, हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए हैं। शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुर्व्यवहार का सामना कर रहीं महिलाओं, चाहे वे किसी भी आयु, वर्ग, जाति, शैक्षिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति की हों, को सहायता और निवारण प्रदान किए जाएँगे। यौन उत्पीड़न, यौन हमलों, घरेलू हिंसा, अवैध मानव-व्यापार, सम्मान संबंधी अपराधों, एसिड हमलों या संदेहों/अंधविश्वास के आधार पर निशाना बनाए जाने के प्रयासों के कारण किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रहीं जिन भी महिलाओं ने OSC से संपर्क किया है या जिन्हें वहाँ भेजा गया है, उन्हें विशेष सेवाएँ दी जाएँगी।

3. आवेदन करना / राहत तक पहुँचना

अगर आपको ऐसा कुछ दिखे जो आपके संदेह में यौन अवैध-व्यापार हो सकता है तो:

- **स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी** दर्ज कराएँ; या
- **टोल-फ़्री हेल्पलाइन 'चाइल्डलाइन' (1098)** को फोन करें (यहाँ)। 1098 बिहार के 24 शहरों (सूची यहाँ 'Childline Locations' (चाइल्डलाइन के स्थान) के तहत देखें) में सक्रिय है जिनमें शामिल हैं: अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, बांका, दरभंगा, गया, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, जमुई, मुज़फ़्फ़रपुर, मधुबनी, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, सहरसा, सरन, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चंपारण; या
- **जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल** से info@justiceventures.org पर संपर्क करें; यह एक NGO है जो यौन अवैध-व्यापार से लड़ने के लिए सरकार के साथ कार्य करने में विशेषज्ञता रखता है।
- पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए संबंधित DLSA (ज़िला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण) या BLSA (बिहार विधिक सेवाएँ प्राधिकरण) में आवेदन करें (यहाँ)।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- चाइल्डलाइन 1098 को दोबारा फोन करें;

- बिहार मानवाधिकार आयोग से शिकायत करें (यहाँ);
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- अपने ज़िले के पुलिस SP या SSP के पास RTI दायर करें (विवरण यहाँ है)।

5. सफलता की कहानी

बेतिया, बिहार (4 जुलाई, 2019): बिहार के बेतिया ज़िले में 6 वेश्यालयों से 4 अवयस्कों समेत 11 महिलाओं को बचाया गया।

यह हस्तक्षेप जस्टिस वेंचर्स इंडिया ट्रस्ट (JVIT), NGO पार्टनर अदिति (ADITHI) और स्थानीय पुलिस अधिकारियों का एक संयुक्त प्रयास था जिसमें अवैध-व्यापार के दोषियों और ग्राहकों समेत 15 आरोपितों को गिरफ़्तार किया गया।

6. मानवाधिकार उल्लंघन - बंधुआ/बलात् श्रम

बंधुआ श्रम (उन्मूलन) अधिनियम के तहत बलात् श्रम व्यवस्था को बलात् श्रम प्रदान करने के करार के रूप में परिभाषित किया गया है। "करार" को व्यापक रूप से, किसी प्रथागत या सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए दिए गए किसी अग्रिम को चुकाने के लिए, किसी संबंधी के ऋण को चुकाने के लिए, या किसी समुदाय विशेष में जन्म लेने के कारण से, कोई भुगतान प्राप्त करने के करार के रूप में परिभाषित किया गया है। श्रम को "बलात्" माना जाता है अगर (1) रोज़गार, आने-जाने, या बाज़ार में वस्तु व सेवाएँ बेचने की स्वंतत्रता पर प्रतिबंध हों, या (2) श्रम का भुगतान न्यूनतम वेतन से कम हो। नब्बे प्रतिशत बंधुआ श्रमिक अजा/अजजा समुदाय से होते हैं। इसलिए, किसी ऋण को चुकाने के लिए अक्सर बच्चों या परिजनों को किसी शक्तिशाली भूस्वामी को सौंप दिया जाता है, पर उनके द्वारा किए गए कार्य को ऋण की चुकौती में नहीं गिना जाता है, बहुत अधिक ब्याज ली जाती है, और श्रमिक कभी-भी मुक्त नहीं हो पाता है। यह आधुनिक युग की दासता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय - MoLE (यहाँ)
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (यहाँ)
- महिला और बाल विकास मंत्रालय (यहाँ)

बिहार सरकार

- जिलाधिकारी
- श्रम संसाधन विभाग (यहाँ)
- बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग (यहाँ)
- बिहार पुलिस (यहाँ)

2. पात्रता (*सर्वोत्तम संदर्भ: बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976)*

भारत का संविधान (यहाँ)

- अनुच्छेद 23(1): बलात् श्रम निषिद्ध करता है

भारतीय दंड संहिता (यहाँ)

- धारा 374: किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध ग़ैरक़ानूनी ढंग से श्रम करने पर विवश किए जाने का निषेध करती है।

बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 ("BLA") (यहाँ)

- धारा 2 (e): "बंधुआ श्रम" का अर्थ बंधुआ श्रम व्यवस्था के तहत किए गए किसी भी श्रम या दी गई सेवा से है।
- धारा 2 (f): "बंधुआ श्रमिक" का अर्थ एक ऐसे श्रमिक से है जो बंधुआ ऋण लेता है, जिस पर बंधुआ ऋण है, या यह माना गया है कि उसने बंधुआ ऋण लिया है
- धारा 2 (d): "बंधुआ ऋण" का अर्थ एक ऐसे अग्रिम से है जो बंधुआ श्रम व्यवस्था के तहत या उसके अनुसरण में, किसी बंधुआ श्रमिक ने लिया है या यह माना गया है कि उसने लिया है।
- धारा 4: किसी भी व्यक्ति को श्रम करने पर विवश नहीं किया जा सकता है। हर बंधुआ श्रमिक को अब "मुक्त" माना जाता है।
- धारा 5: ऐसी कोई भी प्रथा, परंपरा या करार जिसके द्वारा किसी को बंधुआ बनाया गया/कार्य कर पर विवश किया गया था, शून्य कर दी जाएगी।

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यहाँ और आदर्श नियम यहाँ)

- बंधुआ श्रम के प्रयोजन से (18 वर्ष से छोटे) किशोर को प्राप्त करने का अपराध।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यहाँ)

- धारा 3(1)(vi): किसी अजा/अजजा व्यक्ति को बलात् या बंधुआ श्रम करने पर विवश करना एक अत्याचार है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम

- विभिन्न प्रकार के रोज़गार के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन (बिहार यहाँ देखें।

उपलब्ध उपाय/राहत

- बंधुआ श्रमिक को किसी भी ऋण/देनदारी से मुक्त किया जा सकता है और क्षतिपूर्ति दी जा सकती है (BLA की धारा 6);
- बंधुआ श्रम को उपयोग में लेने वाले व्यक्ति पर भा। द। सं। या (ऊपर लिखे) अन्य अधिनियमों के तहत मुक़दमा चलाया जा सकता है; और
- बंधुआ श्रमिक को उसके स्वस्थान वापस भेजने और मुख्य धारा के जीवन में पुनः शामिल होने के लिए सहायता दी जा सकती है।
- क्षतिपूर्ति इनके तहत उपलब्ध है:
  - बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना - 2016 (यहाँ)
  - बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 में संशोधन (यहाँ)
  - BLR योजना, बिहार (यहाँ)

3. आवेदन करना / राहत तक पहुँचना

अगर आपको ऐसा कुछ दिखे जो आपके संदेह में बंधुआ श्रम हो सकता है तो:

- जिलाधिकारी (DM)/अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) के समक्ष शिकायत करें क्योंकि वे बंधुआ श्रम के पीड़ितों को बचाने और उनका पुनर्वास कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं। MoLE (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय) द्वारा जारी मानक प्रचालन कार्यविधि का पालन करें (यहाँ); या
- NHRC में शिकायत करें और शिकायत की स्थिति (यहाँ) से ट्रैक करें; या
- **टोल-फ़्री हेल्पलाइन चाइल्डलाइन (1098)** को कॉल करें जो बिहार के 24 शहरों (सूची यहाँ है) में सक्रिय है।
- (जिलाधिकारी, दो समाजसेवियों, अजा/अजजा समुदाय के प्रतिनिधियों को मिलाकर बनी) ज़िला सतर्कता समिति को इसकी सूचना दें। समिति का यह कार्य है कि वह दोषियों को ढूँढे, उन पर मुक़दमे की निगरानी करे, मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों का अदालत में बचाव करे और उन्हें पुनर्वास प्रदान करे।
- **जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल** से info@justiceventures.org पर संपर्क करें; यह एक NGO है जो बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए सरकार के साथ कार्य करने में विशेषज्ञता रखता है।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- चाइल्डलाइन 1098 को दोबारा फोन करें;
- बिहार मानवाधिकार आयोग से शिकायत करें (यहाँ);
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- अपने ज़िले के पुलिस SP या SSP के पास RTI दायर करें (विवरण यहाँ है)।

5. सफलता की कहानी

सत्रह परिवार (कुल लगभग 62 लोग) एक ईंट-भट्ठे पर बंधुआ श्रम में फँसे थे, वे सभी बिहार के जहानाबाद और गया ज़िलों से संबंध रखने वाले "माँझी/मुसहर/" नामक महादलित अनुसूचित जाति समुदाय से थे।

ईंट-भट्ठे के स्वामी के स्थानीय राजनीतिक नेताओं से अच्छे संबंध थे। जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल, NHRC की और क्रमशः जहानाबाद व गया के DM की सहायता से, उन्हें बचा पाया और हर परिवार को ₹20,000/- की तात्कालिक क्षतिपूर्ति दिलवा पाया। कुछ पीड़ित अपनी आजीविका के लिए उस धन का उपयोग करने में सफल रहे हैं।

J) पहचान के दस्तावेज़

1. पहचान के दस्तावेज़ - विशिष्ट पहचान पत्र

ऊपर के अनुभागों में वर्णित कई योजनाओं के लाभ केवल तब मिल सकते हैं अगर आवेदक के पास पहचान का पर्याप्त प्रमाण हो। पहचान का सबसे बुनियादी प्रमाण है आधार कार्ड, जो 12 अंकों वाली एक विशिष्ट संख्या है जिसे अंततः भारत के सभी निवासियों के लिए जारी किया जाएगा। इससे एक केंद्रीय डेटाबेस में हर व्यक्ति की बुनियादी जनांकिक जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी (फोटो, अंगुलियों के निशान और परितारिका (आइरिस)) भंडारित की जाती है। आधार कार्ड मुफ़्त जारी किया जाता है, और हालाँकि यह अनिवार्य नहीं है, पर उपयोगी अवश्य है क्योंकि यह कई सरकारी योजनाओं तक पहुँचना आसान बनाता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूनीक आइडेंटिफ़िकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, UIDAI) (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: आधार की वेबसाइट यहाँ)*

- जो भी व्यक्ति भारत का निवासी है वह आधार बनवा सकता है, चाहे उसके पास पहचान का कोई भी दस्तावेज़ हो या न हो।
- तीन वर्ष से छोटे बच्चों के मामले में बायोमेट्रिक विवरण नहीं लिए जाते हैं और आधार उसके संरक्षकों/अभिभावकों से लिंक कर दिया जाता है।
- बच्चे के पाँच वर्ष का हो जाने पर उन्हें बायोमेट्रिक विवरण का पंजीकरण कराना होता है। बच्चे के 15 वर्ष का हो जाने पर बायोमेट्रिक विवरण पुनः पंजीकृत किए जाते हैं क्योंकि वे आयु के साथ बदल जाते हैं (यहाँ देखें)।

3. आवेदन कार्यविधि

- नामांकन कार्यविधि का विवरण यहाँ है।
- आवेदन फ़ॉर्म भरें (यहाँ या इस नियमावली में यहाँ)
- नज़दीकी नामांकन शिविर में जमा करें।
- पहचान का प्रमाण (POI) और पते का प्रमाण (POA) आवश्यक हैं (स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची यहाँ आवेदन फ़ॉर्म के पृष्ठ 2 पर या यहाँ है)।
- जिन लोगों के पास दस्तावेज़ नहीं हैं, उनके लिए एक परिचायक व्यवस्था है। नामांकन पंजीयक ऐसे लोगों को नामित कर सकता है जो व्यक्ति की जानकारी की वैधता का ज़िम्मा ले सकते हैं/को प्रमाणित कर सकते हैं। सरकारी अभिकरण, बैंक, अध्यापक, गाँव के डाकिये, निर्वाचित प्रतिनिधि और NGO परिचायक हो सकते हैं। परिचायकों को पहले नामांकित करके प्रशिक्षण दिया जाता है। नामांकन करवाने वाले व्यक्ति के विवरण में उनकी UID लिखी जाती है।
- आधार कार्ड 60-90 दिन के भीतर दे दिया जाना चाहिए।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन की प्रक्रिया न की जाए)

- टोल फ़्री नंबर 1947 पर फोन करें;
- help@uidai.gov.in पर ईमेल भेजें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- UDAI के क्षेत्रीय कार्यालय में RTI डालें (पृष्ठ पर सबसे नीचे क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) पर जाएँ और क्षेत्रीय कार्यालय का पता ढूँढने के लिए अपने राज्य के नाम पर क्लिक करें)।

5. सफलता की कहानी

यहाँ परिचय में मीता को उसका आधार कार्ड मिलने की कहानी देखें।

2. पहचान के दस्तावेज़ - मतदाता पहचान पत्र

आधार कार्ड के स्थापित होने से पहले, मतदाता पहचान पत्र पहचान का सबसे बुनियादी प्रमाण हुआ करता था। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हर भारतीय को इस कार्ड का अधिकार है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- भारतीय निर्वाचन आयोग (यहाँ)

बिहार सरकार

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: SVEEP (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) यहाँ)।*

- अगर आवेदन के वर्ष की 1 जनवरी को आयु 18 वर्ष या अधिक है तो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं (यहाँ फ़ॉर्म के पृष्ठ 3 पर दिशानिर्देश 6 देखें)
- अगर मतदाता सूची में नाम है तो मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्राप्त कर सकते हैं।

3. आवेदन कार्यविधि

a) **मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए** (कार्यविधि यहाँ देखें)

- यहाँ जाँचें कि आपका नाम सूची में है या नहीं, और अगर नहीं है तो:
  - जब समय-समय पर घर-घर जाकर सूची अपडेट की जाती है तब पंजीकरण कराएँ; या
  - यहाँ फ़ॉर्म 6 ऑनलाइन भरें; या
  - जब चाहें तब काग़ज़ी प्रति भरें (यहाँ से डाउनलोड करें)। अगर काग़ज़ी प्रति का उपयोग कर रहे हों तो उसे अपने निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास डाक से भेजें या जमा करें (अक्सर ADM ही ERO होते हैं)।
- आपको ये दस्तावेज़ चाहिए होंगे:
  - **आयु का प्रमाण**: अगर आयु 21 से अधिक है और देखने में 21 से ऊपर के लगते हैं तो कोई प्रमाण आवश्यक नहीं है। अगर आयु 18-21 है तो जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र या अभिभावक घोषणा (फ़ॉर्म 6 के पृष्ठ 3 पर दिशानिर्देश 6.1 देखें)।
  - **निवास का प्रमाण**। निवास का कोई न्यूनतम समय आवश्यक नहीं है, पर आप वहाँ रहते हैं इस बात का कोई दस्तावेज़ी प्रमाण चाहिए होगा (फ़ॉर्म 6 के पृष्ठ 3 पर दिशानिर्देश 8.1 देखें) जैसे:
    (i) बैंक / किसान / डाकघर चालू खाता पासबुक, या
    (ii) आवेदक का राशन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / आयकर निर्धारण आदेश, या
    (iii) उस पते का नवीनतम पानी / टेलीफोन / बिजली / गैस कनेक्शन का बिल जो या तो आवेदक के नाम में हो या उसके निकटस्थ संबंधी जैसे माता/पिता आदि के नाम में हो, या
    (iv) दिए गए पते पर प्राप्त हुई / पहुँचाई गई डाक विभाग की डाक।

b) **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC)**

- जब मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है तो EPIC कार्ड स्वतः जारी हो जाने चाहिए (फ़ॉर्म 6 के पृष्ठ 4 पर दिशानिर्देश 10.1 देखें)।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- मतदाता हेल्पलाइन को फोन करें (STD कोड 1950)।
- सीधे यहाँ निर्वाचन आयोग शिकायत पोर्टल में शिकायत दर्ज करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें (

- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- जिस निर्वाचक पंजीकरण कार्यालय में आपने आवेदन किया था वहाँ RTI दायर करें।

3. पहचान के दस्तावेज़ - जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र

बच्चों हेतु उपलब्ध योजनाओं, जैसे बेटियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (इस नियमावली में यहाँ देखें), के लाभ पाने के लिए और स्कूल में प्रवेश को सुगम बनाने (इस नियमावली में यहाँ देखएं) के लिए जन्म प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण होते हैं। विधवा पेंशन प्रदान करने वाली योजनाओं और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (यहाँ देखें) के तहत लाभ पाने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र आवश्यक होते हैं।

1. संबंधित विभाग

बिहार

- **ज़िला प्रशासन** (ज़िलों की सूची यहाँ देखें)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 यहाँ)*

a) बिहार में जन्मे किसी भी व्यक्ति के लिए **जन्म प्रमाणपत्र**।
b) ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए **मृत्यु प्रमाणपत्र** जिसके परिजन की मृत्यु बिहार में हुई है।

3. आवेदन कार्यविधि

a) **जन्म प्रमाणपत्र**

- कार्यविधि के संक्षिप्त विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें। ऑनलाइन कार्यविधि यहाँ है।
- अगर जन्म को 21 दिन नहीं बीते हैं और जन्म:
  - अस्पताल में हुआ था तो - नगरपालिका/नगर निगम/नगरपालिका परिषद अधिकारियों और माता-पिता को पर्ची दी जानी चाहिए;
  - घर पर हुआ था तो - मिडवाइफ़ (दाई) को ग्राम पंचायत में जन्म का पंजीकरण कराना चाहिए और माता-पिता को पर्ची देनी चाहिए।
- प्रमाणपत्र पाने के लिए, नगरपालिका/नगर निगम/नगरपालिका परिषद में पंजीकरण कराने जाएँ (अधिनियम की धारा 12)।

ध्यान दें: कुछ शहरों में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं (जन्म के 21 दिनों के भीतर)। यहाँ साइन-इन करके और जन्म का स्थान दर्ज करके देखें। अगर 'Registration Unit' (पंजीकरण इकाई) दिखे तो आप पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके बाद आपको विवरण युक्त ईमेल मिलेगा और आप उस विवरण से यहाँ स्थित पृष्ठ में दोबारा लॉग-इन कर सकते हैं, और तब आप बच्चे का नाम आदि दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद 24 घंटों के भीतर आप पर्ची प्रिंट कर सकते हैं। उसे हस्ताक्षर व मोहर के लिए नगरपालिका/नगर निगम/नगरपालिका परिषद ले जाएँ।

- अगर जन्म के समय जन्म का पंजीकरण नहीं कराया गया था और बच्चे की आयु एक वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो SDM या जिलाधिकारी के पास जाएँ (अधिनियम की धारा 13)। ज़िलों की सूची यहाँ देखें।
  - एक शपथपत्र चाहिए होगा जिसमें माता-पिता के नाम, बच्चे का नाम, जन्म दिनांक, पता लिखे हों;
  - आपके पास जो भी अन्य दस्तावेज़ी प्रमाण हो जो दिखाता हो कि यह बच्चा मौजूद है (स्कूल के रिकॉर्ड, आदि);
  - बच्चे की मौजूदगी की जाँच के लिए पुलिस निरीक्षण होगा।

b) **मृत्यु प्रमाणपत्र**

- **कार्यविधि के संक्षिप्त विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें।**
- मृत्यु प्रमाणपत्र पाने के लिए, मृत्यु से 21 दिनों के भीतर मृत्यु का पंजीकरण निम्नलिखित द्वारा कराया जाना चाहिए:
  - अस्पताल में मृत्यु - नगरपालिका/नगर निगम/नगरपालिका परिषद को पर्ची दी जाएगी।
  - घर पर मृत्यु - घर के मुखिया को नगरपालिका/नगर निगम/नगरपालिका परिषद में मृत्यु का पंजीकरण कराना चाहिए (अधिनियम की धारा 8)।

- मृत्यु प्रमाणपत्र पाने के लिए, निम्नलिखित के साथ नगरपालिका/नगर निगम/नगरपालिका परिषद के कार्यालय जाएँ:
    - श्मशान/कब्रिस्तान/अंतिम संस्कार की पर्ची;
    - पहचान पत्र या राशन कार्ड;
    - अगर मृत्यु को एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है तो DM या SDM से प्रमाणपत्र भी चाहिए होगा (अधिनियम की धारा 12 व 13)।

ध्यान दें: कुछ शहरों में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं (मृत्यु से 21 दिनों के भीतर)। यहाँ साइन-इन करके और मृत्यु का स्थान दर्ज करके देखें।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- राज्य लोक सेवा प्रदायगी गारंटी अधिनियम (यहाँ बिहार में प्रभावी) के तहत अपील करें जो नागरिकों को जन्म प्रमाणपत्र जारी करना आदि बुनियादी लोक सेवाएँ एक निर्धारित समय में प्रदान करने की गारंटी देता है और समय-सीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर प्रति दिन की दर से जुर्माना लगाता है।
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- DM/SDM के पास RTI दायर करें (ज़िलों की सूची यहाँ देखें)।

4. पहचान के दस्तावेज़ - अजा/अजजा/अपिव प्रमाणपत्र

अजा/अजजा/अपिव प्रमाणपत्र का धारक विश्वविद्यालयों और कुछ सरकारी नौकरियों में "आरक्षित" प्रवेश हेतु आवेदन का अधिकारी होता है।

1. संबंधित विभाग

बिहार

- ज़िला प्रशासन (बिहार में DM की सूची यहाँ देखें)
- आपके ज़िले, जिसमें SDM हो सकते हैं, के बारे में और जानकारी यहाँ देखें।

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: एडवोकेटखोज (AdvocateKhoj) यहाँ)*

- **अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछला वर्ग** का कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रमाणपत्र हेतु पात्र है जो अपने धारक को कुछ पदों, जैसे **विश्वविद्यालय प्रवेश** और **कुछ सरकारी नौकरियों** में 'आरक्षित' प्रवेश हेतु आवेदन का पात्र बनाता है।
- हालाँकि, पेशों/आय की 'क्रीमी लेयर' में शामिल व्यक्ति उक्त पात्रता का अधिकारी नहीं है (क्रीमी लेयर की सूची के लिए यहाँ देखें)।
- अनुसूचित जातियों की सूची यहाँ है, अनुसूचित जनजातियों की सूची यहाँ है और अपिव सूची यहाँ है।

3. आवेदन कार्यविधि

कार्यविधि के विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें।

- आवेदन फ़ॉर्म ऑनलाइन, या SDM (अनुमंडल दंडाधिकारी) या तहसील या राजस्व विभाग के कार्यालय में उपलब्ध हैं।
- अगर आपके किसी भी परिजन के नाम पूर्व में कोई जाति प्रमाणपत्र कभी जारी नहीं हुआ है, तो आपको प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पहले स्थानीय जाँच की जाएगी।
- बिहार में एक न्यूनतम निर्धारित अवधि के निवास का प्रमाण चाहिए।
- एक शपथपत्र चाहिए जिसमें आपने यह बयान दिया हो कि आप किसी अनुसूचित जाति के हैं।
- आवेदन के समय निर्धारित कोर्ट स्टांप शुल्क आवश्यक है।
- इसके बाद, निवास, आय, जाति और 'क्रीमी लेयर' की जाँच की जाएगी।
- जाँच 21 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- उस DM/SDM कार्यालय में पूछताछ करें जहाँ आवेदन जमा किया था;
- राज्य लोक सेवा प्रदायगी गारंटी अधिनियम (यहाँ बिहार में प्रभावी) के तहत अपील करें जो नागरिकों को जाति प्रमाणपत्र जारी करना आदि बुनियादी लोक सेवाएँ एक तय समय में प्रदान करने की गारंटी देता है और समय-सीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर प्रति दिन की दर से जुर्माना लगाता है।
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें ;
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें); और फिर
- DM/SDM के पास RTI दायर करें (ज़िलों की सूची यहाँ देखें)।

5. पहचान के दस्तावेज़ - श्रम कार्ड

निर्माण उद्योग में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए श्रम कार्ड उपलब्ध है और इस कार्ड के धारक को चिकित्सा लाभों सहित कई प्रकार के लाभ पाने में मदद मिलती है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (यहाँ)
- भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी अधिनियम (BOCW अधिनियम) (यहाँ)

बिहार सरकार

- बिहार श्रम संसाधन विभाग (यहाँ)

2. पात्रता *(सर्वोत्तम संदर्भ: भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी अधिनियम यहाँ)*

- 18 से 60 वर्ष की आयु का जो भी व्यक्ति निर्माण उद्योग में है और जिसने पिछले 12 माह में 90 से अधिक दिन कार्य किया है वह पंजीकरण के लिए पात्र है। BOCW अधिनियम, धारा 12(1)।
- प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को एक पहचान पत्र (BOCW कार्ड) मिलता है। BOCW अधिनियम, धारा 13(1)।
- कार्डधारक विभिन्न लाभ (चिकित्सा लाभ शामिल) प्राप्त कर सकते हैं। BOCW अधिनियम, धारा 11।

3. आवेदन कार्यविधि

- भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास आवेदन करें। BOCW अधिनियम, धाराएँ 12(2) और 18(1)।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- यहाँ बिहार लोकशिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में RTI दायर करें (PIO (जन सूचना अधिकारी) के लिए यहाँ देखें)।

6. पहचान के दस्तावेज़ - बैंक खाता

विधवा पेंशन (इस नियमावली में यहाँ देखें) जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने और अन्य सरकारी भुगतान पाने के लिए बैंक खाते का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्ष 2014 में शुरू की गई प्रधान मंत्री जन धन योजना हर भारतीय का बैंक खाता होने का लक्ष्य रखती है। अप्रैल 2019 तक, PMJDY के तहत 21.1 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग (यहाँ)
- इंडिया पोस्ट (डाक विभाग) (यहाँ)

सरकारी बैंक

- ग्रामीण बैंक (यहाँ)
- SBI (भारतीय स्टेट बैंक) (यहाँ), कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, सेंट्रल बैंक।

2. पात्रता (*संदर्भ: प्रधान मंत्री जन धन योजना यहाँ और इंडिया पोस्ट (डाक विभाग) यहाँ*)

a) प्रधान मंत्री जन धन योजना ("PMJDY") (यहाँ)

- KYC (अपने ग्राहक को जानें) मानदंडों से छूट, अतः बहुत कम दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
- कोई न्यूनतम शेष आवश्यक नहीं।
- जमा राशियों पर ब्याज
- पैसे निकालने या फुटकर दुकानों पर लेनदेन के लिए रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड मिलता है
- ₹1,00,000 का दुर्घटना बीमा कवर और ₹30,000 का जीवन बीमा कवर जो लाभार्थी की मृत्यु पर देय होता है (पात्रता शर्त संतुष्ट होना आवश्यक)।
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनेफ़िट ट्रांसफ़र) मिलेगा।
- छः माह तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद, ओवरड्राफ़्ट (ऋण) की सुविधा उपलब्ध।

b) डाकघर खाता (विवरण यहाँ है)

- 10 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए बैंक खाता जिसके पास पर्याप्त दस्तावेज़ और एक 'परिचायक' हो।

3. आवेदन कार्यविधि

a) **प्रधान मंत्री जन धन योजना** (आवश्यकताएँ यहाँ देखें)

- 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक शाखा में आधार कार्ड की मदद से खाता खोल सकता है।
- अगर आधार कार्ड नहीं है, तो इनमें से कोई भी एक मान्य दस्तावेज़ आवश्यक होगा: मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा (NREGA) कार्ड। अगर इन दस्तावेज़ों में आवेदक का पता भी हो, तो वे पहचान और पते, दोनों के प्रमाण का कार्य कर सकते हैं।

b) **डाकघर बचत खाते के लिए**:

- फ़ॉर्म SB3, जमा पर्ची (पे इन स्लिप) SB103, नमूना हस्ताक्षर, परिचायक, और ₹20 की न्यूनतम जमा।

c) **आधार कार्ड** हेतु आवेदन करें (कार्यविधि इस नियमावली में यहाँ देखें) क्योंकि उससे आप बैंक खाते के पात्र भी हो जाएँगे।

d) **अन्य बैंकों** के लिए:

- पूरा भरा फ़ॉर्म (जिसमें एक ऐसा 'परिचायक' शामिल है जिसका उस शाखा में 6 माह से अधिक समय से खाता है);
- पते का प्रमाण (समान पते वाला राशन कार्ड और पहचान पत्र); और
- खाता खोलने के लिए कम-से-कम ₹500 की जमा राशि।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- सीधे बैंक प्रबंधक/डाकघर प्रबंधक से अपील करें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- वित्त मंत्रालय में RTI दायर करें (PIO (जन सूचना अधिकारी) के लिए यहाँ देखें)।

5. सफलता की कहानी

करीन के पास केवल मतदाता पहचान पत्र और उनके पति का मृत्यु प्रमाणपत्र था। सीलमपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के कर्मचारी समान पते वाला राशन कार्ड माँग रहे थे। खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी राशन कार्ड जारी नहीं कर रहे थे, तो एक स्थानीय समुदाय कर्मी ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के बैंक प्रबंधक से विशेष अपील की जो करीन का खाता खोलने को सहमत हो गए।

7. पहचान के दस्तावेज़ - PAN कार्ड

आयकर देने वाले हर व्यक्ति के लिए PAN कार्ड अनिवार्य है। कोई भी वयस्क PAN कार्ड हेतु आवेदन कर सकता है, चाहे वह आयकर देता हो या नहीं। PAN कार्ड अन्य सेवाओं, जैसे बैंक खाता (इस नियमावली में यहाँ देखें) पाने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- आयकर विभाग (यहाँ)

2. पात्रता (*सर्वोत्तम संदर्भ: आयकर विभाग यहाँ*)

- आयकर देने वाले हर व्यक्ति के लिए PAN कार्ड अनिवार्य है, पर कोई भी वयस्क PAN कार्ड बनवा सकता है, भले ही वह आयकर न देता हो।

3. आवेदन कार्यविधि

- कार्यविधि यहाँ दस्तावेज़ के पृष्ठ 5 पर है।
- फ़ॉर्म 49A ऑनलाइन यहाँ भरें (या काग़ज़ी प्रति यहाँ या इस नियमावली में यहाँ)
- अभिस्वीकृति प्रिंट करके उस पर हस्ताक्षर करें और निम्नलिखित संलग्न करें:
  - दो फोटो;
  - पहचान का प्रमाण (स्कूल प्रमाणपत्र, पानी का बिल, राशन कार्ड, पहचान पत्र या लाइसेंस में से कोई भी एक - और विवरण यहाँ हैं या यहाँ आवेदन फ़ॉर्म के पृष्ठ 7 पर हैं);
  - निवास का प्रमाण (बिजली या फोन का हालिया बिल, किराये की रसीद, राशन कार्ड, पहचान पत्र, लाइसेंस आदि - और विवरण यहाँ हैं या यहाँ आवेदन फ़ॉर्म के पृष्ठ 7 पर हैं);
  - ₹110 (ड्राफ़्ट से या ऑनलाइन)

15 दिनों के भीतर NSDL को इस पते पर भेजें (विवरण यहाँ आवेदन फ़ॉर्म के पृष्ठ 8 पर है):

आयकर PAN सेवाएँ इकाई,
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ़्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5वाँ तल, मंत्री स्टर्लिंग,
प्लॉट सं.341, सर्वे सं. 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास,
पुणे - 411016

आवेदन को यहाँ ऑनलाइन ट्रैक करें (12 अंकों वाला ट्रांज़ेक्शन नंबर चाहिए)।

4. पक्षधरता (अगर आवेदन सफल न हो)

- NSDL PAN <स्पेस> अभिस्वीकृति सं. लिखकर 57575 पर SMS भेजें जिससे आवेदन की स्थिति प्राप्त होगी;
- कॉल सेंटर को 020 - 27218080 पर कॉल करें।
- tininfo@nsdl.co.in पर ईमेल भेजें;
- यहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत करें
- केंद्र सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें (पंजीकरण यहाँ करें);
- आयकर विभाग में RTI दायर करें (विवरण यहाँ है)।

K) परिशिष्ट

1. समुदाय को सशक्त बनाने की 10 चरणों वाली प्रक्रिया

1. समुदाय के निवासियों से गहरे संबंध बनाएँ।

किसी भी ग़रीब समुदाय में दीर्घकालिक बदलाव लाने की कुंजी ख़ुद निवासियों के पास होती है। हालाँकि, पीढ़ियों तक ग़रीबी में रहने और वंचित रहने के कारण समुदाय के लोग अक्सर मायूस होकर अपने हालात को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए, निवासियों के एक ऐसे छोटे से समूह का विकास करना महत्वपूर्ण है जो अपने ज्ञान, कौशल, साहस और आत्मविश्वास की मदद से सशक्त होकर अपने ख़ुद के समुदाय में बदलाव के वाहक बन सकते हों। किसी NGO के लिए ऐसे निवासी विकसित करने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि वह समदुाय के लोगों के साथ मज़बूत आपसी और परवाहपूर्ण संबंध बनाए। ऐसे संबंध किन लोगों से बनाए जाएँ यह चयन करने में, NGO को सावधानी के साथ ऐसे लोग ढूँढने चाहिए जिनमें, NGO कर्मचारियों के चले जाने के बाद, अपने समुदाय को उसकी विकास यात्रा में आगे ले जाने का जुनून हो। इस चरण में निवासियों से अच्छे संबंध बनाने का एक और फ़ायदा यह है कि NGO को चरण 2 में शोध करते समय समुदाय के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिलेगी।

2. देखकर और पूछकर समुदाय के बारे में जानें।

सशक्तीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसी विशेषज्ञ नहीं बल्कि एक शिक्षार्थी के सुविधाजनक मोर्चे से करना महत्वपूर्ण होता है। समुदाय के बारे में जानने का एक सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि समुदाय में घूमें और आवास, बिजली, स्वच्छता, पानी, सामुदायिक संबंधों, हाशिये पर धकेल दिए गए समूहों आदि के संबंध में हालात को ध्यान से देखें। हालाँकि, बस्ती के बारे में कुछ चीज़ें देखी नहीं जा सकती हैं, जैसे बस्ती का इतिहास, निवासी किन चीज़ों की सराहना करते हैं, और वे किन समस्याओं को अपनी सबसे प्रमुख समस्याएँ मानते हैं। इन अधिक गूढ़ पहलुओं के लिए, आपको पूछताछ करनी होगी, विशेष रूप से उन लोगों से जिनसे आप क़रीबी और आपसी संबंध बना रहे हैं (ऊपर चरण 1 से)।

3. अपने सहकर्मियों के साथ समस्याओं का विश्लेषण करें।

NGO कर्मचारी ख़ुद सबसे प्रमुख समस्याओं को समझ सकें इसके लिए, चरण 2 में आपने जो कुछ जाना उसका एक टीम के रूप में विश्लेषण करें। इस विश्लेषण से यह खुलासा हो सकता है कि कौनसी समस्याएँ सर्वाधिक निवासियों को प्रभावित करती हैं, कौनसी समस्याएँ विरोध पैदा कर सकती हैं, और किन समस्याओं के हल होने की संभावना सबसे अधिक है। यह विश्लेषण, उन निष्कर्षों को समुदाय पर थोपने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि सामुदायिक बैठक बुलाने (चरण 4) से पहले इन समस्याओं को समझने के लिए किया जाता है। इस विश्लेषण से NGO को यह पता लगाने में भी मदद मिलनी चाहिए कि किन हितधारकों के पास किसी समस्या विशेष का समाधान साकार कर पाने की सर्वाधिक शक्ति है और वे लोग उस समस्या का समाधान चाहते हैं या नहीं।

4. समस्याओं को वरीयता क्रम में रखने के लिए सामुदायिक बैठकें बुलाएँ।

हालाँकि NGO टीम ने चरण 3 में अपना ख़ुद का विश्लेषण कर लिया है, पर किस समस्या से सबसे पहले निपटा जाए इसका अंतिम निर्णय निवासियों से करवाना बेहद महत्वपूर्ण है। यह कार्य अधिकतम संभव समूहों, जैसे महिलाओं, बच्चों, मुसलमानों, हिंदुओं, वंचितों इत्यादि, के प्रतिनिधियों द्वारा सामुदायिक बैठक में भाग लेकर किया जाता है। यह चरण, पूरी प्रक्रिया के सबसे मुश्किल चरणों में से एक है, क्योंकि कई अलग-अलग समूहों और अलग-अलग विचारों के साथ सामुदायिक बैठक का सफल संचालन करना एक मुश्किल कार्य होता है। फ़ेसिलिटेटर को सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए, सबसे ऊँची आवाज़ों को वश में करना चाहिए, और अंततः निवासियों के बीच इस बिंदु पर आमराय बनानी चाहिए कि किस समस्या से सबसे पहले निपटा जाए।

5. समस्याएँ हल कर सकने वाले संसाधनों के विशेषज्ञ बनें।

जब समुदाय यह निर्णय ले चुका हो कि किस समस्या से सबसे पहले निपटना है, तो NGO समस्या के समाधान हेतु उपलब्ध संसाधनों के बारे में प्रासंगिक जानकारी इकट्ठी करने के लिए इस नियमावली, अपने व्यापक नेटवर्क, इंटरनेट

पर खोजबीन, RTI (सूचना का अधिकार) आवेदनों, इत्यादि का उपयोग कर सकती है। ये संसाधन हो सकता है कि सरकार के माध्यम से मिलें (जैसा इस नियमावली में देखा जा सकता है), या फिर अन्य NGO द्वारा प्रदान किए जाएँ, या समुदाय में ही उपलब्ध हों। एक बार फिर बता दें कि यह शोध उन संसाधनों को समुदाय पर थोपने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कार्य योजना का विकास (चरण 6) करते समय अगली बैठक में निवासियों के सामने विकल्प रखने के लिए किया जाता है।

6. समस्या के समाधान की एक कार्य योजना बनाएँ।

चरण 4 में तय की गई वरीय समस्या के समाधान की कार्य योजना बनाने के लिए एक और सामुदायिक बैठक बुलाई जाती है। योजना में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन क्या करेगा, वे कार्य कब-कब किए जाएँगे, और ख़र्चों का भुगतान कौन करेगा। हालाँकि NGO के कर्मचारी इस कार्य योजना का हिस्सा हो सकते हैं, पर यह ज़रूरी है कि NGO कर्मचारी बहुत अधिक ज़िम्मेदारियाँ न लें। अगर निवासी हिस्सा बनने के इच्छुक नहीं हैं, तो इससे प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता का अभाव झलकता है। आगे बढ़ने से पहले NGO कर्मचारियों को तब तक इंतिज़ार करना चाहिए जब तक समुदाय की ओर से पर्याप्त प्रतिबद्धता न दिखने लगे। समस्या-समाधान प्रक्रिया में एक इच्छुक सहायक के रूप में ईश्वर को पेश करने के लिए भी यह योजना चरण एक अच्छा बिंदु हो सकता है। भारत के बहु-ईश्वरवादी संदर्भ में, अधिकतर लोग समुदाय की समस्याओं के समाधान में सहायता के लिए अपनी-अपनी परंपराओं के अनुसार ईश्वर का आह्वान करने को आसानी से तैयार हो जाएँगे।

7. कार्य योजना के साथ आगे बढ़ें।

कार्य योजना (चरण 6) में तय किए गए क़दम उठाने पर सहमति दे चुके निवासियों को तय भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों (चरण 6) के अनुसार योजना लागू करना शुरू कर देना चाहिए। अक्सर इन क़दमों में, निवासी जिन मौजूदा सरकारी सेवाओं के पात्र हैं उन्हें लागू करवाने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ पक्षधरता करना शामिल होता है। आम तौर पर, इसमें **इस नियमावली** में वर्णित आवेदन कार्यविधियों का इस्तेमाल शामिल होता है।

8. उठाए गए क़दमों पर विचार करें।

अगर, कार्य योजना लागू कर देने के बाद, निवासी समस्या के समाधान में सफल हो गए हों, तो सफलता का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, तो निवासियों और NGO कर्मचारियों को साथ मिलकर एक नई कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। यह कार्य **इस नियामवली** में वर्णित "पक्षधरता" क़दमों का और चरण 7 से सीखे गए सबकों का उपयोग करके किया जा सकता है।

चरण 6-8 तब तक दोहराएँ जब तक समस्या का समाधान न हो जाए या उसका समाधान असंभव न हो जाए।

9. NGO की संलग्नता घटाते हुए और निवासियों की संलग्नता बढ़ाते हुए प्रक्रिया जारी रखें।

पहली समस्या के समाधान के बाद, चरण 4 पर लौटें और निपटने के लिए समुदाय की अगली समस्या चुनें। NGO कर्मचारियों को कम ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और निवासियों को अधिक ज़िम्मेदारी लेने को प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार, निवासी धीरे-धीरे समस्या-समाधान प्रक्रिया की ज़िम्मेदारी उठा लेंगे, विशेष रूप से वे निवासी जिनमें नेतृत्व के गुण हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब समुदाय NGO के बिना ही अपनी समस्याओं के समाधान में सक्षम हो जाएगा।

10. एक CBO बनाएँ

नेतृत्व गुणों वाले सक्षम निवासी, जिन्हें चरण 1 में पहचाना गया था और संपूर्ण समस्या-समाधान प्रक्रिया में प्रशिक्षण दिया गया था, वे अंततः एक स्वतंत्र CBO (कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन/समुदाय-आधारित संगठन) बना लेंगे। CBO, NGO की मदद के बिना भी समुदाय की बेहतरी जारी रखेगा। वह समूह अंततः एक औपचारिक समुदाय कल्याण संघ (कम्युनिटी वेलफ़ेयर एसोसिएशन) के रूप में पंजीकृत होना चाह सकता है क्योंकि इससे उसे सरकार से व्यवहार में ज़्यादा प्राधिकार मिलेंगे, और ज़्यादा जवाबदेही भी मिल जाएगी।

2. संबंधित योजनाओं और क़ानूनों के साथ सेवाओं की सूची

सेवा	पृष्ठ	APL (ग़रीबी रेखा से ऊपर के लोगों) के लिए उपलब्ध	BPL (ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों) के लिए उपलब्ध	मुख्य योजना का नाम	संबंधित क़ानून
पेयजल		*	*	ग्रामीण स्वच्छता एवं पेयजल	
खाद्य सुरक्षा		*	*	लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
बाल पोषण		*	*	आंगनवाड़ी ICDS	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
स्कूल में भोजन		*	*	मध्याह्न भोजन योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
रोज़गार		*	*	नरेगा (NREGA)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005
विधवा/वृद्धावस्था पेंशन			*	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	
बेटियों को प्रोत्साहन			*	बालिका समृद्धि योजना	
जीवन बीमा		*	*	आम आदमी बीमा योजना	
रोज़गारी प्रशिक्षण		*	*	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	
स्वयं सहायता समूह			*	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	
सूक्ष्म वित्त		*	*	मुद्रा (MUDRA)	
स्वास्थ्य बीमा			*	प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना	
गर्भावस्था एवं प्रसव		*	*	जननी सुरक्षा योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
टीकाकरण		*	*	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम	
TB		*	*	डॉट्स (DOTS)	
दिव्यांगता पेंशन			*	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	दिव्यांगजन अधिनियम, 1995
मानसिक स्वास्थ्य		*	*		मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017
मादक पदार्थ/पुनर्वास और HIV	,	*	*	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	
स्कूली शिक्षा	,	*	*	सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा का अधिकार अधिनियम
बिजली		*	*	सौभाग्य	
गैस कनेक्शन		*	*	प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना	
शौचालय सब्सिडी			*	स्वच्छ भारत मिशन	
खड़ंजे और नालियाँ		*	*	ग्राम स्वास्थ्य समिति (VHSNC)	
आवास			*	प्रधान मंत्री आवास योजना	
भूमिहीनों के लिए भूमि			*	प्रधान मंत्री आवास योजना	
सड़कें		*	*	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	
सिंचाई		*	*	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन	
फ़सल बीमा		*	*	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना	
खेती सब्सिडी		*	*	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	
घरेलू हिंसा		*	*		घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
बाल श्रम		*	*	चाइल्डलाइन	बाल श्रम अधिनियम, 1986

बाल विवाह		*	*	चाइल्डलाइन	बाल विवाह अधिनियम, 2006
बच्चों का अवैध-व्यापार	,	*	*	चाइल्डलाइन	पॉक्सो (POCSO), 2012
बंधुआ श्रम		*	*		बंधुआ श्रम अधिनियम, 1976
पहचान पत्र/आधार	,	*	*	आधार	
जन्म प्रमाणपत्र	,	*	*		जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
श्रम कार्ड		*	*		भवन कर्मी अधिनियम, 1996

3. प्रभावशाली आवेदन लिखना (उदाहरण सहित)

आवेदन जमा करते समय उसमें निम्नलिखित होना महत्वपूर्ण है:

1. **समस्या का स्पष्ट वर्णन:** उदाहरण के लिए, गाँव में बहुत से छोटे बच्चे हैं पर एक भी आंगनवाड़ी नहीं है। समस्या का साक्ष्य (जैसे, कुपोषित बच्चों के फोटो/बयान) आवेदन को अकाट्य बना देगा।
2. **किसी योजना के तहत लाभ पाने का अधिकार** और संबंधित क़ानून (संबंधित पृष्ठ पर पात्रता के बगल में "सर्वोत्तम संदर्भ" देखें): उदाहरण के लिए, **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** की **धारा 5(1)(a)** के तहत, छः माह से छः वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को रोजाना आंगनवाडी में पका हुआ भोजन पाने का अधिकार है।
3. **अनुरोध विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए**: आवेदन के विषय में एक वाक्य में अनुरोध पर प्रकाश पड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, "[दिनांक] तक बिहार के भोजपुर ज़िले में आंगनवाड़ियों की स्थापना।"
4. **आगे के क़दम**: बताएँ कि अगर सरकार कोई क़दम नहीं उठाती है तो आप क्या क़दम उठाएँगे। उदाहरण के लिए, "अगर [दिनांक] तक आंगनवाड़ी की स्थापना नहीं होती है तो RTI दायर की जाएगी।"

आवेदन की एक प्रति उच्चतर प्राधिकरणों/अधिकारियों को भेजनी चाहिए ताकि स्थानीय प्राधिकरण/अधिकारी तुरंत क़दम उठाने को प्रेरित हों।

पत्र का एक उदाहरण:

प्रबंधक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
भोजपुर ज़िला
बिहार

16 मई, 2019।
उत्तर: शिवरामपुर गाँव में आंगनवाड़ी की माँग (आंगनवाड़ी ऑन डिमांड)
आदरणीय श्रीमान,

मैं भोजपुर ज़िले के शिवरामपुर गाँव में रहता हूँ। मैं आदरपूर्वक निम्नवत निवेदन करता हूँ:-

1. हमारे गाँव की जनसंख्या 2,350 है जिसमें से 272 बच्चे 6 माह - 6 वर्ष के आयु वर्ग में हैं। मैंने हमारे गाँव के इस आयु के बच्चों की सूची और उनके फोटो संलग्न किए हैं।
2. मैं **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, धारा 5(1)(a)** को उद्धृत करते हुए कहता हूँ कि 6 माह से 6 वर्ष की आयु के हर बच्चे को रोज़ाना आंगनवाड़ी में पका हुआ भोजन पाने का अधिकार है।
3. अतः मैं हमारे गाँव के लिए कई आंगनवाड़ियों हेतु आवेदन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे आंगनवाड़ियाँ 30 जून, 2019 तक शुरू हो जाएँ।

4. अगर 30 जून, 2019 तक आंगनवाड़ी शुरू नहीं होती है तो, इस आवेदन का क्या हुआ यह जानने के लिए मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक आवेदन दायर करूँगा।

भवदीय,

रमेश कुमार

रमेश कुमार
मकान सं. 6, गली सं. 7
शिवरामपुर गाँव
ज़िला भोजपुर
बिहार
टेली. 9750 478598

प्रति ICDS राज्य कार्यालय
पटना

4. प्रभावशाली ढंग से आवेदन दायर करने के सुझाव

आवेदन पंजीकृत डाक से संबंधित सरकारी विभाग को भेजा जा सकता है, इससे यह प्रमाण मिल जाता है कि आवेदन भेजा गया था। हालाँकि, हमारा सुझाव है कि आवेदन स्वयं जाकर दिया जाए। स्वयं जाकर आवेदन जमा करते समय नीचे दिए गए सुझाव उपयोगी सिद्ध होते हैं:

A. मुलाक़ात के लिए तैयारी

- समुदाय के किसी निवासी/नेता को मुलाक़ात में साथ ले जाएँ और उसे मुलाक़ात का उद्देश्य बता दें *(इससे निवासियों के पक्षधरता कौशल में वृद्धि होगी और उन्हें प्रक्रिया को सीखने में मदद मिलेगी)।*
- संभव हो तो अपॉइंटमेंट लें।
- औपचारिक कपड़े पहनें।
- अपने साथ पहचान पत्र, और अगर उपलब्ध हो तो, विज़िटिंग कार्ड ले जाएँ।
- अपने साथ एक डायरी, काग़ज़ और पेन तैयार रखें।
- आवेदन और साथ जमा होने वाले दस्तावेज़ों की दो-दो प्रतियाँ लेकर जाएँ।
- आपको जिस भी दस्तावेज़ की ज़रूरत हो उसकी मूल प्रति साथ ले जाएँ।
- पुष्टि करें कि कार्यालय कहाँ स्थित है।
- (देरी होने की स्थिति में) ऑटो रिक्शा से जाने लायक पैसे साथ रखें।
- मुलाक़ात के लिए पूरी तरह तैयार रहें।
- नियमों और नीतियों (अधिकारी का नाम शामिल) से अवगत रहें।
- पहले ही तय कर लें कि अधिकारियों को कैसे मनाना है और अगर वे अतार्किक प्रतिक्रिया दें तो किस प्रकार दबाव डालना है।
- तय करें कि टीम का कौनसा सदस्य बोलेगा।

B. मुलाक़ात के दौरान

- ख़ुद का परिचय दें और, अगर उपयुक्त हो तो, अधिकारी का नाम और पदनाम पूछें/जाँचें और संपर्क विवरण नोट कर लें।
- मुलाक़ात का उद्देश्य साफ़-साफ़ बताएँ (इसमें आवेदन जमा करना और "प्राप्त" की मोहर लगवाना भी शामिल हो सकता है)।
- अधिकारियों को आपके अनुरोध पर मनाते समय तार्किक रहने की कोशिश करें।
- अधिकारी जो भी कहे *(चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक)* उसे दोहराएँ। अक्सर, जब अधिकारी अपनी ख़ुद की अतार्किक प्रतिक्रिया का दोहराया जाना सुनते हैं, तो वे उसे थोड़ा नर्म कर देते हैं।
- अगर आवेदन जमा किए जाने पर "प्राप्त" की मोहर लगवाने से मना किया जाए, तो अधिकारी को बताएँ कि आवेदन की एक प्रति उच्चतर अधिकारी के पास भी जमा कर दी गई है। ऐसे हालात में पंजीकृत डाक का भी उपयोग किया जा सकता है ("मैं यह काम बाद में कर दूँगा" को न स्वीकारें क्योंकि आम तौर पर "बाद में" का अर्थ "कभी नहीं" होता है)।
- अधिकारियों से आगे मिलने की आपकी जो योजना है वह साफ़-साफ़ बताएँ।
- उन्हें धन्यवाद दें।

C. मुलाक़ात का संक्षिप्त वर्णन दें

- सरकारी कार्यालय गई टीम द्वारा मुलाक़ात का संक्षिप्त वर्णन दिया जाना, चुनौतियों के विश्लेषण के लिए और आगे की योजनाओं हेतु सुझाव देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।

D. मुलाक़ात रिकॉर्ड करें

मुलाक़ात का कार्यवृत्त रिकॉर्ड करें और निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालना न भूलें:

- मुलाक़ात का दिनांक और समय
- मुलाक़ात का स्थान
- सहभागियों (सरकारी अधिकारी, समुदाय का/की नेता और NGO कर्मचारी) के नाम और पदनाम
- उठाए गए मुद्दे और वे बिंदु जिन पर चर्चा हुई
- मुलाक़ात का नतीजा (ज़रूरी हो तो अतिरिक्त काग़ज़ संलग्न करें)।
- वे आगे के क़दम जिनका पालन करना है
- दायर किए गए आवेदन की "प्राप्त" प्रति संलग्न करें।

E. मुलाक़ात पर अनुवर्तन (फ़ॉलो-अप)

- अधिकारियों से लगातार संपर्क में बने रहें और आवेदन में प्रस्तुत अनुरोध पर अपडेट माँगें।
- अगर अधिकारी से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वे तय क़दम उठाएँ जो आपने अधिकारियों को बताए थे।

सकारात्मक नतीजा हासिल हो जाने पर, फोन कॉल या मुलाक़ात करके अधिकारियों को धन्यवाद देना न भूलें।

6. RTI के प्रभावी उपयोग के बारे में नोट्स (उदाहरण सहित)

1. RTI आवेदन कब उपयोगी होता है

- जब कोई व्यक्तिगत समस्या (जैसे, पेंशन आवेदन की प्रक्रिया नहीं की जा रही है) या सामुदायिक समस्या (जैसे, आंगनवाड़ी कार्य नहीं कर रही है) मौजूद हो ***और***
- आपने (नियमावली में दी गई "आवेदन कार्यविधि" का उपयोग करके) प्रश्नगत सरकारी लाभ के लिए आवेदन किया हो पर सरकार से उत्तर मिलने की कथित अवधि बीत चुकी हो।

2. RTI आवेदन कैसे लिखें

a) आवश्यक जानकारी

- संबंधित जन सूचना अधिकारी, विभाग, और कार्यालय का पता;
- दिनांक;
- "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" का संदर्भ;
- अनुरोधित जानकारी (नीचे और उदाहरण देखें);
- ₹10 की फ़ीस (रसीद लेना न भूलें) (BPL कार्ड धारकों के मामले में, अगर BPL कार्ड की प्रति संलग्न की गई है तो कोई फ़ीस नहीं);
- आवेदक का हस्ताक्षर; और
- आवेदक का नाम, पता और टेलीफोन नंबर।

b) अपने RTI अनुरोध के मुख्य भाग में, ये पाँच बिंदु शामिल करें (नीचे उदाहरण देखें):

- आपके मूल लाभ आवेदन का दिनांक लिखें और उसकी प्रति संलग्न करें;
- पूछें कि नागरिक अधिकारपत्र या नियमों के अनुसार, लाभ आवेदन की प्रक्रिया में कितना समय लगना चाहिए;
- पूछें कि आपके आवेदन करने के बाद से क्या कार्रवाई हुई है, किन अधिकारियों ने की है (नाम सहित), और किन दिनांकों पर की है;
- पूछें कि देरी के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों को क्या दंड दिया गया है या दिया जाएगा; और
- पूछें कि आपके आवेदन को अंतिम रूप कब दिया जाएगा।

3. अपना RTI आवेदन कहाँ दायर करें

- RTI संबंधित सरकारी विभाग के जन सूचना अधिकारी (पब्लिक इन्फ़ॉर्मेशन ऑफ़िसर, PIO) को भेजा जाना चाहिए। आपको PIO यहाँ मिल जाएँगे, या इस नियमावली का वह संबंधित पृष्ठ देखें जहाँ PIO की लिंक दी गई है।
- अगर RTI किसी ग़लत सरकारी विभाग को भेज दी जाती है, तो उस विभाग के PIO की यह ज़िम्मेदारी है कि वह पाँच दिनों के भीतर RTI को संबंधित विभाग को भेज दे (RTI अधिनियम, 2005 की धारा यहाँ)।

4. अपना RTI आवेदन दायर करने के साधन

- **ऑनलाइन:** केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों के लिए, ऑनलाइन यहाँ दायर/भुगतान करें; या
- **स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से** (ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो): RTI फ़ीस के लिए, आदाता पंक्ति ख़ाली रखते हुए पोस्टल ऑर्डर का उपयोग करें; या
- **विभाग में स्वयं जाकर दें।**

सभी विधियों में, उत्तर मूल RTI दायर करने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर आ जाना चाहिए (धारा 7(1))।

5. संभावित नतीजे और आगे के क़दम

आपके RTI के पाँच नतीजे संभावित हैं, वे नतीजे और उन पर उठाए जाने वाले संबंधित क़दम इस प्रकार हैं:

नतीजा	अगला क़दम
1. आपको RTI दायर करने की अनुमति नहीं है।	केंद्रीय सूचना आयोग (सेंट्रल इन्फ़ॉर्मेशन कमीशन, CIC) के पास यहाँ शिकायत करें (90 दिनों के भीतर)
2. कोई उत्तर नहीं, पर काम हो गया	कोई नहीं
3. सही जानकारी दी गई	कोई नहीं

4. कोई जानकारी नहीं दी गई या असंबंधित जानकारी दी गई	CIC से यहाँ शिकायत करें क्लब बिल्डिंग, पुराना JNU परिसर (मुनिरका के पास), दिल्ली 110067।
5. अधूरी जानकारी दी गई (90% मामलों में ऐसा ही होता है)	पहली अपील दायर करें; या CIC से यहाँ शिकायत करें;

ध्यान दें: अगर आप अपील जीत जाते हैं, तो PIO पर ₹250 प्रति दिन की दर से अधिकतम ₹20,000 तक का जुर्माना लग सकता है।

नमूना RTI आवेदन
(ध्यान दें: केवल मोटे अक्षरों में लिखे अनुभागों में बदलाव करने होते हैं)

जन सूचना अधिकारी
अनुमंडल दंडाधिकारी
समस्तीपुर ज़िला
बिहार
1 मई, 2019

विषय: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन
नज़मा ख़ातून के जन्म प्रमाणपत्र के आवेदन के संबंध में जानकारी के लिए

श्रीमान,

i. मैंने **1 अक्तूबर, 2018 को समस्तीपुर SDM कार्यालय में मेरी पुत्री नज़मा ख़ातून (जन्म दिनांक 2 अक्तूबर, 2011) के जन्म प्रमाणपत्र** के लिए आवेदन किया था। उस आवेदन की एक प्रति संलग्न है। मेरे आवेदन पर अब तक कोई संतोषजनक क़दम नहीं उठाया गया है। अतः कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: -
ii. आपके विभाग के नियमों और विनियमों के अनुसार, **जन्म प्रमाणपत्र** जारी करने हेतु निर्धारित समय क्या है?
iii. कृपया मेरे आवेदन पर हुई दैनिक प्रगति बताएँ। कृपया उन अधिकारियों के नाम व पदनाम बताएँ जिनके पास मेरा आवेदन इस अवधि के दौरान पड़ा हुआ था। कृपया बताएँ कि वह किस-किस अवधि में किस-किस अधिकारी के पास पड़ा रहा, और उस-उस अवधि के दौरान उस-उस अधिकारी ने क्या क़दम उठाया।
iv. अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने वाले और इस देरी का कारण बनने वाले उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब की जाएगी?
v. **मुझे मेरी पुत्री का जन्म प्रमाणपत्र कब मिलेगा?**

मैं इस RTI आवेदन के लिए आवेदन शुल्क (₹10) अलग से जमा कर रही हूँ।

अगर आपको लगता है कि ऊपर अनुरोधित जानकारी आपके विभाग से संबंधित नहीं है, तो कृपया RTI अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के उपबंधों का पालन करें। साथ ही, RTI अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार कृपया अपने विभाग के उस अधिकारी का नाम व पदनाम भी बताएँ जिनके पास, अगर मैं प्रदत्त उत्तरों से संतुष्ट नहीं हूँ तो, मेरी पहली अपील दायर कर सकती हूँ।

धन्यवाद।
शाज़िया ख़ातून
शाज़िया ख़ातून
125, गली सं. 12
बुनकर कॉलोनी
समस्तीपुर, बिहार
टेली. 9856 478345

7. प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

संक्षिप्ताक्षर	पूरा नाम	अर्थ
AAY	अंत्योदय अन्न योजना	निराश्रित लोगों हेतु राशन कार्ड
ANM	असिस्टेंट नर्स मिडवाइफ़	प्रसव में प्रशिक्षित नर्स
APL	अबव पॉवर्टी लाइन (ग़रीबी रेखा से ऊपर)	सामान्य निवासियों हेतु राशन कार्ड
ART	एंटी रेट्रो-वायरल थेरेपी	HIV पॉज़िटिव लोगों हेतु उपचार
ASHA	एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एडवोकेट (प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य पक्षधर)	गर्भावस्था संबंधी मुद्दों में प्रशिक्षित स्थानीय महिला
BOCW	बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर (भवन व अन्य निर्माण कर्मी)	लाभों हेतु पात्र कर्मियों का वर्ग
BPL	बिलो पॉवर्टी लाइन (ग़रीबी रेखा से नीचे)	ग़रीबी की सरकारी माप
BSA	बेसिक शिक्षा अधिकारी	ज़िले में प्राथमिक स्कूलों हेतु ज़िम्मेदार अधिकारी
CHC	कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र)	PHC से अधिक सुविधाओं वाला चिकित्सा केंद्र
CMO	चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर (मुख्य चिकित्सा अधिकारी)	ज़िले के स्तर पर स्वास्थ्य का प्रमुख
DM	डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (जिलाधिकारी)	ज़िले का प्रमुख
DPO	डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफ़िसर (ज़िला परिवीक्षा अधिकारी)	घरेलू हिंसा के मामलों में शक्तियाँ रखने वाला अधिकारी
ERO	इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी)	मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस अधिकारी से आवेदन किया जाता है
EWS	इकॉनमिकली वीकर सेक्शन्स (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग)	योजनाओं का लाभ पाने हेतु ग़रीबी का मानदंड
FIR	फ़र्स्ट इन्फ़ॉर्मेशन रिपोर्ट (प्राथमिकी)	पुलिस को दी गई किसी अपराध की सूचना
FSO	फ़ूड एंड सप्लाई ऑफ़िसर (खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी)	राशन कार्डों का प्रबंधन देखने वाला अधिकारी
MLA	मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेम्ब्ली (विधायक)	विधानसभा का सदस्य
MOIC	मेडिकल ऑफ़िसर इन चार्ज (प्रभारी चिकित्सा अधिकारी)	PHC या CHC का प्रभारी अधिकारी
MP	मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट (सांसद)	संसद का सदस्य
NHM	नेशनल हेल्थ मिशन (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)	NRHM और NUHM को मिलाकर बना निकाय
OBC (अपिव)	अदर बैकवर्ड कास्ट (अन्य पिछड़ी जाति)	लाभों हेतु पात्र निचली जातियाँ
PHC	प्राइमरी हेल्थ सेंटर (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र)	CHC से कम सुविधाओं वाला चिकित्सा केंद्र
PIO	पब्लिक इन्फ़ॉर्मेशन ऑफ़िसर (जन सूचना अधिकारी)	वह अधिकारी जिसके पास RTI आवेदन दायर किया जाता है
RTI	राइट टू इन्फ़ॉर्मेशन (सूचना का अधिकार)	सूचना की स्वतंत्रता का क़ानून
SC/ST (अजा/अजजा)	शेड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति)/शेड्यूल्ड ट्राइब (अनुसूचित जनजाति)	कुछ लाभों हेतु पात्र निचली जातियाँ/जनजातियाँ
SDM/O	सब डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट/ऑफ़िसर (अनुमंडल दंडाधिकारी/अधिकारी)	अनुमंडल का प्रमुख
SECC	सोशियो इकॉनमिक कास्ट सेंसस (सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना)	योजनाओं हेतु पात्रता के के रूप में BPL का स्थान लेती है
SP	सुपरइंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (पुलिस अधीक्षक)	पुलिस के सबसे वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी

L) आवेदन फ़ॉर्म

1. फ़ॉर्म - पेंशन (विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांगता) (नियमावली में यहाँ)

APPLICATION FORM FOR IGNOAPS / IGNWPS / IGNDPS

(To be filled in BLOCK Letters)

Application Form No.

Date of Application [DD/MM/YYYY]

Photo of Applicant

1. Scheme Name (Please √) : **IGNOAPS** ☐ **IGNWPS** ☐ **IGNDPS** ☐
2. State :
3. District :
4. Area : **Rural** ☐ **Urban** ☐
5. Block/Sub District/Municipal:
6. Gram Panchayat / Ward :
7. Village :
8. Habitation Name :
9. **Name of Applicant**
   - First Name :
   - Middle Name :
   - Last Name :
10. Father / Husband Name :
11. Nominee Name :
12. **Address of Applicant**
    - House No :
    - Street :
    - Locality :
    - Pin Code :
13. **BPL Details**
    - Year :
    - Location :
    - Family ID No. :
    - Member ID No.

14. Sex : Male ☐ Female ☐

15. Date of Birth : ☐☐☐☐☐☐☐☐ [DD / MM / YYYY]

16. Age : ☐☐☐☐☐☐ [Year/Months/Days]

17. Applicant Annual Income : ☐☐☐☐☐☐

18. Category : SC ☐ ST ☐ OBC ☐ Others ☐

Minority : Yes ☐ No ☐

19. Widow : Yes ☐ No ☐

20. Disabled : Yes ☐ No ☐

21. Type of Disability - I : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

22. Percentage of Disability : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

23. Type of Disability - II : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

24. Percentage of Disability : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

25. EPIC No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

26. Ration Card No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

27. Mode of Payment : Bank ☐ Post Office ☐ Cash ☐ Money Order ☐

Bank / P.O. Name : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Name of the Branch : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Account No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

28. Attested by : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

29. Required Documents :

Sl. No.	Documents	Date of Issue	Issuing Authority Name
1.	AGE CERTIFICATE		
2.	INCOME CERTIFICATE		
3.	RESIDENCE CERTIFICATE		
4.	DISABILITY CERTIFICATE		
5.	DEATH CERTIFICATE (For Widow only)		

(Signature / Left Thumb Impression of the applicant)

30. Approve Application : Accept ☐ Reject ☐

Reasons with Remarks : _____

_____

Verification Remark by Verifying Authority :

_____

_____

(*Signature, Full Name & Designation of Verifying Authority*)

Name :
Designation :

Remarks by Scrutinizing Authority :

_____

_____

(*Signature, Full Name & Designation of Scrutinizing Authority*)

Name :
Designation :

Remarks by Approving Authority :

_____

_____

(*Signature, Full Name & Designation of Approving Authority*)

Name :
Designation :

2. फ़ॉर्म - राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (नियमावली में यहाँ)

FORM

APPLICATION FORM FOR FAMILY BENEFIT SCHEME

I (To be filled up by the Applicant)

District : ……..…… Block/Municipality/Panchayat Samiti.

Village/Panchayat/Mohilla/Ward/House No.

1. Name of the Applicant : ……
2. Father's/Husband's name : ……
3. Full Address : ……
4. Category : SC/ST/women/Landless/Handicapped/General ……..
5. Age on the date of application : ……
6. Identification mark of the applicant : ……
7. Name of deceased bread winner : ……..
8. Age of the deceased : ……
9. Date of death : ……...
10. Cause of death : ……...
11. I solemnly affirm that :-
    (1) The total income of my family does not exceed Rs. 5,000/- per annum or more.
    (2) I have not applied previously for grant of Family Benefit.
    (3) I declare that the information furnished in this application is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place : ……..

Date : …….. Signature or Thump impression of the Applicant.

II (To be filled up by the Enquiry Team)

Result of Preliminary Enquiry by the Village Panchayat Level team.

1. Age : ……..
2. Income : ……
3. Category, domicile : ……...
4. Whether applying for the first time? If not, the decision on the last application : ……...

Contd. 2

……...

5. Recommendation :

Date : ……..

Signature of verifying persons at the Village Level Panchayat/Urban Local Body.

Full Address : ……

……...

Note : This application should be sent with full particulars to the B.D.O./Municipal Commissioner concerned.

RECOMMENDATION OF THE B.D.O./MUNICIPAL COMMISSIONER

Date : ……..

Signature of B.D.O./Municipal Commissioner.

FORM MB - II

Municipality/Gram Panchayat-wise list of application for Family Benefit.

1. Sl. No. : ……..
2. Date of receipt from Gram Panchayat : ……..
3. Name of the applicant with father's/husband's name : ……

……

4. Full Address : Town/Village/Post Office/Taluk ……
5. Recommendation to the Pension Sanctioning Authority : ……..
6. Date of sending of application form : ……..
7. Orders of the Sanctioning Authority : ……..

3. फ़ॉर्म - ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर्स परमिट (नियमावली में यहाँ)

FORM2
(See Rule 10)

FORM FOR APPLICATION FOR THE GRANT OR RENEWAL OF LEARNER LICENSE

To

The Licensing Authority

……..

……..

I hereby apply for a license authorized me to drive as a learner, the following motor vehicle(s):

(a) Motor Cycle without gear.
(b) Motor Cycle with gear.
(c) Invalid Carriage.
(d) Light Motor Vehicle
(e) Medium Goods Vehicle.
(f) Medium Passenger Motor Vehicle.
(g) Heavy Goods Vehicle.
(h) Heavy Passenger Motor Vehicle.
(i) Road Roller.
(j) Motor Vehicles of the following description.

……

……

PARTICULARS TO BE FURNISHED BY APPLICANT

(1) Full Name …..……..……

(2) Son/Wife/Daughter of ……...

(3) Permanent Address ……

Proof to be enclosed ……

(4) Temporary Address (if any) ……..

(5) Date of Birth (proof age to be enclosed) ……..

(6) Educational Qualification: ……..

(6) Identification Marks : ……..

(7) Blood Group :……...

RH factor : ……...

(8) I hold an effective driving license to drive (a) Motor Cycle / Light Motor Vehicle / Medium Passenger Motor Vehicle / Heavy Passenger Goods Vehicle.

(9) Particulars of any driving license previously held by applicant. Whether it was cancelled and if so for what reason. : ……..

(10) Particulars of any Learner's License previously held up by applicant in respect of Vehicle to which the applicant has applied. ……

(11) Have you been disqualified for holding or obtaining driving License or Learner's License? ……..

(12) Recent photograph (photograph) to be the size of five centimeters by six centimeters……

(13) Enclosed medical Certificate dated ……..…… issued by Doctor ……..……..

(15) I have submitted alongwith my earlier application for Learner's License/ enclose the written consent of parent/Guardian in the case of application being a minor.

(16) I enclose Driving Certificate dated …….. issued by ……. (Name & Address of the Driving School)

(17) I have paid the fee of Rupees ……..

(18) I am exempted from the Medical Test under the Rule 6 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.

(19) I am exempted from the preliminary test under Rule 11(2) of central Motor Vehicle Act 1989 ……..

Strike out whichever is inapplicable.

Dated :

Signature of applicant
Duplicate signature of applicant

DECLARATION UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 7 OF MOTOR VEHICLES ACT, 1988.

Shri/Kumari …… Son/Daughter of ……..
who is a minor is under my care and I accept responsibility his/her driving. If at a later date intimate the Licensing Authority in writing for cancellation of the License. I give my consent for his/her obtaining Learner's License.

Signature
Name & Full Address of the Parent/Guardian

***(To be signed in the present of the Licensing Authority or person authorised in this behalf by the Licensing Authority).**

FOR OFFICE USE

*The applicant is exempted from the medical test under rule 6 and the preliminary test under rule 11(2) of Central Motor Vehicle Rules 1989.

Learner's License may be issued.

*The applicant was tested with reference to rule 11(1) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. He has passed the test Learner's License may be issued.

*He has failed in the test (Reason should be specified)

Learner's License may be refused.

Signature of
Licensing Authority or other
person Authorised in this behalf.

Strike out whichever is inapplicable.

4. फ़ॉर्म - सूक्ष्म उपक्रम ऋण (नियमावली में यहाँ)

Application No. :	Date :

Photo
(Signature across photo)

प्रधानमंत्री mudra योजना
पूंजी. सफलता की कुंजी

Name of Bank

Application Form for Loan under Pradhan Mantri MudraYojana (PMMY)
(For Loan upto Rs.50000/- underShishu)

Name of Bank & Branch from where Loan is required______________________________

I hereby apply for Cash Credit / Over Draft / Term Loan of Rs.________________ for ________________

Name of Applicant(s)	1. 2.		Father's/ Husband's Name	1.Sh. 2.Sh.		
Constitution (√)	Individual	Joint	Proprietor	Partnership	Other	
Residential Address						Rented/Owned
Business Address						Rented/Owned
Date of Birth		Age		Sex : Male / Female		
Education Qualification(√)	Illiterate	Upto 10th	12th	Graduate	Professional	others
KYC Document(s)	Voter ID No.	Aadhaar No.	Driving License No.	Any Others		
ID proof(pl. specify)						
Address Proof(pl. specify)						
Telephone No. :		Mobile No. :		E-mail :		
Line of Business	Existing		Period			
Activity (Purpose)	Proposed					
Annual Sales (Rs. in lakh)	Existing :		Proposed :			
Experience, if any						
Social Category (Pls. tick √)	General	SC	ST	OBC	Minority Community	
If Minority(√)	Buddhists	Muslims	Christians	Sikhs	Jains	Zoroastrians / Others
Loan Amount Required	CC / OD–Rs____________		Term Loan – Rs.________________			
Detail of Existing Account(s), if any	Type (Pls. tick √) (Deposit/Loan)		Name of Bank & Branch			
A/c. No.		If Loan A/c, amount of loan taken		Rs.		

Declaration:
I/We hereby certify that all information furnished by me/us is true, correct and complete. I/We have no borrowing arrangements for the unit except as indicated in the application form. I/We have not applied to any Bank. There is/are no overdue / statutory dueowed by me/us. I/We shall furnish all other information that may be required by Bank in connection with my/our application. The information may also be exchanged by you with any agency you may deem fit. You, your representatives or Reserve Bank of India or MUDRA Ltd., or any other agency as authorised by you, may at any time, inspect/ verify my/our assets, books of accounts etc. in our factory/business premises as given above. You may take appropriate safeguards/action for recovery of bank's dues.

Date : __________________
Place : _________________

Thumb impression/Signature of Applicant(s)

(For Office use only)
Acknowledgement Slip No…………….......... loan Application No. __________dated _____________
Received by____________________

Place and Date **Authorized Signatory (Branch Seal and sign)**

---Cut here ---

Acknowledgment slip no. ___________ for loan application under PMMY (Applicants copy)
Received with thanks from Sh./Smt.________________ loan application dated __________for Rs______

Place and Date **Authorized Signatory (Branch Seal and sign)**

5. फ़ॉर्म - दिव्यांगजनों के लिए ट्रेन यात्रा में छूट (नियमावली में यहाँ)

Paste Passport size Photograph duly signed & stamped by the issuing Doctor.

Appendix 1/36

CONCESSION CERTIFICATE

Form for the purpose of grant of rail concession to orthopaedically Handicapped / Paraplegic persons / patients to be used by the Government Doctor

This is to certify that Km./Shri/Smt.., Whose Particulars are furnished below, is a bonafide "Orthopaedically /Handicapped / Paraplegic person / patient and CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT.

Particulars of the Orthopaedically Handicapped / paraplegic person / patient:

(a) Address : ....
(b) Father's / Husband's Name :...
(c) Age:... (d) Sex:..
(e) Nature of Handicap: (To be written by doctor whether the disability is Temporary or Permanent)
(f) Causes of loss of Functional capacity : ....
(g) Signature or Thumb impression of Orthopaedically handicapped / paraplegic person / patient : (not necessary for those whose both hands are missing.. or non-funtional).

....
(Signature of Government Doctor)

Place ....
Date ....

....
Clear seal of Government Hospital/Clinic

....
Seal containing full name and Regd.No. Of the Doctor

* Strike out where not applicable.

Note : -

(1)This certificate should be issued only to those Orthopaedically Handicapped / paraplegic persons / patients WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT. The photo must be signed and stamped in such a way that Doctor's signature and stamp appears partly on the certificate.

(2)In the case of temporary disability, the certificate will be valid for five years from the date of issue. In the case of permanent disability, the certificate will remain valid for (1) five years, in case of persons upto the age of 25 years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (3) in the case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned person. After expiry of the period of the validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate is accepted for the purpose of grant on concession. The original certificate will have to be produced for instruction at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded

(3)No alteration in the form is permitted.

6. फ़ॉर्म - मतदाता पहचान पत्र (नियमावली में यहाँ)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

FORM-6

(See Rules 13(1) and 26) of Registration of Electors Rule-1960

Acknowledgement No._____

(To be filled by office)

Application for Inclusion of Name in Electoral Roll for First time Voter OR on Shifting from One Constituency to Another Constituency.

To, The Electoral Registration Officer, ...Assembly / Parliamentary Consitituency

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX

I request that my name be included in the electoral roll for the above Constituency. (Tick appropriate box)

As a first time voter ☐ **or due to shifting from another constituency** ☐

Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll are given below:-

Mandatory Particulars

(a) Name	
(b) Surname(if any)	
(c) Name and surname of Relative of Applicant [see item (d)]	
(d) Type of Relation (Tick appropriate box)	Father ☐ Mother ☐ Husband ☐ Wife ☐ Other ☐
(e) Age [as on 1st January of current calendar year.....]	Years ☐☐ Months ☐☐
(f) Date of Birth (in DD/MM/YYYY format)(if known)	☐☐/☐☐/☐☐☐☐
(g) Gender of Applicant (Tick appropriate box)	Male ☐ Female ☐ Third Gender ☐
(h)Current address where applicant is ordinarily resident	House No.
Street/Area/Locality	
Town/Village	
Post Office	Pin Code ☐☐☐☐☐☐
District	State/UT
(i) Permanent address of applicant	House No.
Street/Area/Locality	
Town/Village	
Post Office	Pin Code ☐☐☐☐☐☐
District	State/UT
(j)EPIC No. (if issued)	

Optional Particulars

(k) Disability (if any) (Tick appropriate box)	Visual impairment ☐ Speech & hearing disability ☐ Locomotor disability ☐ Other _____
(l) Email id (optional)	
(m) Mobile No. (optional)	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

DECLARATION - *I hereby declare that to the best of knowledge and belief –*

(i) I am a citizen of India and place of my birth is Village/Town.....District.....State.....

(ii) I am ordinarily resident at the address given at (h) above since .....(date, month, year).

(iii)I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other constituency.

**(iv)My name has not already been included in the electoral roll for this or any other assembly/* parliamentary *constituency*

OR

**My name may have been included in the electoral roll for_____ Constituency in _____ State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll.*

** strike off the option not appropriate*

Address of earlier place of ordinary residence (if applying due to shifting from another constituency)			
House No.		Street/Area/Locality	
Town/Village			
Post Office		Pin Code	☐☐☐☐☐☐
District		State/UT	

I am aware that making a statement or declaration which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

Place.....

Date..... Signature of Applicant.....

Remarks of Field Level Verifying Officer:

Details of action taken
(To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)

The application of Shri / Shrimati/ Kumari .....for inclusion of name in the electoral roll in Form 6 has been accepted/ rejected. Detailed reasons for acceptance [under or in pursuance of rule 18/20/26(4)] or rejection [under or in pursuance of rule 17/20/26(4)] are given below:

Place:

Date: Signature of ERO Seal of the ERO

Intimation of decision taken (to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address as given by the applicant)

The application in Form 6 of Shri/Shrimati/Kumari.....

Postage Stamp to be affixed by the Electoral Registration Authority at the time of dispatch

Current address where applicant is ordinarily resident	House No.	
Street/Area/Locality		
Town/Village		
Post Office		Pin Code ☐☐☐☐☐☐
District	State/UT	

Has been (a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari.....

Has been registered at Serial No.....in Part No..... of AC No.....

(b) rejected for the reason.....

Date: Electoral Registration Officer

Address.....

Acknowledgement/Receipt

Acknowledgement Number _____ Date _____

Received the application in form 6 of Shri / Smt. / Ms. _____ _____
[Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application].

Name/Signature of ERO/AERO/BLO

7. फ़ॉर्म - आधार कार्ड फ़ॉर्म (नियमावली में यहाँ)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार

Under Section 3 of THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016 (Aadhaar Act)

AADHAAR ENROLMENT / CORRECTION FORM

AADHAAR

Aadhaar Enrolment is free and voluntary. Correction within 96 hours of enrolment is also free. **No charges are applicable for Form and Aadhaar Enrolment. In case of Correction provide your EID, Name and only that field which needs Correction.**

In case of Correction provide your EID No here: | | | | | | | | | | | | | | dd |mm| yyyy|hh: mm: ss|

Please follow the instructions overleaf while filling up the form. Use capital letters only.

1	Pre-Enrolment ID :	**2**	NPR Receipt/TIN Number :
3	Full Name:		
4	Gender: Male ( ) Female ( ) Transgender ( )	**5**	Age: Yrs OR Date of Birth: | DD | MM | YYYY | Declared☐ Verified☐
6	Address: C/o ( ) D/o ( ) S/o ( ) W/o ( ) H/o ( ) NAME		
	House No/ Bldg./Apt.		Street/Road/Lane
	Landmark		Area/locality/sector
	Village/Town/City		Post Office
	District	Sub-District	State
	E Mail	Mobile No | | | | | | | | | |	PIN CODE | | | | | |
7	Details of : Father ( ) Mother ( ) Guardian ( ) Husband ( ) Wife ( ) *For children below 5 years Father/Mother/Guardian's details are mandatory. Adults can opt to not specify this information, if they cannot/do not want to disclose.*		
	Name		
	EID/ Aadhaar No.: | | | | | | | | | | | | dd |mm| yyyy|hh: mm: ss|		
Verification Type : Document Based ( ) Introducer Based ( ) Head of Family ( ) Select only one of the above. Select Introducer or Head of Family only if you do not possess any documentary proof of identity and/or address. Introducer and Head of Family details are not required in case of Document based Verification.			
8	**For Document Based** (Write Names of the documents produced. Refer overleaf of this form for list of valid documents)		
a. POI		b. POA	
c. DOB (Mandatory in case of Verified Date of Birth)		d. POR	
9	**For Introducer Based –** Introducer's Aadhaar No. | | | | | | | | | | | |	**For HoF Based -** Details of : Father ( ) Mother ( ) Guardian ( ) Husband ( ) Wife ( ) HoF's EId/Aadhaar No.: | | | | | | | | | | | | dd |mm| yyyy|hh: mm: ss|		
I hereby confirm the identity and address of_____as being true, correct and accurate. Introducer/HoF's Name: **Signature of Introducer/HOF**			

Disclosure under section 3(2) of THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016

I confirm that I have been residing in India for at least 182 days in the preceding 12 months & information (including biometrics) provided by me to the UIDAI is my own and is true, correct and accurate. I am aware that my information including biometrics will be used for generation of Aadhaar and authentication. I understand that my identity information (except core biometric) may be provided to an agency only with my consent during authentication or as per the provisions of the Aadhaar Act. I have a right to access my identity information (except core biometrics) following the procedure laid down by UIDAI.

Verifier's Stamp and Signature:
(Verifier must put his/her Name, if stamp is not available)

Applicant's signature/Thumbprint

To be filled by the Enrolment Agency only : Date & time of Enrolment: ----------

"(Note: Incase of minor, the signature will be done by parent/guardian. Incase of incapacitated person, the signature will be done by Legal Guardian of Incapacitated Person)"

Instructions to follow while filling up the enrolment form

Field 2 **NPR NUMBER**	Resident may bring his/her National Population Register Survey slip (if available) and fill up the column.
Field 3 **NAME**	Write full name without salutations/titles. Please bring the original* Proof of Identity (POI) document. (See list A below). Variation in Resident's Name in contrast to PoI is permissible as long as the change is minor spelling only, without altering the Name in PoI document. For Example: If Resident's PoI reads "Preeti", then "Priti" can be recorded if Resident wants so.
Field 5 **DOB / AGE**	Fill in Date of Birth in DDMMYYYY format. If exact Date of Birth is not known, approximate age in Years may be filled in the space provided. Please bring the original Proof of Date of Birth (DoB), if available.(See list D below). Declared checkbox may be selected if Resident does not have a valid proof of Date of Birth document. Verified checkbox is selected where Resident has provided documents as proof of Date of birth.
Field 6 **ADDRESS**	Write complete address. Please bring the original Proof of Address (POA) document. (See list B below). Please note that the Aadhaar letter will be delivered at the given address only. • To include Parent / Guardian / Spouse name as part of the address, select the appropriate box and enter the name of the person. • Minor Corrections / Enhancements are permissible to make the address complete without altering the base address as mentioned in the POA document.
Field 7 **RELATIONSHIP**	• In case of children below 5 years, it is mandatory to provide father/mother/guardian details with their Aadhaar or EID number. • If the resident is not holding a Proof of Identity & using the Head of the Family identity for enrolment, it is mandatory to provide Head of the family's details with his/her Aadhaar or EID number. Please refer illustration below for filling EID. Please bring the original Proof of Relationship (POR) document. (See list C below). • For other cases, it is optional for the resident to fill up the relationship details.
Field 8 **DOCUMENTS**	Write the name of Documents for PoI and PoA. In case proof of Date of Birth is available, then write the name of Date of Birth document. If the resident is not holding a Proof of Identity & using the Head of Family based enrolment, then write the name of Proof of Relationship document. For Valid list of documents, please refer list of Documents below.
Field 9 **INTRODUCER/HoF**	Resident who does not have POI and POA may get enrolled through an Introducer/ Head of Family. Pl contact nearest enrolment centre or your Registrar, for further details.

List A. POI documents

1. Passport
2. PAN Card
3. Ration/ PDS Photo Card
4. Voter ID
5. Driving License
6. Government Photo ID Cards/ service photo identity card issued by PSU
7. NREGS Job Card
8. Photo ID issued by Recognized Educational Institutio n
9. Arms License
10. Photo Bank ATM Card
11. Photo Credit Card
12. Pensioner Photo Card
13. Freedom Fighter Photo Card
14. Kissan Photo Passbook
15. CGHS / ECHS Photo Card
16. Address Card having Name and Photo issued by Department of Posts
17. Certificate of Identify having photo issued by Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead
18. Disability ID Card/handicapped medical certificate issued by the respective State/UT Governments/Administrations

List B. POA documents

1. Passport
2. Bank Statement/ Passbook
3. Post Office Account Statement/Passbook
4. Ration Card
5. Voter ID
6. Driving License
7. Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU
8. Electricity Bill (not older than 3 months)
9. Water bill (not older than 3 months)
10. Telephone Landline Bill (not older than 3 months)
11. Property Tax Receipt (not older than one year)
12. Credit Card Statement (not older than 3 months)
13. Insurance Policy
14. Signed Letter having Photo from Bank on letterhead
15. Signed Letter having Photo issued by registered Company on letterhead
16. Signed Letter having Photo issued by Recognized Educational Instruction on letterhead
17. NREGS Job Card
18. Arms License
19. Pensioner Card
20. Freedom Fighter Card
21. Kissan Passbook
22. CGHS / ECHS Card
23. Certificate of Address having photo issued by MP or MLA or Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead
24. Certificate of Address issued by Village Panchayat head or its equivalent authority (for rural areas)
25. Income Tax Assessment Order
26. Vehicle Registration Certificate
27. Registered Sale / Lease / Rent Agreement
28. Address Card having Photo issued by Department of Posts
29. Caste and Domicile Certificate having Photo issued by State Govt.
30. Disability ID Card/handicapped medical certificate issued by the respective State/UT Governments/Administrations
31. Gas Connection Bill (not older than 3 months)
32. Passport of Spouse
33. Passport of Parents(in case of Minor)
34. Allotment letter of accommodation issued by Central/State Govt. of not more than 3 years old
35. Marriage Certificate issued by the Government, containing address.

List C. POR documents

1. PDS Card
2. MNREGA Job Card
3. CGHS/State Government/ECHS/ESIC Medical card
4. Pension Card
5. Army Canteen Card
6. Passport
7. Birth Certificate issued by Registrar of Birth, Municipal Corporation and other notified local government bodies like Taluk, Tehsil etc.
8. Any other Central/State government issued family entitlement document
9. Marriage Certificate Issued by the Government..

List D. DOB documents

1. Birth Certificate
2. SSLC Book/Certificate
3. Passport
4. Certificate of Date of Birth issued by Group A Gazetted Officer on Letterhead
5. PAN Card
6. Marksheet issued by any Govt. Board or University
7. Govt. Photo ID Card/Photo Identity card issued by PSU containing DoB.
8. Central/State Pension payment order.
9. Central Govt. Health Service Scheme photo card or Ex-Servicemen

Illustration for filling up EID No.

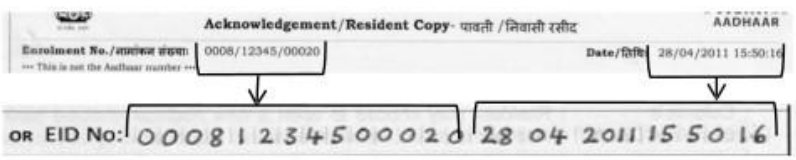

*In instances where original documents are not available, copies attested / certified by a public notary / gazetted officer will be accepted.

8. फ़ॉर्म - PAN कार्ड फ़ॉर्म (नियमावली में यहाँ)

Only 'Individuals' to affix recent photograph (3.5 cm x 2.5 cm)

Sign / Left Thumb impression across this photo

Form No. 49A

Application for Allotment of Permanent Account Number

[In the case of Indian Citizens/Indian Companies/Entities incorporated in India/ Unincorporated entities formed in India]

See Rule 114

To avoid mistake (s), please follow the accompanying instructions and examples before filling up the form

Only 'Individuals' to affix recent photograph (3.5 cm x 2.5 cm)

Assessing officer (AO code)

Area code	AO type	Range code	AO No.

Signature / Left Thumb Impression

Sir,

I/We hereby request that a permanent account number be allotted to me/us.

I/We give below necessary particulars:

1 Full Name (Full expanded name to be mentioned as appearing in proof of identity/date of birth/address documents: initials are not permitted)

Please select title, ☑ as applicable ☐ Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

2 Abbreviations of the above name, as you would like it, to be printed on the PAN card

3 Have you ever been known by any other name? ☐ **Yes** ☐ **No** **(please tick as applicable)**

If yes, please give that other name

Please select title, ☑ as applicable ☐ Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

4 Gender (for Individual applicants only) ☐ **Male** ☐ **Female** ☐ **Transgender** **(please tick as applicable)**

5 Date of Birth/Incorporation/Agreement/Partnership or Trust Deed/ Formation of Body of individuals or Association of Persons

Day **Month** **Year**

6 Details of Parents (applicable only for individual applicants)

Father's Name (Mandatory. Even married women should fill in father's name only)

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

Mother's Name (optional)

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

Select the name of either father or mother which you may like to be printed on PAN card (*Select one only*)

(In case no option is provided then PAN card will be issued with father's name)

☐ Father's name ☐ Mother's name *(Please tick as applicable)*

7 Address

Residence Address

Flat / Room / Door / Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory Pincode / Zip code Country Name

Office Address

Name of office

Flat / Room / Door / Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory | Pincode / Zip code | Country Name

8 Address for Communication ☐ Residence ☐ Office (Please tick as applicable)

9 Telephone Number & Email ID details

Country code | Area/STD Code | Telephone / Mobile number

Email ID

10 Status of applicant

Please select status, ✓ as applicable

☐ Individual ☐ Hindu undivided family ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Government

☐ Trusts ☐ Body of Individuals ☐ Local Authority ☐ Artificial Juridical Persons ☐ Association of Persons ☐ Limited Liability Partnership

11 Registration Number (for company, firms, LLPs etc.)

12 In case of a person, who is required to quote Aadhaar number or the Enrolment ID of Aadhaar application form as per section 139 AA

Please mention your AADHAAR number (if allotted)

If AADHAAR number is not allotted, please mention the enrolment ID of Aadhaar application form

Name as per AADHAAR letter or card or as per the Enrolment ID of Aadhaar application form

13 Source of Income *Please select, ✓ as applicable*

☐ Salary

☐ Income from Business / Profession Business/Profession code ☐☐ [For Code: Refer instructions]

☐ Income from House property

☐ Capital Gains

☐ Income from Other sources

☐ No income

14 Representative Assessee (RA)

Full name, address of the Representative Assessee, who is assessible under the Income Tax Act in respect of the person, whose particulars have been given in the column 1-13.

Full Name (Full expanded name : initials are not permitted)

Please select title, ✓ as applicable ☐ Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

Address

Flat / Room / Door / Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory | Pincode

15 Documents submitted as Proof of Identity (POI), Proof of Address (POA) and Proof of Date of Birth (POB)

I/We have enclosed ____ as proof of identity, ____

as proof of address and ____ as proof of date of birth.

[Please refer to the instructions (as specified in Rule 114 of I.T. Rules, 1962) for list of mandatory certified documents to be submitted as applicable]

[Annexure A, Annexure B & Annexure C are to be used wherever applicable]

16 I/We ____, the applicant, in the capacity of ____

do hereby declare that what is stated above is true to the best of my/our information and belief.

Place :

Date : D D M M Y Y Y Y

Signature / Left Thumb Impression of Applicant (inside the box)